राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क ३] द्वितीय विधान सभा के तृतीय सत्र का ४७वां दिवस [संख्या २७

शुक्रवार, २८ मार्च, १९५८

विधान सभा की बैठक म. पू. ११-१० बजे विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई।

[श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन]

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या ९६०

श्री अध्यक्ष श्री भैरोंसिंह।

(अनुपस्थित)

सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी विभाग, जोधपुर के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें

९६१. **श्री तनसिंह** (बाड़मेर) : क्या मंत्री, सहकारी विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या सहायक रजिस्ट्रार, जोधपुर जो अब भीलवाड़ा में हैं (श्री हरनारायण गुप्ता) के विरुद्ध सन् १९५४ में भ्रष्टाचार की कोई शिकायत की गई थी ?

(२) क्या उक्त शिकायत के फलस्वरूप ता० २०-१०-५४ को रजिस्ट्रार, सहकारी विभाग जयपुर ने जांच की थी ?

(३) यदि हां, तो उपरोक्त जांच का क्या परिणाम निकला ?

सहकारी मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) हां।

(२) नहीं।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

श्री तनसिंह : मेरे प्रश्न का उत्तर दिया है 'ना' ?

श्री नाथूराम मिर्धा : हां।

श्री तनसिंह : यह शिकायत हुई, इसकी जांच नहीं हुई, यह क्या है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आपने लिखा है कि क्या रजिस्ट्रार ने जांच की है ? उन्होंने जांच नहीं की है।

श्री तनसिंह : फिर किसने जांच की है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : अपॉइन्टमेंट सेक्शन से जांच हुई है, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी ने जांच की है।

श्री तनसिंह : आरोप क्या थे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आरोप वही थे, थर्ड क्लास में ट्रेवल किया और सेकिंड क्लास का फेअर क्लेम किया।

श्री तनसिंह : इसका नतीजा क्या निकला ?

Page No.2

श्री नाथूराम मिर्धा : नतीजा निकल गया है, सैंक्शन कर दिया गया है और उनके रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

संस्कृत कॉलेज, जयपुर

६६२. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या राजस्थान सरकार ने संस्कृत कॉलेज की दुर्व्यवस्था की जांच के लिए किसी समिति का निर्माण किया? यदि हां, तो उस समिति ने श्री मदनलाल शर्मा, लेक्चरार के सम्बन्ध में क्या रिपोर्ट की है और उस रिपोर्ट पर सरकार ने क्या अमल किया है?

(२) क्या स्थाई प्रिन्सिपल, संस्कृत कॉलेज जयपुर की सम्मति के विपरीत श्री मदनलाल शर्मा, लेक्चरार का स्थाईकरण हुआ है? यदि ऐसा है, तो किस कारण से?

(३) क्या श्री मदनलाल शर्मा, लेक्चरार संस्कृत कॉलेज, जयपुर पर झूठा प्रमाण-पत्र देने, किसी अन्य की लिखी पुस्तक पर अपना नाम छपवा कर उसे अपनी बतलाने, अधिकारियों के आदेश की अवहेलना आदि के आरोप लेखबद्ध हुए हैं? यदि हां, तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो क्यों?

(४) क्या उक्त श्री मदनलाल शर्मा संस्कृत कॉलेज में अब लेक्चरार नहीं हैं और यदि ऐसा है तो कब से?

(५) क्या इनके सम्बन्ध में दिल्ली स्थित मन्त्री भारत सेवक समाज ने इन सज्जन के वेतन व पद के सम्बन्ध में राज्य सरकार के द्वारा जांच करवाई? यदि हां, तो सरकार ने अपनी क्या राय उनको भेजी?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास शिक्षा मन्त्री की अनुपस्थिति में) : (१) जी हां। समिति ने जो रिपोर्ट की वह एक गोपनीय विषय है। उस रिपोर्ट पर विचार किया गया।

(२) जी हां। वर्तमान प्रिन्सिपल की समिति की रिपोर्ट में कोई खास तथ्य नहीं था। भूतपूर्व प्रिन्सिपल ने इनके कन्फर्मेशन के लिये सिफारिश की थी और मीमान्सा पढ़ाने के लिये योग्य व्यक्ति बताया था। इन्हीं बातों को ध्यान में रख कर उनका कन्फर्मेशन किया गया।

(३) इसके लिए इन्क्वायरी की जा रही है।

(४) हां। वे इस समय कार्यवाहक प्रोफ़ेसर हैं।

(५) मन्त्री, भारत सेवक समाज, दिल्ली के जरिये वेतन व पद के सम्बन्ध में जांच नहीं करवाई अलबत्ता प्रिंसिपल संस्कृत कॉलेज, जयपुर द्वारा उक्त जानकारी मन्त्री, भारत सेवक समाज के चाहने पर दी गई थी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : समिति ने रिपोर्ट कब दी, दलेला समिति ने?

श्री दामोदरलाल व्यास : तारीख मेरे पास नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अभी जो स्थाई प्रिन्सिपल हैं, उनके बारे में मैंने सवाल पूछा है। आपने जो उत्तर दिया है वह पुराने प्रिन्सिपल के बारे में दिया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उनकी यह सम्मति है कि

Page No.3

(सतीशचन्द्र अग्रवाल)

इनका कन्फर्मेशन नहीं होना चाहिए क्योंकि ये यह सबजेक्टस पढ़ाने के लिये केपेबल नहीं हैं। पुराने ने क्या लिखा है, यह नहीं दिया।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने दोनों बातें बता दी हैं, मौजूदा समिति ने क्या लिखा है, पुराने प्रिन्सिपल ने क्या लिखा था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह मतलब यह है कि नये प्रिन्सिपल की सम्मति से कन्फर्मेशन हुआ है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां।

श्री मनोहर कोठारी : क्या मदनलाल शर्मा को राजस्थान युनिवर्सिटी ने पी. एच. डी. की डिग्री दी है और इसी कॉलेज के अध्यापक को पी. एच. डी. की डिग्री संस्कृत में मिली है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : डिग्री के बारे में मुझे पता नहीं। इन्हें मीमान्सा पढ़ाने के योग्य व्यक्ति बताया था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : प्रश्न (३) में मैंने पूछा है कि क्या श्री मदनलाल शर्मा, लेक्चरार संस्कृत कालेज, जयपुर पर झूठा प्रमाण पत्र देने, किसी अन्य की लिखी पुस्तक पर अपना नाम छपवा कर उसे अपनी बतलाने, अधिकारियों के आदेश की अवहेलना आदि के आरोप लेखबद्ध हुए हैं; इसके सम्बन्ध में आपने क्या उत्तर दिया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसके बारे में मैंने अर्ज किया कि इन्क्वायरी की जा रही है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इन्क्वायरी कौन कर रहा है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने आपसे कहा कि कमेटी की इन्क्वायरी की रिपोर्ट विचाराधीन है, यह भी इन्क्वायरी की स्टेज है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माननीय अध्यक्ष, मैं निवेदन कर दूं कि इन्क्वायरी हो चुकी है। जो समिति बनाई गई थी उसमें कॉलेज के तीन आदमी थे, उन्होंने रिपोर्ट दे दी है। वह रिपोर्ट मेरे पास है। उस कमेटी ने अपनी फाइन्डिंग्स में लिखा है कि एक झूठा प्रमाण पत्र एक लड़के को जिसका नाम सत्य देव है, इस सत्यदेव नाम के लड़के को आठवीं क्लास में भरती करने के लिए, झूठा प्रमाण पत्र दिया कि यह किसी स्कूल में नहीं पढ़ा है। इसके लिए एक समिति नियुक्त की गई थी, उस समिति ने अपनी जांच करके रिपोर्ट दे दी है। लेकिन मंत्री महोदय फर्माते हैं कि इन्क्वायरी हो रही है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने सत्य बात की है, लेकिन आपको कुछ गलतफहमी हो रही है मैंने अर्ज किया कि जो समिति मुर्रर की गई है, उसने रिपोर्ट दे दी है और वह रिपोर्ट कॉन्फीडेन्शियल है। वह रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है और प्रश्न तीन में जिन चाजेर्ज के बारे में पूछ रहे हैं, उसकी इन्क्वायरी की जा चुकी है और जो रिपोर्ट आई है, उसके ऊपर सरकार विचार कर रही है। जब तक सरकार विचार कर रही है, तब तक इन्क्वायरी की स्टेज मानी जायगी जब उस रिपोर्ट पर फैसला हो जायगा तब फैसला माना जायगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इन्क्वायरी रिपोर्ट कब सबमिट हुई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : तारीख मुझे मालूम नहीं है।

Page No.4

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप जो फर्मा रहे हैं मैं आपको बताऊं कि दलेला समिति अलग थी, और इस काम के लिए समिति अलग थी। आप फिर देख लें कि दलेला समिति की रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है या जो समिति नियुक्त हुई थी उसकी रिपोर्ट अलग से सब मिट हुई है। वह रिपोर्ट कब सब्मिट हुई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने जवाब दिया कि रिपोर्ट कब सब्मिट हुई, इसकी तारीख मुझे मालूम नहीं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : दूसरी वाली की ?

श्री दामोदरलाल व्यास : रिपोर्ट सब्मिट हो गई है।

श्री अध्यक्ष : रिपोर्ट सब्मिट हो गई है और सरकार उसकी स्क्रुटिनी कर रही है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : किसके विचाराधीन है, दलेला समिति के विचाराधीन हैं, सरकार के विचाराधीन है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आप दूसरी रिपोर्ट के बारे में पूछ रहे हैं !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : फिर आपने कैसे कह दिया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आपने जिस इन्क्वायरी कमेटी के लिए पूछा है, उसके बारे में बता दिया।

श्री अध्यक्ष : भाग ३ में क्या है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : पार्ट (३) में एलीगेशन्स हैं, सवाल इस प्रकार है, "क्या श्री मदनलाल शर्मा लैक्चरार संस्कृत कॉलेज जयपुर पर झूठा प्रमाण पत्र देने, किसी अन्य की लिखी पुस्तक पर ....." ये जितने चार्जेज़ हैं, उसके लिए जवाब दिया कि इसके बारे में इन्क्वायरी की जा रही है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पहले आपने कहा कि रिपोर्ट सब्मिट कर दी और अब कह रहे हैं कि जांच कर रहे हैं। इन्क्वायरी हो चुकी है या इन्क्वायरी कर रहे हैं या जो इन्क्वायरी सब्मिट हो गई है, उसकी स्क्रुटिनी कर रहे हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं इस इम्प्रेशन में था जो आपने पार्ट १ में पूछा है कि क्या राजस्थान सरकार ने संस्कृत कॉलेज की दुर्व्यवस्था की जांच के लिए किसी समिति का का निर्माण किया ? इस इन्क्वायरी कमेटी के बारे में मैनें जवाब दिया है। मैं इस इम्प्रेशन से जवाब दे रहा हूं और माननीय सदस्य कह रहे हैं कि इन्क्वायरी कमेटी ने रिपोर्ट सब्मिट कर दी है, उस कमेटी की क्या फाइन्डिंग्स हैं, उसके बारे में मैं नहीं कह सकता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपकी जानकारी में नहीं है पार्ट ३ में मैंने पूछा है क्या श्री मदनलाल शर्मा, लैक्चरार संस्कृत कॉलेज, जयपुर पर झूठा प्रमाण पत्र देने, किसी अन्य की लिखी पुस्तक पर अपना नाम छपवा कर उसे अपनी बतलाने, अधिकारियों के आदेश की अवहेलना आदि के आरोप लेखबद्ध हुए हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मुझे इतनी जानकारी थी कि इन्क्वायरी की जा रही है। उस कमेटी की रिपोर्ट आपके पास पहले आ गई हो, गवर्नमेंट के पास सब्मिट होने के

Page No.5

(श्री दामोदरलाल व्यास)

पहले। आपके तरीके और जरिये हो सकते हैं कि पहले आप रिपोर्ट मगवा लें जो मेरी जानकारी में है, वह मैंने अर्ज किया। आप बता रहे हैं कि दूसरी समिति नियुक्त हुई, हो सकता है कि दूसरी समिति मुकर्रर हुई होगी। आपने पार्ट १ में जिस समिति की रिपोर्ट के बारे में पूछा उसके सिलसिले में मैंने जवाब दे दिया। नम्बर तीन में जो एलीगेशन्स हैं, उनकी इन्क्वायरी हो रही है, और उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह इन्क्वायरी कौन कर रहा है ?

श्री अध्यक्ष : श्री रामकरणसिंह !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माननीय अध्यक्ष मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है। मेरा प्रश्न साफ़ है कि :

"क्या श्री मदनलाल शर्मा, लेक्चरार संस्कृत कालेज, जयपुर पर झूठा प्रमाण पत्र देने, किसी अन्य की लिखी पुस्तक पर अपना नाम छपवा कर उसे अपनी बतलाने, अधिकारियों के आदेश की अवहेलना आदि के आरोप लेख बद्ध हुए हैं ? यदि हां, तो उनके खिलाफ़ क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

तो माननीय अध्यक्ष, मेरे इन सारे प्रश्नों का जवाब मन्त्री महोदय को इकटठा करना चाहिये था। इन सब का उत्तर मुझे मिलना चाहिये था जो नहीं मिला है। या तो मेरे इन प्रश्नों का जवाब मिलना चाहिये या फिर हाफ़ एन अवर डिस्कशन इस पर रखना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : उन्होंने उत्तर दिया कि इन्क्वायरी हो रही है। अब दूसरे फैक्ट्स कि कमेटी ने रिर्पाट दी है कि नहीं, किस अफ़सर ने इन्क्वायरी की, ये बातें उनकी जानकारी में नहीं हैं। उन्होंने कहा है कि इन्क्वायरी हो रही है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं जानना चाहता हूं कि कौन इनक्वारी कर रहा है ?

श्री अध्यक्ष : आप उसे अप्रोच क्यों करेंगे ?

(हंसी)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मेरा निवेदन है कि इन्क्वायरी हो गई है।

श्री अध्यक्ष : वह भी मुमकिन है। रिर्पाट देने पर भी स्क्रुटिनी होगी। गवर्नमेंट उस पर निर्णय लेगी, तो ऐसी हालत में यही कहा जायगा कि इन्क्वायरी नहीं हुई है, इन्क्वायरी हो रही है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो यह कह दें कि इन्क्वायरी की रिर्पाट आ गई है।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकरणसिंह।

शाहपुरा पावटा सड़क

९९३. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपुतली)। क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(क) शाहपुरा से पावटा रोड कब बनाई गई तथा उसकी कब कब मरम्मत की गई ?

(२) क्या सरकार ने सन् १९५६-५७ में भी इसकी मरम्मत कराई थी ?

(श्री रामकरणसिंह)

(ग) यदि हां, तो कब ?

(घ) क्या सरकार अब भी पूरी सड़क की मरम्मत कराने का इरादा रखती है ?

(ङ) यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री : (श्री नाथूराम मिर्धा)

(क) १६२८ में । साधारण मरम्मत हर वर्ष की जाती है ।

(ख) जी हां ।

(ग) १६५६–५७ में ।

(घ) जी हां ।

(ङ) जैसे धन-राशि उपलब्ध होती जावेगी । अगले वर्ष तीन मील और डामर कराने की योजना है ।

श्री रामकरणसिंह : आपने फरमाया कि मरम्मत हमेशा की जाती है । मेरी अर्ज है कि इसके कुछ हिस्सों में डामर लगा रखा है । पर मैं देख कर आया हूँ कि आगे का बचा हुआ हिस्सा इतना खराब होगया है कि वहां से आना जाना नहीं हो सकता । तो क्या जितना किया है, वह ठीक किया है, उतने ही को करके रुक गये हैं या और भी आगे बचा हुआ हिस्सा ठीक करावायेंगे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने आखिर में जवाब दिया कि अगले साल ३ मील और करवा रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : श्री तनसिंह !

पुलिस विभाग द्वारा मोटरों की खरीद

६६४. **श्री तनसिंह (बाड़मेर)** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या पुलिस विभाग द्वारा सन् १६५१ में साढ़े चौदह लाख रुपये की मोटर गाड़ियां खरीदी गई थीं ?

(२) क्या यह सही है कि यह सामान टेन्डर से नहीं खरीदा गया ?

(३) क्या यह भी सही है कि तीन लाख के लागत की चेसिस दो साल तक बेकार पड़ी रहीं ?

(४) यह खरीद किससे, किसकी आज्ञा से व किस तारीख को की गई ?

(५) उपरोक्त मोटर गाड़ियां किस तारीख से काम में ली गई ?

राजस्व मंत्री, (गृह मंत्री की अनुपस्थिति में श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) जी हां ।

(२) जी हां । क्योंकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं समझी गई थी जब कि केवल एक फर्म जो मुख्य आयात करने वाली हो या निर्माण करने वाली या उस क्षेत्र का एजेंट हो टेण्डर दे सकता है । फिर भी कोटेशन्स व्यापारियों से मांग लिये गये थे ।

(३) जी हां, क्योंकि चेसिस पर बॉडी का निर्माण नहीं हो सका ।

(४) यह चेसिस मार्च-अप्रेल, १६५१ में सरकार की फोर्मल आज्ञा की आशा में जो कि बाद में प्राप्त हो गई थी मेसर्स युनाइटेड मोटर्स राजस्थान, मेसर्स यूनाइटेड इन्डियन स्टेटस मोटर्स, मेसर्स सिन्ध ओटोमोबाइल्स और मेसर्स डब्ल्यु तुलसीदास से खरीदी गई थीं ।

(श्री दामोदरलाल व्यास)

(५) २३ गाड़ियों के अतिरिक्त जो १६५३ से काम में ली गई बाकी सभी गाड़ियां उनकी खरीद के शीघ्र ही बाद सन् १६५१ के मध्य से काम में ली गई ।

श्री तनसिंह : आपने (४) का उत्तर दिया है, चेसिस का जवाब दे रहे हैं। मैं गाड़ियों का पूछ रहा हूँ कि "यह खरीद किससे, किसकी आज्ञा से व किस तारीख को की गई"; न कि चेसिस बॉडी बनवाने का पूछा है।

श्री दामोदरलाल व्यास : चेसिस खरीदी गई, उसी का सवाल है ?

श्री तनसिंह : जी, चेसिस खरीदने का नहीं बॉडी बनवाने के लिये जाती हैं, मैंने पूछा है कि खरीद किससे गई थी?

श्री दामोदरलाल व्यास : वही तो मैं कह रहा हूँ कि मार्च-अप्रेल, १६५१ में सरकार की फार्मल आज्ञा की आशा में जो कि बाद में प्राप्त हो गई थी मैसर्स यूनाइटेड मोटर्स राजस्थान, मैसर्स यूनाइटेट इन्डियन स्टेट्स मोटर्स, मैसर्स सिन्ध औटोमोबाइल्स और मैसर्स डब्ल्यू. तुलसीदास से खरीदी गई थीं।

श्री तनसिंह : तो क्या ये सोल डिस्ट्रिब्युटर्स हैं इन गाड़ियों के ?

श्री दामोदरलाल व्यास : ये उनके एजेन्ट्स हैं।

श्री तनसिंह : आप एक बार तो कह रहे हैं कि टेन्डर जरूरी नहीं थे और दूसरी बार कहते हैं कि क्योंकि सोल डीलर्स हैं, वे टेन्डर दे सकते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अर्ज किया, "क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं समझी गई थी जब कि केवल एक फर्म जो कि मुख्य आयात करने वाली हो या निर्माण करने वाली या उस क्षेत्र का एजेन्ट हो टेन्डर दे सकता है।"

श्री तनसिंह : डाइरेक्टर सप्लाइज़ हैं, उनसे क्यों नहीं मालूम किया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इन्डियन स्टोर पर्चेज से बात चीत की गई, जब वहां से नहीं मिलीं तो खरीदी गई।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या इन गाड़ियों की खरीद के बारे में पुलिस विभाग की ओर से सरकार को लिखा गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां, लिखा गया और सरकार की आज्ञा भी है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि पुलिस डिपार्टमेंट से इस सम्बन्ध के कागजात गायब हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां, कुछ कागजात गायब हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या मालूम किया गया है कि उन कागजात की रेस्पोन्सिबिलिटी किसकी थी और जो रेस्पोन्सिबिल है उसके खिलाफ क्या कोई इन्क्वायरी की गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : कागजात गुम होने में रेस्पोन्सिबिलिटी किसकी थी, यह मालूम नहीं हो सका है; पर उन कागजात के गायब हो जाने से कोई नुकसान नहीं हुआ।

श्री तनसिंह : तो क्या यह माना जाय कि ये कागजात सड़क पर पड़े हुए थे ! किसी न किसी के चार्ज में तो थे ही !

श्री दामोदरलाल व्यास : चार्ज में कागजात का होना और बात है, पर कागजत को गायब करने की रेस्पोन्सिबिलिटी किसी पर आयद करना एक मुश्किल चीज है। जो कागजात गायब हुए, वे ऐसे थे—Agreement executed by B. Tulsidas for 50 willy jeeps, and file containing tenders received from wholesale dealers and correspandence with the I. G. Police which he had for long time with regard to purchase of vehicles.

तो ये जो फाइल्स हैं काउन्टर पार्ट्स हैं, जो एग्रीमेंट हुआ वह दूसरी पार्टी के पास है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो कोरेस्पोन्डेस दूसरी पार्टी के साथ हुई वह अवेलेबल है।

श्री तनसिंह : नहीं, उसमें वह कागज भी गुम हैं, जिससे टेन्डर्स डिस्पेन्स विथ करने की आज्ञा हुई थी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जिस किताब में से आप सवाल पूछ रहे हैं उसमें गवर्नमेंट का जबाब भी मौजूद है।

(हंसी)

श्री तनसिंह : उसमें यह नहीं है कि जिस आदमी की गलती के कारण कागज गुम हुए हैं, उसके खिलाफ क्या कार्यवाही कर रहे हैं ? तो क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आपने फैक्ट्स पूछे हैं, उनका जबाब दिया। अब कागज किसकी गलती से गायब हुआ उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई, इसके लिए आप अलग प्रश्न कीजिए, मैं जानकारी दूंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या आप इस सम्बन्ध में जानकारी करायेंगे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : नोटिस देकर पूछिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप बता दीजिए कि करेंगे कि नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने बताया कि रेस्पोन्सिबिलिटी आप किसी पर फिक्स नहीं कर सके हैं। जिस किताब से माननीय सदस्य ये सारे सवाल पूछ रहे हैं, उसमें गवर्नमेन्ट के जबाव मौजूद हैं।

श्री तनसिंह : इसमें एक बात नहीं है कि जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी कागजात गुम होने की, उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया ?

श्री अध्यक्ष : डिटेल्स पूछते हैं तो इसके लिए कहा है न कि अलग से पूछें। गवर्नमेंट को जो इन्क्वायरी करनी थी की होगी, जो एक्शन लेना चाहिये, वह लिया होगा।

श्री तनसिंह : यह पूछना है कि इन्क्वायरी से क्या पता चला ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अर्ज किया.......।

प्रश्न संख्या ६६५

श्री अध्यक्ष : श्री दयाकृष्ण विजय।

(अनुपस्थित)

श्री लक्ष्मण हीरात।

Page No.9

वन विभाग के निलम्बित मामले, उदयपुर डिवीजन।

९६६ श्री लक्ष्मण हीरात (गोगुंदा) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि उदयपुर डिवीजन के जंगलात विभाग में काफी अर्से से कई सस्पेन्शन केस पैन्डिंग हैं ?

(ख) यदि हां, तो कितने और वे किस-किस व्यक्ति के हैं ?

वन मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) ८ केसेज़ हैं जिनमें १-८-५८ का एक केस है जो पुलिस में है, ६ की जांच हो चुकी है और एक की जांच जारी है।

(ख) वे ८ केसेज़ निम्नलिखित व्यक्तियों के हैं:—

१. श्री इन्दरलाल, फोरेस्टर।
२. श्री अमरलाल, फोरेस्टर।
३. श्री लक्ष्मणसिंह, फोरेस्टर।
४. श्री गोर्धनसिंह, फोरेस्टर।
५. श्री मानसिंह हैड गार्ड।
६. श्री धनसिंह, हैड गार्ड।
७. श्री लक्ष्मीनारायण, हैड गार्ड।
८. श्री रतनलाल, हैड गार्ड।

श्री लक्ष्मण हीरात : सबसे पुराना केस किस व्यक्ति का है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने बताया न कि १-८-५५ का एक केस है।

श्री अध्यक्ष : श्री ज्ञानचन्द मोदी।

माध्यमिक कन्या पाठशाला, छावनी सवाई रामगढ़

९६७. श्री ज्ञानचन्द मोदी (नीम का थाना) : क्या शिक्षा मंन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) सीकर जिला के अन्तर्गत गर्ल्स मिडिल स्कूल छावनी, सवाई रामगढ़, तहसील नीम का थाना में कितने अध्यापिकाओं के लिए स्थान है ?

(ख) इस स्कूल में दो साल से कितनी अध्यापिकायें काम कर रही हैं ?

(ग) क्या सरकार ने बाकी अध्यापिकाओं को भेजने की कोई व्यवस्था की है ?

(घ) यदि हां, तो कब बाकी अध्यापिकाएं पहुंच जावेंगी ?

(ङ) यदि नहीं तो क्यों ?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री, शिक्षा मन्त्री की अनुपस्थिति में) : (क) वहां पर छात्राओं की संख्या ११९ के अनुसार ५ अध्यापिकाएं, काफी हैं जो मौजूद हैं।

(ख) सन् ५६-५७ में ३ थीं, व ५७-५८ में ५ हैं।

(ग) पहले ३ थीं फिर एक अध्यापिका ता० १९।१०।५७ को तथा दूसरी ७।१।५८को भेजी जा चुकी है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री ज्ञानचन्द मोदी : अभी भी तीन हैं। कुछ दिनों दो ही थीं।

Page No.10

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरे पास जो सूचना है, उसको गलत मानने का कोई आधार नहीं है। १६-१०-५७ तक एक और मेज दी गई और पांचवीं और मेज दी गई। इस प्रकार वहां पर ५ हो गईं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । श्री जयचन्द्र मोहिल ।

कत्ल व डकैतियां

६६८. श्री जयचन्द्र मोहिल (कपासन) : क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) सन् ५५-५६ व ५६-५७ में कुल कितने कत्ल व डकैतियां हुईं तथा वे अपेक्षाकृत गत वर्षों से कम हैं या ज्यादा ?

(२) कृपया उपरोक्त कत्ल और डकैतियों का जिले वाइज़ ब्योरा अलग अलग सन् का देने का कष्ट करें ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास, गृह मन्त्री की अनुपस्थिति में):

(१) १८७ डकैती और ७६८ हत्याओं और १५२ डकैती तथा ७६५ हत्याओं की रिपोर्ट दर्ज हुई। डकैतियों की संख्या में कमी हुई किन्तु हत्याएं सन् १९५३ और १९५४ की संख्या की अपेक्षा कुछ अधिक हुईं, फिर भी सन् १९५२ की संख्या की अपेक्षा कम हुईं।

(२) कृपया साथ लगा हुआ स्टेटमेंट देखिये जो सदन की मेज पर रखा गया है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री जयचन्द्र मोहिल : डकैतियां बढ़ने के क्या कारण हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : डकैतों की एक्टिविटीज़ ज्यादा रही हैं।

श्री सोहनलाल भटनागर : इसमें कितनी कमी हुई है ....

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।,(श्री गिरधारीलाल।

बीज वितरण तहसील नोखा

६६९. श्री गिरधारीलाल (नोखा) : क्या कृषि मन्त्री निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) नोखा तहसील में पिछले तीन वर्षों में प्रति वर्ष कितना बीज वितरण किया गया ?

(२) क्या उक्त तहसील के लिये यह काफी है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसमें वृद्धि करने का विचार कर रही है ?

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तक इसके आंकड़े उपलब्ध नहीं हुए हैं इसलिये नेक्स्ट टर्न पर रखा जाए।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । श्री तेजाराम ।

मोन्टेसरी स्कूलों में अध्यापिकाओं की नियुक्ति

६७० श्री तेजाराम (सोजत) : Will the Minister for Education be pleased to state :

(1) What are the qualifications required for the appointment of a Mistress in the Montessory school ?

(2) Is it a fact that the sister of Deputy Director of Education, Jodhpur who is only middle pass has been transferred to the Montessory School, Jodhpur.

Page No.11

(श्री तेजाराम)

(3) Is it a fact that Montessory trained mistresses were not Given the chance and one new graduate mistress, not a montessory trained has been appointed in Montessory School ?

(4) What are the reasons forn ot promoting or giving the chance to the senior graduate mistresses who are already in services ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास, शिक्षा मन्त्री की अनुपस्थिति में): १. मोन्टेसरी स्कूल में नियुक्ति के लिए निम्नलिखित योग्यता की अध्यापिकाएं होनी चाहिए।

मोन्टेसरी ट्रेनिंग में स्नातक या इन्टर या मैट्रिक किसी आवश्यक ट्रेनिंग सहित और कम से कम दो साल बच्चे पढ़ाने का अनुभव।

२. जी हां, यह सत्य है कि डिप्टी डाइरेक्टर ऑफ एज्युकेशन, जोधपुर की बहिन को उसकी बच्चे पढ़ाने की विशेष रुचि व झुकाव और प्रधान अध्यापिका की सिफारिश पर स्थानान्तर किया गया है। उसकी योग्यता इस प्रकार है :

(१) विद्या विनोदिनी

(२) शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा

(३) विद्याभवन से हस्तकला में डिप्लोमा

(४) बम्बई की ड्राइंग परीक्षा आई. जी.डी. व

(५) प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापिका।

उसे मोन्टेसरी स्कूलों का ग्रेड नहीं दिया गया है, जो ११०–२२५ है, लेकिन उसे अस्थायी समय के लिए ११०–२२५ के स्थान पर अपने ही वेतन व ग्रेड पर जो ४५–२–५५ है, स्थानान्तर करके भेजा है।

३. मोन्टेसरी स्कूल की अध्यापिका की निर्धारित योग्यताओं के अनुसार इन्टर व मैट्रिक अध्यापिकाओं के लिए मोन्टेसरी प्रशिक्षण के अतिरिक्त दो साल का बच्चों को स्कूल में पढ़ाने का अनुभव होना जरूरी है। जोधपुर की मोन्टेसरी प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापिकाओं को पढ़ाने का आवश्यक अनुभव प्राप्त नहीं है। स्नातक अध्यापिका यद्यपि मोन्टेसरी प्रशिक्षित है, फिर भी बच्चों को स्कूल में पढ़ाने का अनुभव रखती हैं और इसलिए कोई उपर्युक्त योग्यता की अध्यापिका नहीं मिल जाती तब तक के लिए अस्थायी रूप से नियुक्त की गई है। उसे भी मोन्टेसरी प्रशिक्षित अध्यापिका का ग्रेड नहीं दिया गया है, लेकिन अप्रशिक्षित स्नातक ग्रेड में सिर्फ ६० रु० मासिक पर ११०–२२५ के ग्रेड के विरुद्ध नियुक्ति की गई है।

४. जोधपुर की तमाम प्रशिक्षित स्नातक अध्यापिकाएं पहले से ही प्रशिक्षित स्नातक ग्रेड में हैं। अप्रशिक्षित स्नातक अध्यापिकाएं जो बच्चों के स्कूल में पढ़ाने का अनुभव नहीं रखती वे इस स्कूल के लिए लाभप्रद नहीं होंगी और इसीलिये एक स्नातक अध्यापिका को जिसे बच्चों के स्कूल में पढ़ाने का पूर्व अनुभव है, उसे अस्थायी रूप से सिर्फ इस सत्र के अन्त तक के लिए नियुक्त किया है।

श्री तेजाराम : जैसा कि आपने अपने उत्तर में बताया कि मोन्टेसरी

Page No.12

(श्री तेजाराम)

ट्रेनिंग में स्नातक या इन्टर या मैट्रिक किसी आवश्यक ट्रेनिंग सहित और कम से कम दो साल बच्चों को पढ़ाने का अनुभव होना चाहिए। मगर आपने प्रश्न (२) में बताया कि डिप्टी डाइरेक्टर ऑफ एज्युकेशन की बहिन की इस प्रकार की क्वालीफिकेशन नहीं है तो फिर उसको क्यों लिया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने आपको बताया, in view of her interest and aptitude for child education, recommendation of the Head-mistress and non-availability of mistress with requisite experience of teaching.

श्री तेजाराम : जब उनकी योग्यता जैसी होनी चाहिए थी, नहीं थी तो उसको क्यों लिया गया और दूसरों को क्यों नहीं लिया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसके लिए मैंने आपको कारण बताये हैं कि उनको क्यों लिया गया। प्रश्न के उत्तर (३) और (४) में दिया है। टीचिंग एक्सपीरियेन्स दो साल का था। इसलिए इनको प्रधान अध्यापिका की सिफारिश पर लिया गया।

श्री तेजाराम : तो क्या यह माना जावे कि रूल्स प्रधान अध्यापिका की सिफारिश पर रिलेक्स किये जा सकते हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अगर बच्चों के पढ़ाने का किसी को दो साल का अनुभव नहीं हो और निर्धारित योग्यता के अनुसार नोन एवेलेबल अध्यापिका हो और अध्यापिका की आवश्यकता हो तो उसको हैड मिस्ट्रेस की सिफारिश पर लिया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा।

यज्ञनारायण हॉस्पिटल, किशनगढ़

९७१ : श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यज्ञनारायण हॉस्पिटल, किशनगढ़ में जो नर्स व कम्पाउन्डरों के क्वार्टर आधे ही बने हुए हैं उनको तैयार करने के लिए व डॉक्टर के लिए क्वार्टर नया बनाने की कोई योजना है ?

(ख) अगर हां, तो इनका काम कब शुरू कर दिया जावेगा ?

निर्माण मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) कार्य चल रहा है।

प्रश्न संख्या ९७२

श्री अध्यक्ष : श्री जगदीश प्रसाद माथुर।

(अनुपस्थित)

नेक्स्ट, श्री बेनाराम गहलोत।

लैन्ड टेगेज मोर्बैंक

९७३. श्री बेनाराम गहलोत (खारची) : क्या सहकारी विभाग मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(श्री बेनाराम)

१. राजस्थान Land Mortgage Bank की स्थापना कब हुई ?

२. यह बैंक किन कार्यों के लिए ऋण देता है और कितने समय के लिये ?

३. उपरोक्त बैंक ने आज तक कितना ऋण कितनी आसामियान को दिया है ?

४. उपरोक्त बैंक की शाखाएं कहां कहां पर खोली गई हैं और भविष्य मे कहां कहां पर खोलने की योजना सरकार के विचाराधीन है ?

सहकारी मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : १. २६-३-५७ को

२. इस बैंक की स्थापना कृषकों को दीर्घकालीन ऋण निम्न कार्यों के लिये उपलब्ध करने हेतु की गई है और उस ऋण को चुकाने की अवधि अधिक से अधिक १५ वर्ष होगी।

१. कृषि भूमि एवं कृषि उपज की विधि को सुधारने हेतु।

२. जमीन क्रय के हेतु, ताकि भूमि पर व्यक्तिगत सदस्यों का अधिकार हो जाने से इकोनोमिकली कार्य कर सकें।

३. कृषि भूमि को जो कि रहन की हुई है छुड़ाने हेतु।

४. अन्य पुराने कर्जे चुकाने हेतु।

५. अभी तक किसी को नहीं दिया गया।

६. अभी कहीं नहीं और न ही भविष्य में खोलने का विचार है।

श्री बेनाराम : यह बैंक किस सिक्योरिटी पर ऋण देता है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह जमीन की सिक्योरिटी पर देगा।

श्री बेनाराम : क्या व्यक्तिगत सदस्य को भी उसकी हैसियत पर दिया जावेगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : व्यक्तिगत भी दे सकते हैं और सिक्योरिटी पर भी दे सकते हैं।

प्रश्न संख्या ६७४

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

(अनुपस्थित)

नेक्स्ट, श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री।

सड़क निर्माण

६७५. **श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री** (आमेर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि तहसील जयपुर के अन्तर्गत कस्बा झोटवाड़ा से एक सड़क ग्राम निवारू होकर आगे तक बनाई जा रही है ?

(ख) यदि हां, तो इसके टेन्डर्स कब मांगे गये और सड़क कब तक पूरी हो जायगी ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) जी हां। एक सड़क झोटवाड़ा, कालवाड़ा, हादोज होकर बनाने की योजना है, किन्तु यह निवारू होकर नहीं जावेगी।

(ख) २०-७-५६, २८-१-५७, ६-५-५७, २७-५-५७, ५-११-५७, १७-२-५८ और

Page No.14

(श्री नाथूराम मिर्धा)

१८-२-५८ को। टेन्डर स्वीकृत होने पर कार्य चालू किया जावेगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री शंकरलाल।

लघु सिंचाई योजना

९७६. श्री शंकरलाल (रायपुर) : क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत राजस्थान में लघु सिंचाई योजनाओं में कौन कौन सी योजना किस किस जिले में स्वीकृत हो चुकी है ?

(ख) इन योजनाओं में प्रत्येक में कितना रुपया व्यय होगा और प्रत्येक द्वारा कितनी भूमि की सिंचाई होगी ?

(ग) कितनी और कौन कौन सी योजनाओं के तखमीने का कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हो सका है ?

(घ) तखमीने का कार्य पूर्ण होने में देरी के क्या कारण हैं ?

उप सिंचाई मन्त्री (श्री भीखाभाई) : (क) द्वितीय पंच वर्षीय योजना में ३१ जनवरी १९५८ तक स्वीकृत की हुई लघु सिंचाई योजनाओं की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) सदन की मेज पर रखी गई सूची के कालम ३ व ४ का अवलोकन करने की कृपा करें।

(ग) सदन की मेज पर रखी गई सूची के कालम नं० २ तीन व ५ का अवलोकन करें।

(घ) सर्वे, तखमीना बनाने व वरिष्ट अफसरों द्वारा उसकी जांच पड़ताल करने में योजना की महत्ता के अनुसार आवश्यक समय लगता ही है, कोई विशेष देर नहीं होती है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री शंकरलाल : क्या स्टाफ की कमी होने में तखमीना बनाने में देरी होती है, यह सही है ?

श्री भीखाभाई : यह सही नहीं है।

श्री शंकरलाल : क्या यह सही है कि पाली जिले की लघु सिंचाई का तखमीना इसी वजह से नहीं बनाया गया और सरकार द्वारा जवाब मिला ?

श्री भीखाभाई : यह सूचना मुझे नहीं है।

श्री शंकरलाल : क्या सरकार इसकी जांच करके जवाब देगी ?

श्री भीखाभाई : कुछ सर्वे हो चुकी है। रायपुर का तखमीना तैयार होने वाला है। मैं समझता हूं माननीय सदस्य को इसी में ज्यादा दिलचस्पी है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री।

माध्यमिक विद्यालय, इटावा भोपजी आमेर

९७७. श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री (आमेर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री)

(क) क्या यह सत्य है कि सन् १९५६-५७ में मिडिल स्कूल इटावा भोपजी, तहसील आमेर के सुधरवाने हेतु कुछ रुपया स्वीकार किया गया ?

(ख) यदि हां, तो कितना और कितने रुपये की लागत की मरम्मत कराई गई ?

(ग) शेष स्कूल की दीवार फूटी हुई है और कुछ कमरे बिना छत पड़े हुए हैं, उन्हें कब तक पूरा करवाया जायेगा ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) इटावा भोपजी मिडिल स्कूल के भवन में कुछ कार्य पी. डब्ल्यु. डी. द्वारा माह मार्च १९५६ में करवाया गया था। शिक्षा विभाग ने कोई रुपया स्वीकार नहीं किया।

(ख) मरम्मत का कार्य पी. डब्ल्यू. डी. द्वारा ही किया गया था। इस विभाग की ओर से कुछ खर्चा नहीं किया गया। पी. डब्ल्यु. डी. द्वारा ५७० रुपये का कार्य हुआ था।

(ग) स्कूल की फूटी हुई दीवार और छः कमरों की मरम्मत कराने हेतु पी. डब्ल्यु. डी. को लिख दिया गया है। आशा है, अगले साल के बजट की स्वीकृत आने पर यह कार्य पूरा कराने का प्रयत्न किया जावेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री रिद्धिचन्द पालीवाल।

गंगापुर नादोती गुढ़ाचन्द्रजी सड़क

९७८. श्री रिद्धिचंद पालीवाल (गंगापुर) : क्या निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या सरकार को मालूम है कि गंगापुर नादोती गुढ़ाचन्द्रजी रोड का काम चार साल से चल रहा है ?

(२) यदि हां, तो काम पूरा क्यों नहीं हो रहा है जब कि इस सड़कके जोन वाइज़ अलग अलग ठेकेदार हैं।

(३) अब कब तक काम पूरा हो जाने की आशा है ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) जी हां। ठेकेदार द्वारा काम बन्द करने के कारण तथा निकट में खानों का अभाव।

(नोट : प्रश्न के भाग २ व ३ का कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री अध्यक्ष : श्री रामकरणसिंह।

शिक्षण संस्थायें

९७९. श्री रामकरणसिंह (कोटपुतली) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे :

(क) अप्रैल १९५२ से ५७ तक जिला जयपुर में कॉलेज, हायर सेकन्डरी व हाईस्कूल कहां कहां खोले गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(ख) क्या जिला जयपुर में कोई ऐसी भी तहसील है जिसमें मिडिल स्कूल व हाईस्कूल १९५२ से ५७ तक नहीं खोले गये हैं ?

(ग) यदि हां, तो वे कौन २ सी हैं और वहां न खोले जाने के क्या कारण हैं ?

(घ) क्या तहसील कोटपुतली में राजस्थान बनने के बाद मिडिल व हाईस्कूल खोला गया ?

(श्री रामकरणसिंह)

(ङ) यदि हां, तो कब और कहां ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(च) क्या सरकार की इस तहसील में मिडिल, हायर सेकन्डरी स्कूल कॉलेज खोलने की योजना है ?

(छ) यदि हां, तो कहां २ और कब और नहीं, तो क्यों नहीं ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास, शिक्षा मंत्री की अनुपस्थिति में) : (क) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(ख) जी हां ।

(ग) जयपुर जिले में निम्न तहसीलों में ५२ से ५७ तक मिडिल व हाई स्कूल नहीं खोले गये हैं । इनमें से दौसा, किशनगढ़ तथा कोटपुतली में ये संस्थायें पहले से ही थीं ।

१. तहसील दौसा ।

२. तहसील सांगानेर ।

३. तहसील कोटपुतली ।

४. तहसील अराई ।

५. तहसील किशनगढ़ ।

विभाग द्वारा निर्धारित क्राइटेरिया को पूरा न करने पर इन तहसीलों में किसी भी स्थान पर मिडिल, हाई अथवा हायर सेकन्डरी स्कूल नहीं खोले गये ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) क्योंकि वहां पहले से ही ६ मिडिल स्कूल्स तथा १ हाई स्कूल हैं ।

(च) मिडिल व हायर सेकन्डरी स्कूल निर्धारित आधारों पर खोले जाते हैं । यदि कोटपुतली तहसील के स्कूल इन आधारों को पूरा करेंगे तो आगामी सत्र से खोलने के प्रश्न पर भी इनकी उपयुक्तानुसार अवश्य विचार किया जावेगा ।

(छ) यह अभी नहीं कहा जा सकता कि अब और कहां कहां खोले जावेंगे ।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री रामकरणसिंह : क्या यह सही है कि तहसील रायना कोटपुतली में स्कूलों के उनके अनुसार क्राइटेरिया होने पर भी वहां स्कूलें शुरू नहीं की गई हैं जब कि डेवलपमेन्ट कमेटी ने सेन्क्शन कर दी थी ? यह क्यों नहीं किया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह मेरी जानकारी में नहीं है । मैं इसकी जानकारी कर लूंगा कि यदि क्राइटेरिया पूरा कर लिया तो आयन्दा उन पर विचार कर लिया जावेगा ।

श्री रामकरणसिंह : आपने फरमाया कि कोटपुतली उस क्राइटेरिया में नहीं है तो जो जानकारी आपने दी है वह सही है या झूठी है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : उन जगहों पर इस प्रकार की इन्स्टीट्यूशन्स काफी मौजूद हैं ।

श्री पुरुषोतमलाल : हाई स्कूल खोलने का आधार क्या है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसके लिए कई दफा पहले भी अर्ज किया जा चुका है

(श्री दामोदरलाल व्यास)

कि क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। छात्रों की संख्या, बिल्डिंग आदि की सुविधा यह सब देखा जाता है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

जयसमन्द झील की मछलियों का ठेका

९८०. श्री सोहनलाल (सलूम्बर) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) गत चार वर्षों में उदयपुर जिले में स्थित जयसमन्द झील की मछलियों के ठेके से कुल कितनी आमदनी हुई ?

(ख) उक्त ठेके की अवधि कब समाप्त हुई ?

(ग) क्या उक्त ठेकेदार ने नियमों के बेतहाशा ढंग से मछलियां पकड़ी हैं ?

(घ) सरकार के किस २ अधिकारी ने कब २ इस बारे में जांच की है ?

(ङ) उक्त ठेकेदार में ठेके व मजदूरों की कितनी २ रकम बकाया है ?

(च) क्या इसी ठेकेदार को आयन्दा वर्ष के लिये भी ठेका दिया गया है ?

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) गत चार वर्षों में जयसमन्द झील की मछलियों के ठेके से कुल १,२०,०००) रु० आमदनी हुई, ३० हजार रु० सालाना की दर से।

(ख) १५ जनवरी, सन् १९५८।

(ग) जी नहीं, ऐसी शिकायत सरकार को नहीं मिली।

(घ) मत्स्य निरीक्षक कोटा द्वारा दिनांक २५-७-५५, २५-१०-५६, ६-११-५७, ८-६-५७ व ७-१०-५७ को जांच की गई।

(ङ) कोई रकम बकाया नहीं है।

(च) इसी ठेकेदार को आयन्दा ५ साल के लिये (राज्य की आज्ञा एफ ७ (३०) एग्रीकल्चर ५७ दिनांक ११-१२-५७ के अनुसार) ठेका दिया गया।

श्री सोहनलाल भटनागर : क्या ठेके की मियाद समाप्त होने पर उसको दूसरा ठेका दिया गया अथवा उसी को एक्सटेन्ड किया गया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : उसी को दिया है। पहले का जो एग्रीमेन्ट था उसमें यह शर्त थी कि यदि यह व्यापारी आगे आने वाले पांच वर्षों में ६ महीने पहले अपना ऑप्शन एक्सरसाइज़ कर दे तो उसको यह ठेका दिया जावेगा। उसने यह ऑप्शन दिया और उसी ठेकेदार को एग्रीमेन्ट के अनुसार रिन्यु करना पड़ा।

श्री पी० के० चौधरी : ऐसी शर्त रखने का क्या कारण है ? ऑप्शन पर क्यों नहीं रखते ?

श्री नाथूराम मिर्धा : नया नया काम शुरू किया था। राजस्थान बनने से पहले ठेका चला आ रहा था। एग्रीमेन्ट था, उसमें भी यह क्लॉज़ था।

श्री पी० के० चौधरी : आपको ऑप्शन से देने में क्या एतराज था ?

Page No.18

श्री नाथूराम मिर्धा : यह जनरल बात तो ठीक ही कह रहे हैं और यह राज्य की आमदनी को ध्यान में रखते हुए सही बात भी है, लेकिन जब कोई किसी व्यक्ति के साथ एग्रीमेन्ट हुआ होता है और उसमें इस प्रकार की शर्तें हो तो दोनों पार्टीज़ के हाथ बंध जाते हैं।

श्री सोहनलाल भटनागर : क्या यह सही है कि ठेका रिन्यु करने से पूर्व सरकार का और मजदूरों को चुकारा करना बाकी था ?

श्री नाथूराम मिर्धा : अभी तो नहीं है।

श्री सोहनलाल भटनागर : उस वक्त था क्या ?

श्री नाथूराम मिर्धा : पर्टिकुलर डेट की कहते हैं, तो मुझे पता नहीं है।

श्री पी० के० चौधरी : राजस्थान बनने के बाद जब तमाम एग्रीमेन्ट समाप्त हो गये तो इस ठेकेदार का एग्रीमेन्ट कैसे बाकी रहा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आप जिद से सवाल पूछते है। लीगल इम्प्लीकेशन्स पूछते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सब एग्रीमेन्ट्स खत्म नहीं हुए।

एक माननीय सदस्य : सब से पहले ठेका कब दिया गया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह मुझे मालूम नहीं है।

एक माननीय सदस्य : ठेके के लिए दूसरों की भी दरख्वास्तें आयीं थीं या नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सौ आ सकती हैं, लेकिन कानून से हाथ बंधे हुए थे।

श्री सोहनलाल भटनागर : सबसे पहले ठेका किसने और कब दिया था, जिसमें यह शर्त थी कि ठेका एक्सटेन्ड कर दिया जावेगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : पांच साल का ठेका चल रहा था और उस एग्रीमेन्ट में यह शर्त थी कि ६ महीने पूर्व ऑप्शन दे सकता है और रिन्यू करवा सकता है।

श्री मुरलीधर व्यास : हाथ कहां और किस तरीके से बंधे हुए थे ? खुल क्यों नहीं सकते ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने काफी समझा दिया है।

श्री पी० के० चौधरी : सरकार को कोई अधिकार है, विधान सभा में कोई कानून बना रहे हैं उसको बदलने के लिए....

(घंटी)

प्रश्न संख्या ६८१

श्री अध्यक्ष : श्री मुक्तिलाल मोदी।

(अनुपस्थित)

श्री रामनारायण वर्मा।

बस सर्विस, अजमेर, जयपुर।

६८२. **श्री रामनारायण वर्मा :** (पीपलदा) क्या यातायात मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) अजमेर-जयपुर रूट पर किन २

Page No.19

(श्री रामनारायण वर्मा)

व्यक्तियों को बस सर्विस चालू करने के लिये हाल ही में स्वीकृति कितने समय के लिये व किन शर्तों पर प्रदान की गई है ?

(२) स्वीकृति किस अधिकारी द्वारा व कब प्रदान की गई है ?

(३) क्या उक्त रूट के लिये आवेदन पत्र मांगे गये थे ? यदि हां, तो कब ?

यातायात मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१)सूची'ए' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(१) १५-१-५८ से २८-२-५८ तक के रोटेशन से गाड़ियां चलाने की शर्त पर।

(२) आर.टी.ए. जयपुर द्वारा ता० ११.१.५८ को।

(३) हां। ७-१२-५७ को।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री अध्यक्ष : श्री जयचन्द मोहिल ।

मधु मक्खी पालन

६८३. श्री जयचन्द मोहिल (कपासिन) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या राज्य सरकार ने मधु मक्खी पालन हेतु कोई कदम उठाया है ? यदि हां, तो कब से किस किस जिले में और उसमें अब तक कितनी सफलता मिली है ?

(ख) क्या इस विषय में किन्हीं को प्रशिक्षण के लिये कोई योग सरकार ने दिया था ? यदि हां, तो किस किस को किस रूप में और कब तथा उसमें कितनी धन राशि खर्च हुई ?

(ग) प्रशिक्षण पाने वालों ने किस किस संस्था में शिक्षा प्राप्त की और उसमें वे कितने सफल हुए ?

(घ) क्या सरकार को मालूम है कि 'अधिक अन्न उपजाओ' नीति में मधु मक्खियां अधिक सहायक होती हैं ?

उप उद्योग मन्त्री : (श्री खिवचन्द धारीवाल : (क) हां दिनांक १-४-५७ से राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के अन्तर्गत निम्नलिखित जिलों में, उनके नाम के आगे लिखे स्थानों पर, मधुमक्खी पालन केन्द्र चलाए जा रहे हैं :

जिला	स्थान
सिरोही	माउन्ट आबू
उदयपुर	कुम्भलगढ़।

(ख) नहीं। अभी तक किसी भी व्यक्ति पर शिक्षण हेतु कोई रकम खर्च नहीं की गई और न शिक्षण दिलाया गया।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) हां।

श्री अध्यक्ष : श्री लालूराम।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जिला टोंक में सड़कों का निर्माण

६८४. श्री लल्लूराम (टोंक) : क्या

Page No.20

(श्री लल्लूराम)

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) दूसरी पंचवर्षीय योजना में जिला टौंक में नई सड़कें कितनी और कहां २ बनाये जाने की योजना है ?

(२) उपरोक्त सड़कें कब तक बन कर तैयार हो जायगी और उन पर कितना रुपया खर्च होगा ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) तीन । (१) चौली से निवाई जराना रोड, (२) दूनी से टौंक देवली रोड और (३) टोडा रायसिंह से जराना रोड।

(२) क्रमशः २,००,०००), ४८,०००), ४,६०,०००) रुपया । ये सड़कें तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम चरण तक समाप्त हो जावेगी ।

प्रश्न संख्या ९८५

श्री अध्यक्ष : श्री रामेश्वरदयाल ।

(अनुपस्थित)

श्री मुरलीधर व्यास ।

राजसमन्द झील की मछलियों का ठेका

९८६. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या कृषि मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(१) राजसमन्द झील में मछली का ठेका किसको, कब व कितने रुपये में दिया गया है ?

(२) क्या इसके लेने के लिये अधिक दाम देने का किसी ने प्रार्थना-पत्र दिया था ?

(३) क्या सरकार ने ठेके देने के सामान्य नियमों का पालन किया है ?

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) नहीं दिया गया है ।

(२) प्रश्न ही नहीं पैदा होता ।

(३) प्रश्न ही नहीं पैदा होता ।

(विराम)

श्री अध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल ।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ ।

श्री अध्यक्ष : आप एक प्रश्न पूछना चाहते हैं ।

श्री मुरलीधर व्यास : आपने बताया कि ठेका नहीं दिया गया है तो यह ठेका क्यों नहीं दिया जा रहा है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ठेका इसलिए नहीं दिया जा रहा है कि वह प्राइवेट प्रोपर्टी में है । दूसरा वह धार्मिक स्थान भी है,इसलिए मछलियां पकड़वाना वाजिब नहीं समझते ।

श्री अध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल ।

कन्या उच्चतर व माध्यमिक विद्यालय

९८७. **श्री गिरधारीलाल** (नोखा) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे ;

(श्री गिरधारीलाल)

(क) राजस्थान के किस जिले में लड़कियों के हाई स्कूलों और मिडिल स्कूलों की तादाद सबसे अधिक है ?

(ख) राजस्थान के किस जिले में हाई स्कूल व मिडिल स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों की तादाद सबसे अधिक है ?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री, शिक्षा मन्त्री की अनुपस्थिति में) : (क) राजस्थान के अजमेर जिले में लड़कियों के हाई स्कूलों व जयपुर जिले में मिडिल स्कूलों की तादाद अधिक है।

(ख) लड़कियों के पढ़ने की तादाद उपरोक्त जिलों में ही अधिक है।

श्री अध्यक्ष : श्री रावतराम।

कृषि सहकारी समिति, बाडमेर

९८८. **श्री रावतराम** (बालोतरा) : क्या मन्त्री सहकारी विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) जिला बाडमेर में ऐसी कितनी सहकारी समितियां हैं, जिनके पास काश्त करने के लिए कोई भी भूमि नहीं है ?

(ख) क्या सरकार उपरोक्त समितियों को शीघ्र ही भूमि दिलाने का प्रबन्ध करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

सहकारी मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) बाडमेर जिले में कोई फार्मिंग सहकारी समिति पंजीबद्ध नहीं की हुई है, अतः काश्त के लिये भूमि दिलवाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

विद्या भवन, टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, उदयपुर

९८९. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर): क्या शिक्षामन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

क्या यह सत्य है कि विद्या भवन, टीचर्स ट्रेनिंग कालेज, उदयपुर केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता द्वारा विद्यार्थियों के अनुशासनहीनता के कारण पर शोध-कार्य कर रहा है ?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री, शिक्षा मन्त्री की अनुपस्थिति में) : जी हां।

श्री मुरलीधर व्यास : यह शोध कार्य कब से चल रहा है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : भारत सरकार ने इस संस्था को इस संबन्ध में कुछ ग्रान्ट दी है, उसमें वे अपना रिसर्च वर्क कर रहे हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं तो पूछ रहा हूँ कब से शोध-कार्य चल रहा है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : संवत् और तारीख तो मेरे पास नहीं है, जानकारी करके आपको बता सकता हूं।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या सरकार यह महसूस करती है कि अनुशासनहीनता है, इसलिए शोध-कार्य कराया जा रहा है ?

Page No.22

श्री दामोदरलाल व्यास : भारत सरकार ने इसी सिलसिले में ग्रान्ट दी है और उसी उसी पर रिसर्च हो रहा है।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या भारत सरकार अनुशासनहीनता के शोध-कार्य के लिये यह ग्रान्ट-इन-एड दी है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने पहले ही कह दिया, "जी हां।"

चालचिड़ा गैरोटा (गंगापुर) रोड

६६०. श्री गज्जा पटेल (मीणापट्टी) : क्या निर्माण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या सरकार की चालचिड़ा गैरोटा गंगापुर सड़क बनाने की योजना है ?

(२) यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों नहीं ?

यातायात मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) जी नहीं।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

(३) अर्थाभाव के कारण।

(४) जी नहीं।

पाठ्य पुस्तकें-प्राथमिक कक्षायें

६६१. श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : (किशनगढ़) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

किशनगढ़ सब-डिवीज़न में अब तक प्राइमरी क्लासों की पाठ्य पुस्तकें नहीं पहुंचने के क्या कारण हैं और वे कब तक पहुंच जावेंगी ?

राजस्व मंत्री : (श्री दामोदरलाल व्यास शिक्षा मन्त्री की अनुपस्थिति में) : प्राइमरी कक्षाओं की पाठ्य पुस्तकें काफी मात्रा में पहुंचाई जा चुकी हैं। कुछ पुस्तकें छापेखाने से छप कर नहीं आने के कारण नहीं पहुंचाई जा सकी।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : क्या ये पुस्तकें इम्तहान होने के बाद पहुंचायी जायंगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, पाठ्य पुस्तकों के संबन्ध में माननीय मुख्य मन्त्री काफी बता चुके हैं। मैं समझता हूं, उससे माननीय सदस्यों को सन्तोष होना चाहिये। माननीय सदस्य की सूचना के लिये जो जो पाठ्य पुस्तकें पहुंची वे मैंने बता दी हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या ये पाठ्य पुस्तकें इन्स्पेक्टर ऑफ स्कूल्स के पास उपलब्ध नहीं हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जो पुस्तकें छप चुकी हैं, वे तो उपलब्ध हैं और इसके अलावा सदन के नेता ने इस संबन्ध में पहले काफी जानकारी दे दी है।

श्री अध्यक्ष : अगले सेशन तक पुस्तकें पहुंचा दी जायंगी।

बस सर्विस

६६२. श्री महादेवप्रसाद बंका (खेतड़ी) : क्या यातयात मन्त्री निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

Page No.23

(श्री महादेवप्रसाद बंका)

(१) प्रत्येक जिले में कितनी कितनी बस सर्विसेज़ अलग अलग रूट्स पर एक ही मालिक की चलती हैं ?

(२) इसमें कितने परमिट होल्डर्स ने अपनी गाड़ियां दूसरों को बिक्री कर दी हैं ?

यातायात मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) सूची साथ में दी गई है

(२) सूची सदन की मेज पर है।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री मुरलीधर व्यास : 'मालिक' की व्याख्या किस प्रकार से है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : परमिट जिसके नाम हो वही मालिक है।

श्री मुरलीधर व्यास : परमिट किसी को बेच दिया जाता है, फिर भी क्या वही मालिक रहता है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जहां तक हमारे विभाग का संबन्ध है कानूनी रद्दोबदल नहीं कराया जाता, हम तो उसी को मालिक मानते हैं।

श्री पी० के० चौधरी : क्या परमिट किसी दूसरे के नाम और गाड़ी कोई दूसरा चला सकता है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : हम तो जिसके नाम से परमिट होता है उसी के नाम से गाड़ी चलाना मानते हैं।

श्री पी० के० चौधरी : The permit is issued in the name of one person whereas some one else is plying the bus on the routes; is it possible ?

श्री नाथूराम मिर्धा : हम तो जिस के नाम से परमिट होता है उसी की गाड़ी मानते हैं प्राइवेट एग्रीमेन्ट चाहे कुछ भी हो।

श्री पी० के चौधरी : Whether the Government has taken any step ot check that the permit is in the name ot one person whereas the bus is plied by another person ? Have you any right to check it ?

श्री नाथूराम मिर्धा : If any complaint comes we can take action.

श्री मुरलीधर व्यास : क्या इस प्रकार की कोई शिकायत की जायगी तो कदम उठाया जायगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : बराबर।

श्री पी० के० चौधरी : Whether the permit is non-transferrable ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आर० टी० ओ० की इजाजत से ट्रान्सफर किया जा सकता है।

श्री आबिदअली : जिन लोगों ने ट्रान्सफर कर दिये हैं, क्या उन सब लोगों ने परमिशन ले ली है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : फिर से कहिये।

श्री आबिदअली : सरकार द्वारा ये सब परमिट्स ट्रान्सफर किये जा सकते हैं क्या ?

Page No.24

श्री नाथूराम मिर्धा : सरकार का इस में कोई लेना-देना नहीं है, यह तो आर० टी० ए० कर सकता है।

श्री आबिदअली : सरकार के पास इन बातों की शिकायत आयी है क्या कि परमिट किसी के नाम है, व गाड़ियां कोई चलाते हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आर० टी० ए० के पास शिकायतें आती हैं वे कार्यवाही करते हैं।

कन्या पाठशालायें, जिला गंगानगर

६६३. **श्रीमती सतवन्तकौर** (करनपुर): क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(१) क्या जिला गंगानगर के नहरी क्षेत्र के गांवों में राजकीय कन्या पाठशालायें चल रही हैं ? यदि हां, तो कितनी ?

(२) यदि कोई नहीं, तो क्यों ?

(३) सरकार उक्त क्षेत्र में इस कमी को कब तक पूरा करेगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री, शिक्षा मंत्री की अनुपस्थिति में): (१) जिला गंगानगर के नहरी क्षेत्र के गांवों में कोई राजकीय कन्या पाठशाला नहीं है, परन्तु जिले के तहसील शहरों में कुल ६ कन्या पाठशालायें हैं, जिनके विशेष विवरण निम्न प्रकार हैं :

तहसील	उच्च	माध्यमिक	प्रार्थमिक	योग
१. श्री गंगानगर	१	१	१	३
२. श्री करणपुर	–	१	१	२
३. पदमपुर	–	१	–	१ गजसिंहपुर
४. राजसिंहनगर	–	१	–	१
५. अनूपगढ़	–	–	२	२

विजयनगर

(२) गावों में कन्या पाठशाला न होने का निम्नलिखित कारण है :

(१) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के लिये पाठशालाओं में सह शिक्षा की व्यवस्था है, एवं सरकार की ओर से निर्देश है कि कन्याओं के लिये अलग पाठशालायें न खोली जावें। राजकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक पाठशालाओं में ५६१६ बालिकायें शिक्षा पा रही हैं, जो कि बालकों की संख्या की १८ प्रतिशत है। यदि किसी पाठशाला में २० से अधिक लड़कियां हों तो वहां एक अध्यापिका रखने का प्रयत्न किया जाता है। इस प्रकार कई पाठशालाओं में अध्यापिकायें नियुक्त की गई हैं तथा :

१. हिन्दूमलकोट २. पीली बंगा ३. ४२ एच.

इसके अतिरिक्त इस वर्ष जो ५ शहरी पाठशालायें खोली गई हैं उनमें ४ पाठशालाओं में बालक तथा बालिकायें सहशिक्षा प्राप्त कर रही हैं।

(२) गांवों में पाठशाला खोलने का प्रबन्ध किया भी जावे तो शिक्षित अध्यापिकायें गांवों में जाने के लिये तैयार नहीं होतीं, एवं उनके रहने का सन्तोषजनक प्रबन्ध किसी गांव में नहीं किया जाता है।

(३) शिक्षा विभाग की ओर से भरसक प्रयत्न किया जाता है कि बालक तथा बालिकाओं की शिक्षा माध्यमिक स्तर तक अधिक मात्रा में हो एवं इस चेष्टा के फलस्वरूप छात्र एवं छात्राओं की संख्या इस जिले में उत्तरोत्तर उन्नति कर रही है। इसके उपरान्त यह चेष्टा भी की जाती है कि प्राथमिक पाठशालाओं में

Page No.25

(श्री दामोदरलाल व्यास)

अध्यापक के स्थान पर अध्यापिका नियुक्त की जाये, परन्तु यह चेष्टा तभी फलीभूत हो सकती हैं जब कि अधिक संख्या में शिक्षित अध्यापिकायें ग्रामीण स्कूलों में जाने के लिये तैयार मिलें।

थानेदार शेरगढ़ (बांसवाड़ा) के विरु की गई शिकायतें

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : क्या गृहमंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या सरकार के समक्ष शेरगढ़ थानेदार, जिला बांसवाड़ा के खिलाफ कोई शिकायतें पेश हुई हैं ?

(२) यदि हां, तो क्या इन शिकायतों पर कोई जांच की गई है ? अगर की गई हो तो क्या परिणाम हुआ ?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री, गृह मंत्री की अनुपस्थिति में) : (१) जी हां। श्री रूप जी ने थानेदार शेरगढ़ के विरुद्ध शिकायत की थी।

(२) जी हां। शिकायत की जांच की गई और कुछ ग्रामीणों को पीटे जाने और महिलाओं को पूछताछ के लिये, उनके निवास स्थान से अन्य स्थान पर बुलाने के आरोप प्रामाणिक रूप से सिद्ध हो जाने से एस०-आई० के विरुद्ध विभागीय जांच की जा रही है।

श्री नाथूराम : जब वह थानेदार वहां की जनता को हैरान कर रहा है तो उसको दंड क्यों नहीं दिया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : उसके खिलाफ डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी चल रही है, जो ३ मार्च, १९५८ को शुरू हुई।

श्री नाथूराम : जब उसके खिलाफ सबूत हो गया है तो उसके खिलाफ कार्यवाही में ढील क्यों ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जब प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी हुई और प्राइमाफेसी केस बना, इसी लिये उसके खिलाफ डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी की जा रही है।

श्री तेजमल बाफना : क्या वह थानेदार अभी तक वहीं पर काम कर रहा है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसकी मुझे जानकारी नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस वक्त वह थानेदार किस जगह पर काम कर रहा है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसकी भी मुझे जानकारी नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जब प्राइमाफेसी केस बन गया है तो क्या उस थानेदार को मोअत्तिल किया गया है ?

श्री दामोदरलाल : इसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन यह मैंने कहा कि तीन मार्च, १९५८ से डिपार्टमेन्टलइन्क्वायरी हो रही है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, हमें यहां हर प्रश्न के उत्तर में यह जवाब मिलता है कि इसकी जानकारी नहीं, उसकी जानकारी नहीं; जब इस प्रकार के उत्तर आते हैं तो हमारा प्रश्न पूछने का क्या मतलब ?

Page No.26

श्री दामोदरलाल व्यास : जो प्रश्न से संबन्धित चीज़ हो उसकी तो जानकारी दी जा सकती है, लेकिन जो इर्रिलेवन्ट हो उसका जवाब कैसे दिया जा सकता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : रिलेवेन्ट और इर्रिलेवन्ट कहने का आपको कोई अधिकार नहीं, यह तो स्पीकर महोदय कह सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : इस संबन्ध में आप जल्दी कार्यवाही करें।

श्री नाथूराम : अध्यक्ष महोदय, वहां के लोग बहुत दुखी हैं लेकिन गवर्नमेन्ट बहुत ढील कर रही है। वह थानेदार पक्षपात और अन्याय कर रहा है, फिर भी उसको हटाया नहीं जा रहा है।

प्रश्न संख्या ६६५

श्री अध्यक्ष : श्री धर्मपाल।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ६६६

श्री सज्जनसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री नाथूराम।

गवर्नमेन्ट हाई स्कूल, गढ़ी

६६७ **श्री नाथूराम** (बागीडोरा) : क्या शिक्षामन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या सन् १९५० में स्थापित गवर्नमेन्ट हाई स्कूल, गढ़ी का परमानेन्ट रिकग्नीशन सरकार द्वारा केवल बिल्डिंग की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण ही रुका हुआ है?

(२) यदि हां, तो सरकार ने अब तक इस विषय में क्या कार्यवाही की है?

(३) क्या यह भी सरकार की जानकारी में है कि कमरों के अभाव में कुछ कक्षाएं वृक्षों के नीचे बिठाई जा रही हैं?

(४) यदि हां, तो कमरों की पूर्ति एवं वर्तमान बिल्डिंग की मरम्मत की जाने हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

(५) उक्त हाई स्कूल में स्टाफ की कमी की पूर्ति के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

(६) क्या सरकार आदिवासी क्षेत्र के इस एक मात्र हाई स्कूल को आगामी सत्र में हायर सेकन्डरी स्कूल में परिवर्तित करने का विचार रखती है?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री, शिक्षा मंत्री की अनुपस्थिति में) :(१) जी हां।

(२) पब्लिक कन्ट्रीब्युशन से तथा सरकारी सहायता से इस समय तक चारों कमरों का निर्माण हो चुका है जिसमें क्लासें चालू कर दी गई हैं। दो नये कमरे आजकल सरकारी सहायता से तामीर किये जा रहे हैं। पुरानी बिल्डिंग की मरम्मत का कार्य भवन एवं पथ-निर्माण विभाग की सहायता से शीघ्र होने की आशा है।

(३) विद्यार्थियों की संख्या बढ़ जाने से इस वर्ष दो क्लासेज़ को बाहर बिठाया जा रहा है। कक्षाओं के लिये कमरे शीघ्र तैयार करने की कार्यवाही जारी है।

(४) दो नये कमरे जो आजकल जेर तामीर हैं, बन जाने पर क्लासेज़ को बाहर

Page No.27

(श्री दामोदरलाल व्यास)

नहीं बैठना पड़ेगा। इस कार्य के लिये लोकल डवलपमेन्ट फण्ड से तीन हजार रुपये सरकारी सहायता दिए गए हैं। मरम्मत का कार्य शीघ्र कराए जाने के लिए निवेदन किया गया है और इस वर्ष हो जाने की आशा है।

(५) इस जिले में जिन विषयों को पढ़ाने के लिए अध्यापकों की आवश्यकता है जो उपलब्ध नहीं है, इसी कारण ट्रेन्ड ग्रेजुएट्स व ग्रेजुएट् अध्यापकों की पूर्ति नहीं की जा सकी है। जैसे ही ये अध्यापक मिल जावेंगे कमी पूरी कर दी जावेगी।

(६) आगामी सत्र से अन्य हाई स्कूलों को हायर सेकन्डरी स्कूल बनाते समय हाई स्कूल गढ़ी के प्रश्न पर भी भवन की सुविधा को देखते हुए इसकी उपयुक्तानुसार विचार किया जा सकेगा।

श्री नाथूराम : दूसरे स्थानों पर तो डबल शिफ्टें पूरी की जा रही हैं पर यहां एक को भी क्यों नहीं ठीक किया जा रहा है?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अर्ज किया न कि कार्यवाही की जा रही है। रेटेबल डिस्टिब्यूशन ही तो हो सकता है। और वह हम कर रहे हैं।

श्री नाथूराम : वर्षों से तहसील भर में यही एक हाई स्कूल है और इस पर भी विशेष ध्यान नहीं दिया जाता।

श्री दामोदरलाल व्यास : ध्यान पूरा है, इसलिए कमेटी बना रहे हैं।

श्री रामचन्द्र : ये कमरे कितने साल से बन रहे हैं?

श्री दामोदरलाल व्यास : कौनसा कमरा किस तारीख से बन रहा है, इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्री रामचन्द्र : इन कमरों की तामीर कब से शुरू हुई, यही बता दें।

श्री दामोदरलाल व्यास : That is not possible to collect so much information on this question.

इसकी बुनियाद ठेकेदार ने कब लगाई, क्या किया यह सब मेरे पास नहीं।

श्री पुरुषोत्तमलाल : शिलान्यास की तारीख तो होगी?

पुलिस विभाग के निम्न श्रेणी के कर्मचारियों का वेतन

६६८ **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) वर्तमान महंगाई में पुलिस विभाग के निम्न कर्मचारियों को क्या वेतन दिया जाता है?

(ख) क्या इस वेतन से रक्षा दल की पूर्ति इस समय में सम्भव है?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री, गृह मन्त्री की अनुपस्थिति में) : (क) निम्न श्रेणी के कर्मचारियों का वर्तमान 'पे' स्केल इस प्रकार है :

इन्सपेक्टर्स १५०।१०।२२० ई० बी० १०।२५०।१२।३५०

सब इन्सपेक्टर्स : ८०।५।१००।८।१४० ई० बी० १०।२००

Page No.28

(श्री दामोदरलाल व्यास)

असिस्टेन्ट सब इन्सपेक्टर्स ६०।४।८०।५। १०० ई० बी० ५/१३०

हैड कान्स्टेबल : ४०।१।४५।२।५५

कान्स्टेबल : ३०।१।५०

(२) जी हां।

अधिकारी, विकास खण्ड, बागीडोरा

९९९. श्री मोघजी भाई : (बांसवाड़ा) क्या मुख्यमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) ब्लाक डेवलपमेन्ट आफिसर, तहसील बागीडोरा की शैक्षणिक योग्यता क्या है, तथा वे इस पद पर कब से नियुक्त किये गये हैं ?

(ख) ३१ दिसम्बर, ५७ तक कितना यात्रा-व्यय उक्त अधिकारी ने किया तथा इन्हें शासकीय कार्य के लिये जो जीप दी गई उसके पेट्रोल पर ड्राइवर पर कितना खर्च किया गया ?

श्री सम्पतराम (उप विकास मन्त्री) : (क) मिडिल पास हैं। २ अक्टूबर, १९५६ से इस पद पर नियुक्त किये गये हैं।

(ख) ६५२.५६ नये पैसे यात्रा भत्ता व पेट्रोल व ड्राइवर पर २८००) रुपये खर्च हुई हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह ! मिडिल पास हैं, क्या कहा ?

श्री मोघजी भाई : क्या उनका सिलेक्शन पी० एस० सी० के द्वारा हुआ ?

श्री सम्पतराम : इसमें पी० एस० सी० के द्वारा सिलेक्शन का प्रश्न नहीं उठता।

श्री मोघजी भाई : उनका अपोइन्टमेंट कब किया गया ?

श्री सम्पतराम : इस पद पर उनकी नियुक्ति २ अक्टूबर, १९५६ को की गई है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : ऐसे मिडिल पास ब्लाक डेवलपमेन्ट आफिसर कितने हैं, राजस्थान में ?

श्री सम्पतराम : यह जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या इससे अधिक योग्यता का व्यक्ति ब्लाक डेवलपमेन्ट आफीसर के पद के लिये प्राप्त नहीं था ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कोरी शैक्षणिक योग्यता को ही, हम पूरी योग्यता नहीं मानते।

श्री पी० के० चौधरी : उसका ग्रेड क्या है ? What is his Pay scale ?

श्री सम्पतराम : इसका कोई सेपरेट ग्रेड नहीं है। पर जिस अफसर को इस पद पर रक्खा जाता है उनकी पहले जो पे मिलती रही उसके अतिरिक्त ७५) रुपया एलाउन्स के लिये अलग दिया जाता है।

श्री पी० के० चौधरी : What are the remunerations of the B. D. O.? Remuneration,s क्या है ?

श्री सम्पतराम : मैंने अर्ज किया कि सेपरेट पे स्केल नहीं रक्खी है। आर० ए० एस० सी० भी काम करते हैं, तहसीलदार भी काम करते हैं। पर जो उनकी एक्सटेन्टिव पे होती है इसको रिड्यूस नहीं किया जाता। In addition to it, ७५) रुपया अलाउन्स का और दिया जाता है।

श्री पी० के० चौधरी : इन पर्टिक्यूलर

० चौधरी)

जैन्टलमैन की तनख्वाह क्या है, जिसके बारे में बात हो रही है।

श्री सम्पतराम : यह मुझे निश्चित मालूम नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या बजट में डेवलपमेन्ट आफीसर का ग्रेड नहीं दिया है ?

श्री सम्पतराम : अभी ब्लाक डेवलपमेन्ट आफीसर का अलग से ग्रेड नहीं है। आर० ए० एस० को उसका ग्रेड मिलता है तहसीलदार को तहसीलदार का ग्रेड मिलता है और इसके अतिरिक्त ७५) रु० उसको और मिलता है।

श्री दयाकृष्ण विजय : इस व्यक्ति को ब्लाक डेवलपमेन्ट आफीसर बनाने में क्या कन्सीडरेशन था, ऐसी क्या खूबियां उस व्यक्ति में थी कि जिसके कारण आपने इस पद के लिये उनको चुना है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : हम काम देखते हैं। डेवलपमेन्ट के कामों में दिलचस्पी देखते हैं और यह देखते हैं कि वह विकास के कामों को कितना आगे ले जा सकता है। और काम को देखकर तरक्की भी करते हैं।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या इस सम्बन्ध में एम्प्लायमेन्ट एक्सचेन्ज को लिखा गया था कि हमें बी० डी० ओ० चाहिये।

श्री सम्पतराम : यह अलग सवाल है। जो आउट आफ सर्विस हो तो उसके लिये सोचने की जरूरत है, पर जो आलरैडी सर्विस में हो उसको लगाया जा सकता है। उसकी B. D. O............

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या उसके लिये एप्लीकेशन्स इन्वाइट की गई थीं ?

श्री सम्पतराम : जी नहीं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह तो बिल्कुल बैक डोर एन्ट्री है। किन्हीं साहब का रिश्तेदार है, यही क्वालिफिकेशन है।

श्री नाथूराम मिर्धा : छोटे अफसर भी होते हैं, उसको बी० डी० ओ० बना सकते हैं। पर आप कहते हैं, बैक डोर एन्ट्री है। मैं बैकडोर एन्ट्री नहीं मानता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ये तो फ्रन्ट डोर एन्ट्री मानते हैं ? पर है बिल्कुल बैक डोर।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप तो कहते रहिये हम लोग तो करते रहेंगे।

श्री पी० चौधरी : My question was a specific one, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : He say she does not know. Next......

प्रश्न संख्या १०००

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण।

(अनुपस्थित)

श्री हीरा।

बीज वितरण, जिला बांसवाड़ा

१००१. श्री हीरा (कुशलगढ़) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सन् १९५७ में जिला बांसवाड़ा के किसानों के फसल बोने हेतु कृषि विभाग द्वारा बीज वितरित किया गया था ?

(ख) यदि हां, तो खरीफ व रबी की फसल के लिये कितना-कितना वितरीत किया गया ?

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) हां।

(ख) रबी में गेहूं ६१५ मन २ सेर १३ छटांक। खरीफ में मक्का १०० मन व ग्राम २६ मन।

श्री हीरा : क्या इतना ही वहां के लोगों ने मांगा था ? इतने से क्या हुआ होगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : हां, जितना मांगा, उतना दे दिया। बीज ही तो है। खाने को थोड़े ही दिया था ?

श्री हीरा : कितनों ने कितने-कितने की मांग की थी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जितनी मांग की गई, वह सब पूरी कर दी गई।

(हंसी)

श्री मुरलीधर व्यास : मांग कितनी थी, यह तो बताइये।

श्री नाथूराम मिर्धा : जितना वितरण किया, उतनी ही मांग थी।

श्री हीरा : कितनी मांग की थी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वह मैंने मन सेर छटांक में बता दिया।

श्री हीरा : बाकी भी कोई दरख्वास रही ?

श्री नाथूराम मिर्धा : बाकी नहीं रही।

श्री हीरा : निकल जावे तो ?

श्री अध्यक्ष : उनको और दे देंगे।

(हंसी)

श्री नाथूराम मिर्धा उनको और दे देंगे।

सार्वजनिक सम्पर्क विभाग पर किया जाने वाला वार्षिक खर्च

श्री मुरलीधर व्यास- क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उतर देने की कृपा करेंगे :

(१) जन सम्पर्क विभाग पर सरकार का सालाना कितना खर्च होता है ?

(२) उक्त विभाग द्वारा अब तक जनता को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष क्या लाभ पहुंचा है ?

श्री दामोदरलाल व्यास राजस्वमंत्री (गृह मंत्री की अनुपस्थिति में) : (१) सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय के लिए सन् १९५६।५७ में ५,७६,४३२, स्वीकृत किये गये थे। इसके पिछले वर्ष में ४,२७,६३४, खर्च हुए थे।

(२) सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय का मुख्य उद्देश्य उन कार्यों की जनता तक जानकारी पहुंचाना है जो सार्वजनिक उपयोग के लिए सरकार द्वारा किये जाते हैं तथा जिन कामों में जनता का सहयोग अपेक्षित है उनके लिए में उत्साह उत्पन्न करने का कार्य सार्वजनिक सम्पर्क कार्यलय करता है। इसके अतिरिक्त सरकार की रीति नीति के सम्बन्ध में लोगों तक जानकारी पहुंचाने का दायित्व भी इसी कार्यालय पर है।

अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय समाचार पत्रों और पत्रकारों तक आवश्यक सामग्री पहुंचाता है। विभिन्न प्रकार का साहित्य निकालता है और जनता तक सीधा पहुंचने का भी प्रयत्न करता है। इस सब प्रयत्न का जनता को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष क्या लाभ पहुंचता है

Page No.31

(श्री दामोदरलाल व्यास)

इसका नियमित सर्वेक्षण कभी नहीं किया गया है। होना यह चाहिये कि जो महत्वपूर्ण कार्य विभाग करे, उनका क्या परिणाम निकला इसके बारे में समय समय पर वैज्ञानिक ढंग से जांच पड़ताल की जाय। इस प्रकार की जांच पड़ताल का अभी कोई प्रबन्ध नहीं है फिर भी यह कहा जासकता है कि सार्वजनिक सम्पर्क कार्यलय जो प्रयत्न कर रहा है उसके प्रति लोगों ने पर्याप्त रुचि दिखाई है। इसका मतलब यह है कि एक सीमा तक सम्बन्धित लोग लाभान्वित हुए हैं चूंकि गणतन्त्रीय व्यवस्था के अन्तर्गत जनता से सीधा और निरन्तर सम्पर्क सरकार और जनता दोनों के लिए आवश्यक है, इसलिये सार्वजनिक सम्पर्क कार्यलय की गतिविधियों में जितनी रुचि सरकार की है उतनी ही जनता को भी होनी चाहिये। राजस्थान में सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय को अभी थोड़ा समय ही हुआ है। जब पुनर्गठन हुआ है। और अब जिला कार्यालय नियमित रूप से संगठित किये जा रहे हैं अत: सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय को अपनी सेवाएं जनता तक पहुंचाने में अभी कुछ समय लगेगा।

श्री मुरलीधर व्यास : इसमें मंत्रियों के दौरे और उनके फोटोज़ का विज्ञापन भी शरीक है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अगर सार्वजनिक कार्य होता है तो यह भी शामिल है ही।

श्री मुरलीधर व्यास : फोटो और विज्ञापन जो हैं वो भी इसमें शरीक हैं क्या ?

श्री दामोदरलाल व्यास : फोटो वगैरह, जो जिस समय कोई सार्वजनिक कार्य होते हैं उस समय तो लिये ही जाते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : इससे जनता को क्या लाभ मिलता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मगर जो सार्वजनिक काम किये जाते है उन अवसरों पर फोटो खीची जाती हैं; जैसे बांध का निर्माण है और उसका प्रोपेगन्डा करना होता है इसलिए बंध के उद्घाटन के समय या उसके काम के बारे में फोटो लियें जाते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या पत्रकार लोग इस काम को नहीं कर सकते ? क्योंकि यह कार्य जब दूसरे लोग कर सकते हैं तो फिर सरकार को इसमें खर्च करने की क्या आवश्यकता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जैसा मैंने कहा कि प्रकाशन का और प्रचार का ताल्लुक और खास तौर से उन चीजों का जो प्लॉन वर्क है, वह इसी डिमार्टमेन्ट के ऊपर जिम्मेदारी है।

श्री जनार्दनराय नगर : क्या यह सही है कि उनसे यह कहा जाता है कि मंत्रियों की ही तस्वीरें ली जायें ?

श्री दामोदरलाल व्यास: नहीं-नहीं, ऐसी बात नहीं है।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या सरकार का पत्रकारों के ऊपर विश्वास नहीं है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : पूरा विश्वास है सरकार को।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह जो पांच लाख रुपया इस

(श्री मुरलीधर व्यास)

विभाग के ऊपर खर्च किया जाता है इसमें से फोटो पर कितना खर्च होता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसके लिए तो अलग से प्रश्न पूछिए, फिर बताया जा सकता है कि फोटोग्राफी सेक्शन पर कितना खर्च होता है ?

श्री मुरलीधर व्यास : क्या यह सही है कि इसमें अधिकांश खर्च इसी में लगता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह बात सही नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह तो वैसे ही फोटो खिंच रही है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए। एक अल्पकालीन सूचना प्रश्न है।

श्री टीकाराम पालीवाल : मैं एक विषय में कुछ पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : किस विषय में ?

श्री टीकाराम पालीवाल : मैं समझा, प्रश्न समाप्त हो गए।

श्री अध्यक्ष : नहीं।

(विराम)

श्री रामेश्वरदयाल।

(अनुपस्थित)

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं जवाब दे दूं।

श्री अध्यक्ष : अच्छा।

अल्पकाल सूचना प्रश्नोत्तर

कोटा नगर में फरवरी, ५८ से फिल्टर्ड पानी की दर में वृद्धि

श्री रामेश्वरदयाल (कोटा) : क्या निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

किन कारणों से राज्य सरकार ने कोटा नगर में १ फरवरी, सन् १९५८ से फिल्टर्ड पानी की दर में आठ आना प्रति हजार गैलन से बारह आना प्रति हजार गैलन वृद्धि किये जाने का आदेश जारी किया है ?

निर्माण मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : निम्नलिखित कारणों से पानी की दर बढ़ानी आवश्यक हो गई :

(१) रसायनिक वस्तुओं की कीमत और मजदूरी की दर बढ़ जाने से आठ आने का रेट सरकार को बहुत हानिकारक था और जल विभाग को लगातार घाटा हो रहा था।

(२) राज्य के अन्य स्थानों की अपेक्षा वहां का रेट कहीं अधिक कम था।

(३) पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ जल वितरण करने के हेतु विभाग द्वारा एक नवीन पॉवर हाउस की व्यवस्था की गई तथा लाइनों में वृद्धि कर विशेष हौज आदि का निर्माण भी किया गया।

श्री हीराभाई : क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि दरें बढ़ाने से पहले वहां की जनता को सूचना मिली थी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह कोई आवश्यक नहीं था।

श्री हीराभाई : तो दरें बढ़ाने का क्या कारण था ?

श्री नाथूराम मिर्धा : घाटे की पूर्ति करने के लिए।

Page No.33

१२-१५ म० प

जन-लेखा व प्राक्कलन समितियों के सदस्यों के मनोनयन सम्बन्धी

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि जन लेखा समिति और प्राक्कलन समिति के चुनाव हेतु निम्नलिखित उम्मीदवार नामजद किये गये हैं :

जन-लेखा समिति

१. श्री होतीलाल
२. श्री भीमसेन
३. श्री तनसिंह
४. श्रीमती गौरी पूनिया
५. श्री भवानी शंकर नन्दवाना
६. श्री परसराम
७. श्री सज्जनसिंह
८. श्री हरिदेव जोशी
९. श्री विश्वम्भरनाथ जोशी
१०. श्री रघुवीरसिंह
११. श्री बेनाराम गहलोत
१२. श्री लच्छूराम
१३. श्री शिवचरणदास
१४. श्री भैरोंसिंह (१४)
१५. कुमारी शन्नोदेवी
१६. श्री प्रभुलाल पुरोहित

प्राक्कलन समिति

१. श्री गिरधारीलाल
२. श्री मोहब्बतसिंह
३. श्री नाथूलाल
४. श्री बेनाराम गहलोत
५. श्री जगदीशप्रसाद माथुर
६. श्री दयाकृष्ण विजय
७. श्री बालमुकुन्द
८. श्री भोलानाथ
९. श्री लक्ष्मण हीरात
१०. श्री लादूराम मुलानिया
११. श्री रामदेवसिंह
१२. श्री लल्लूराम
१३. श्री मोतीलाल चौधरी
१४. श्री शंकरलाल
१५. श्री चुन्नीलाल
१६. श्री रामचन्द्र
१७. श्री लक्ष्मीचन्द
१८. श्री रघुवीरसिंह
१९. श्री प्रभुलाल पुरोहित
२०. श्री मुरलीधर व्यास
२१. श्रीमती प्रभा मिश्रा
२२. श्रीमती कमला श्रोत्रिय

श्री प्रभुलाल पुरोहित ने अपना नाम प्राक्कलन समिति व जनलेखा समिति से वापिस ले लिया है।

श्री बेनाराम ने अपना नाम जन-लेखा समिति से वापिस ले लिया है। अगर कोई और माननीय सदस्य अपना नाम वापिस लेना चाहे तो इस बारे में अभी सूचना दे सकता है।

श्री तनसिंह : ३ बजे तक दे सकता है।

श्री अध्यक्ष : अभी चाहें तो अभी दे सकते हैं उसको एलाउन्स कर देंगे, नहीं तो समय पर दे दें। श्री दामोदरलाल व्यास।

श्री पी० के चौधरी : On a point of information, Sir, the withdrawal is to be submitted in person by these persons or their proposer or seconder can submit the name ?

श्री अध्यक्ष : नामजदगी के पर्चे को वापिस लेने की तारीख २८-३-५८ को प्रश्नोत्तर के तुरन्त पश्चात्; इसका संबंध ३ बजे तक का, समय नहीं है। आप चाहें तो आधा घन्टे में तय करके बता दें।

श्री तनसिंह : मेरा ख्याल है कि उस आदमी का जो स्वयं खड़ा होता है, स्टेटमेन्ट होना चाहिए, ऐसा कुछ हो यदि प्रपोज़ल सेकन्डर से होता है तो ठीक बैठ सकता है। कुछ ऐसे माननीय सदस्य हैं जो समय पर नहीं आये हैं और उनको आने में कुछ समय लग सकता है। इसलिए मेरा ख्याल है कि इस समय को ३ बजे तक एक्सटेन्ड करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री अध्यक्ष : आपकी ऐसी इच्छा है तो ३ बजे तक समय एक्सटेन्ड किया जाता है।

श्री दामोदरलाल व्यास

१२.१८ म० प०

पचभद्रा में पेय-जल की कमी विषयक विशेषाधिकार प्रस्ताव पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : माननीय अध्यक्ष, जो प्रिविलेज मोशन सांचोर से आने वाले माननीय सदस्य ने पेश किया है, उसके मुतल्लक मैं स्टेटमेन्ट सदन के सामने पेश कर रहा हूं और वह इस प्रकार है :

पचभद्रा सिटी की सन् १९४१ की जनगणना के आधार पर २१०० जनसंख्या थी तथा इस समय २४०० का अनुमान है। पचभद्रा में पूर्व काल से ही पीने के पानी की कमी चली आ रही है। जोधपुर राज्य के समय में भी यह समस्या उपस्थित थी और केवल ५०० रुपये प्रति वर्ष पानी के वितरण पर पचभद्रा पर व्यय किये जाते थे। मुख्यत: उस समय भी पीने के पानी का प्रबन्ध रेलवे द्वारा ही किया जाता था।

पचभद्रा सिटी में पानी सन् १९५५ में मई से अगस्त तक वितरित किया गया था। सन् १९५६ में जुलाई मास में और सन् १९५७ में १५ मई से २२ अगस्त तक पानी का प्रबन्ध किया गया था। इस वर्ष १६ जनवरी, सन् १९५८ से पचभद्रा में पानी के वितरण का प्रबन्ध जारी है। १६ फरवरी, सन् १९५८ तक दो रेल्वे टैंक तथा १७ फरवरी से ४ टैंक प्रति दिन के हिसाब से पानी पचभद्रा में वितरण हेतु पहुँचाया जा रहा है। रेल्वे टैंक की संख्या बजाय ४ के ६ टैंक प्रति दिन के हिसाब से २४ मार्च सन् १९५८ से कर दी गई है; जिलाधीश के हिसाब से २४ मार्च, सन् १९५८ से कर दी गई है। उपरोक्त रेलवे टैंक २३०० गेलन पानी की कैपेसिटी के हैं और पचभद्रा सिटी की २४०० की जनसख्या को ध्यान में रखते हुए, यदि अनुमान लगाया जाय तो लगभग २ गैलन प्रति दिन प्रति व्यक्ति को पीने का पानी मिलता है। यदि ४ टैंक प्रति दिन से हिसाब लगाया जाय तो पौने चार गैलन प्रति दिन प्रत्येक व्यक्ति को पानी मिलता है। इसके अतिरिक्त यदि ६ टैंक प्रति दिन से, जैसा कि इस समय वितरण किया जा रहा है, अनुमान लगाया जाय तो यह कहा जा सकता है कि इस समय प्रत्येक व्यक्ति को प्रति दिन पौने छ: गेलन पानी प्राप्त हो रहा है।

(श्री दामोदरलाल व्यास)

इतनी अधिक धनराशि पचभद्रा में पानी-वितरण के लिए पहिले कभी व्यय नहीं की गई है। पानी इस समय पचभद्रा में १ रु० प्रति घड़ा नहीं मिल रहा है किन्तु सत्य तो यह है कि पानी का एक घड़ा २ नये पैसों में वहां उपलब्ध है। ऐसे घड़े में लगभग ४ गेलन पानी समा सकता है। इस वर्ष में अभी तक लगभग ११००० की धनराशि पानी वितरण हेतु व्यय हो चुकी है। जिलाधीश से प्राप्त सूचना के अनुसार किसी भी व्यक्ति ने तहसीलदार, एस० डी० ओ० या स्वयं से यह आपत्ति प्रकट नहीं की है कि पानी की पचभद्रा में कमी है। श्री लक्ष्मीचन्द जी के आरोप का जिलाधीश ने अक्षरशः खंडन किया है। उनका यहां तक कहना है कि पचभद्रा के अतिरिक्त पास के अन्य गांव वाले भी पानी को दो नये पैसे प्रति घड़ा ले जाते हैं, जिसका प्रबन्ध जिलाधीश ने स्वयं करवा रखा है।

माननीय अध्यक्ष, जो माननीय सदस्य यहां नहीं हैं, मैंने खुद ने, जो आरोप उन्होंने लगाये हैं तहसीलदार और एस. डी. एम. पर, उनसे पूछा था कि अगर आपकी खुद जानकारी में सही हो तो छानबीन शीघ्रता से कराई जाय, तो उन्होंने कहा था कि यह उनकी जानकारी में नहीं है। उन्हें किसी पंचायत के पंच ने कहा है उसके आधार पर प्रिविलेज मोशन पेश किया था।

श्री दयाकृष्ण विजय : पचभद्रा में जनसंख्या बढ़ी है, इसलिए पहले जितना पानी चाहिए था, उससे ज्यादा अब चाहिए।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अर्ज किया कि पहले २१०० थी और अब २४००० है। पीने का पानी भी पहले ४ टैन्क जाते थे और जब ६ टैन्क जाते हैं। दो नये पैसे घड़े में वह पानी दिया जाता है। वहीं के आदमी नहीं, बल्कि बाहर के और लोग भी इसको ले जाते हैं : उसका इन्तजाम कर रखा है।

श्री रामकरणसिंह : बाहर के लोग पानी ले जाते हैं तो कितने गांवों के बाहर के लोग पानी ले जाते हैं !

श्री दामोदरलाल व्यास : आस पास के गांवों के लोग हैं, कोई खास गांव की संख्या मेरे पास नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आपके बताने का तात्पर्य यही है कि पचभद्रा गांव ही नहीं, बल्कि बाहर के गांव वाले भी।

श्री दयाकृष्ण विजय : इनका मतलब बाहर वालों से नहीं है।

श्री अध्यक्ष : 'भी' है।

श्री रामकरणसिंह : बाहर गांवों से आना पड़ता है। आपने कहा कि उनको २ नये पैसे प्रति घड़े पानी मिलता है तो कितनी दूर से आकर पानी ले जाते हैं :

श्री दामोदरलाल व्यास : कितनी दूर से आते हैं, इसकी जानकारी नहीं है। पचभद्रा के आसपास से बाड़मेर आने वाले माननीय सदस्य से जानकारी हासिल कर लें तो प्रश्न नहीं पूछेंगे।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या आप मूविंग वान का प्रोवीजन नहीं रख सकते हैं कि पानी उनके घर तक पहुंच जाय।

श्री दामोदरलाल व्यास : गांव में ६ टैंक पहुँचाते हैं वह इसी कारण पहुंचाते हैं।

(श्री दामोदरलाल व्यास)

इसका मतलब यह है कि पचभद्रा में इस कदर पानी पहुंच रहा है कि वहां के ही आदमी नहीं बल्कि बाहर के आदमियों को वितरित किया जा रहा है।

यही कहना कि पानी की वहां इस कदर कमी है कि एक रुपया की घड़ा मिलता है, वह गलत है।

श्री दयाकृष्ण विजय : बाहर के आदमी वहां लेने के लिए आते हैं उसके बजाय पानी वहां नहीं पहुंचाया जा सकता है कि उन्हें यहां आना पड़ता है। कोई ट्रक नहीं करते कि जिससे पानी पहुँचाया जाय।

श्री तनसिंह : मेरे ख्याल से एडजर्नमेंट मोशन के सिलसिले में स्टेटमेंट दिया है।

श्री दामोदरलाल व्यास : This date was fixed only for this motion. I don't think...

श्री तनसिंह : प्रिविलेज मोशन था, उसके लिए...

श्री दामोदरलाल व्यास : प्रिविलेज मोशन पचभद्रा के लिए कोई नहीं था।

श्री तनसिंह : मैं आपको अर्ज नहीं कर रहा हूँ। मैं स्पीकर महोदय से अर्ज कर रहा हूं। एडजर्नमेंट मोशन के सिलसिले में यह वक्तव्य हो गया। एक प्रिविलेज मोशन जो कि श्री लक्ष्मीचन्द जी ने रखा है उसके बारे में स्वायत्त शासन मंत्री एक वक्तव्य देने वाले थे, वह २८ तारीख को रखा था। यह स्टेटमेंट २७ तारीख को रखा था।

श्री अध्यक्ष : वह अलग मोशन था, वह माननीय सदस्य और माननीय गृह मन्त्रीजी के आने के बाद में तय करेंगे।

१२. २२ म. पू०

विचार-विमर्श एवं पारित होने वाले विधेयक

श्री अध्यक्ष : जैसा कि कार्य सूची में बताया गया है कि आज चार विधेयक हैं जिन पर वाद-विवाद पेश किये जायेंगे, राजस्थान विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९५८ (२) राजस्थान सेल्स टैक्स (द्वितीय संशोधन) विधेयक, (३) राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक और (४) राजस्थान युनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक।

अब राजस्थान विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९५८, पर बहस होगी।

माननीय सदस्य, इस तरह से वाद-विवाद में समय लें ताकि आज के लिए जो कार्य निश्चित किया गया है वह पूरा हो जाय।

१२. २३ म० प०

(१) राजस्थान विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९५८

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्तमंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान एप्रोप्रियेशन (नं० २) बिल, १९५८ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल पर सिर्फ दो ही बातें निवेदन करना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि बजट के संबंध में बहस हो रही थी उस समय मैंने निवेदन किया था कि वित्त मन्त्री महोदय को चाहिए कि वे आर्टिकल २९३ के अन्दर यहां हमारे समक्ष एक ऐसा बिल लायें कि जिसके अनुसार वे कोई ऐसा कर्जा लें उसकी

Page No.37

(श्री तनसिंह)

कोई लिमिटस हम प्रेस्क्राइब करें । उस विषय में माननीय वित्त मन्त्री महोदय ने जवाब दिया था कि यह तो हमारे कार्य में और भी रोड़े अटकायेगा और जो हम विकास का कार्य कर रहे हैं उनमें बाधाएँ आयेंगी । हम ज्यादा कर्जा नहीं लेते हैं । एक समय तो माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने यह बताया कि वहां हमारे मद्रास वगैरह में ३०० करोड़ के करीब कर्जा लिया है और हमारे यहां पर ५६ करोड़ या ६० करोड़ के करीब कर्जा है तो हमारे यहां उनके अनुपात से बहुत कमी है । लेकिन मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि मद्रास में विकास योजनाएं कितनी चल रही हैं, वहां पर पर-केपिटा कितनी आमदनी है, और वहां की जमीन में कितना प्रोडक्शन होता है, वहां इन्डस्ट्री कितनी डेवलप्ड हैं; ये सारी बातें विचार करने योग्य हैं । जहां कि उस श्रेणी की राजस्थान में सारी बातें नहीं हैं । राजस्थान में कर्जे की तुलना मद्रास से की जाती है, टैक्स की तुलना बम्बई से करते हैं, लेकिन जहां सुविधाओं की बात होती है तो आप बलुचिस्तान और पाकिस्तान से तुलना करते हैं कि वहां पर नहीं हैं और यहां पर ज्यादा फायदा है । तो मेरे निवेदन करने की यह मन्शा है कि चाहे कुछ हो यह संविधान में दिया हुआ है। अधिकार है और संविधान में दिये हुए अधिकार के अनुसार इस राज्य सरकार को हाउस के सामने एक बिल पेश करना चाहिए । मेरा तो यह ख्याल है कि आर्टकिल २९३ के अन्दर यदि कोई भी लिमिट तैयार नहीं करते हैं तो आपको नये लोन लेने का कोई भी अधिकार नहीं है । इसलिए अब परिस्थितियों को देखते हुए यह आवश्यक है, क्योंकि इस समय केवल ६० करोड़ रुपया है और फिर बढ़ता जायगा । मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा जो ढंग है खर्च करने का, आगे बढ़ने का ढंग जो है, वह इतना निन्दनीय है कि उसकी जितनी निन्दा की जाय उतनी कम है । इसलिये बजट में रुपया बहुत ज्यादा रख दिया है, टैक्स रख दिये हैं, कर्जा लेते हैं और जितने २ प्रोवीजन रखे हैं विकास के कार्यों के, वे सारे कार्य पूरे नहीं होते हैं । रुपया जो एलॉट करते हैं, वह बच जाता है । यह तो जो लेटेस्ट ऑडिट रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार ५६-५७ की बात है । पिछले साल ४६ करोड़ आपने रखा था, जिसमें खर्च केवल १८ करोड़ किया है और २७ करोड़ रुपया बचा हुआ है । मेरा यह निवेदन है कि २० करोड़ रुपया यदि बचता है, बजट में इतना इतना रुपया बच जाता है करीब २ पचास पर्सेन्ट तक, तो मुझे यह निवेदन करना है कि इसका मतलब यह है कि जितने प्लान्स हम बनाते हैं, जितनी योजनाएं हैं वे क्रियान्वित नहीं होती हैं टाइम पर या अन्दाजे से बहुत ज्यादा प्लान बना लेते हैं, हमारी केपेसिटी कितनी है काम को करने की, वह सब कुछ दिखता नहीं है और पैसा रख देते हैं, जितना जितना प्लानिंग करते हैं उस ढंग से नहीं चलते हैं और प्रोडक्शन वापिस नहीं आता है । कई कई जगह नुकसान हो जाता है । दूसरे विकास की स्थिति में अवरोध हो जाता है । ऐसा होता है कि एक्सपेन्डीचर कुछ ढंग से नहीं हो रहा है । कर्जे की ओर ज्यादा बढ़ रहे हैं, यहां तक बढ़ रहे हैं कि कर्जे का ब्याज चुकाने के लिए भी कर्जे की आवश्यकता हो रही है । इन सब बातों को देखते हुए मैं माननीय वित्त मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इसमें वर्तमान को ध्यान में रखने की बात नहीं, बल्कि भविष्य को ध्यान में रखने की बात है । आज विधान सभा के सामने

(श्री तनसिंह)

बिल इन्हीं लिमिटेशन्स पर बढ़ा देते, उसको बाद में बढ़ा सकते हैं किसी भी वक्त में। यह सब नियम बनाये जाने के बाद कर्जा लेते रहें तो हमको विश्वास बना रहेगा, हमको पता लगता रहेगा, अन्यथा हमारे ऊपर कर्जे का उत्तरदायित्व देते हैं तो आपके लिये बेजा है और हम लोग भी उस उत्तरदायित्व को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। जब तक कि हमको कॉन्फीडेन्स में नहीं लेते हैं और कर्जा लेते रहते हैं, उससे विकास के कार्यों में किस तरह लाभ होगा? वह कर्जा वापिस कैसे पहुँचेगा? जब तक आप हमको कन्विन्स नहीं करते हैं तब तक कर्जे का उत्तरदायित्व विरोधी पक्ष आयन्दा स्वीकार नहीं कर सकता।

दूसरी बात यह है कि जो अकाउन्टेन्ट जनरल से रिपोर्ट्स आती हैं उन सब में बराबर यह बात आती है कि अब तक इमोर्टेलाइज़ेशन के लिये कोई प्रयास नहीं किया गया है। इसके बारे में आप बताते हैं कि हमारे यहां जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तब इसकी व्यवस्था करेंगे। लेकिन मैं यह निवेदन करूंगा कि यह बहुत जरूरी है कि कोई प्लान होता है, उसके मुताबिक कर्जा वापिस चुकाने के लिए व्यवस्था होनी चाहिये या आपकी मंशा यह हो कि हम कर्जा वापिस नहीं चुकायेंगे तो बात दूसरी है। लेकिन उस हालत में भी एक फंड कायम कर देना चाहिये, जिसमें से कठिनाई के समय सहायता मिल सके। कभी ऐसी भी परिस्थिति आ सकती है कि पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत भारत सरकार कुछ नहीं दे पावे। जैसा कि भारत के प्रधान मन्त्रीजी ने यह कहा था कि निकट भविष्य में ही प्लान्स के लिए बड़ी कठिनाई आने वाली है। यदि वह कठिनाई आने वाली है और वित्त की स्थिति चिन्ताजनक होने वाली है तो ऐसी स्थिति में हम हमेशा भारत सरकार की ओर नहीं देख सकते। यदि हमें भारत सरकार को डेट वापिस चुकाने की चिन्ता नहीं हो, क्योंकि भारत सरकार हमारी है और उसको हम वापिस नहीं देना चाहते हैं, यह आरग्युमेंट हो सकता है, लेकिन मैं यह कहूंगा कि आप पैसा एक जगह रखें ताकि एक प्रकार का फन्ड कायम हो जाय और यदि भारत सरकार से किसी समय मदद नहीं मिल सके तो कठिनाई के समय में उससे गुजर कर सकें। वरना भारत सरकार आज कर्जा देना बन्द करदे तो आपने जो काम शुरू किया है, उसका मेन्टीनेन्स करना भी दूभर हो जायगा, जीवन विकास के लिये दूसरे साधन उपलब्ध करने की बात तो दूर रही। इसलिये आज समय आ गया है जब कि हमारी वित्तीय स्थिति को देखना पड़ेगा और उसके साथ ही साथ कुछ बन्धन भी लगाने पडेंगे। मैं यह नहीं कहता कि बन्धन इस सरकार पर या आप पर हों, लेकिन बंधन होने आवश्यक हैं। इन बातों के साथ जो बाते मैंने रखी हैं, उनके विषय में कुछ कार्यवाही की जायगी, केवल जबाब ही नहीं दिया जायगा; ऐसी मुझे आशा है।

श्री पी० के० चौधरी : अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष : Just a minute.

श्री नारायणसिंह (मसूदा) Mr. Speaker, Sir, today the Appropriation Bill is on the anvil of the House. We have already considered and passed our Budget of the year and we have passed all the demands. While sanctioning this Appropriation Bill, I deem it necessary that I should bring

(श्री नारायणसिंह)

forward before the House certain salient features of budgeting. We cannot ignore and we cannot afford today to ignore the recommendations of our Public Accounts Committee. Today we are committed to more and more expenditure, we have undertaken gigantic nation-building schemes. We know today also that the financial position of the country is not very sound. In such circumstances if we ignore the factors of accurate budgeting, if we do not have proper control over our expenditure, if we cannot scrutinise our expenditure from time to time, this lack of vigilence can lead us into a very hazardous position. The Public Accounts Committee of 1957 has stressed upon this fact and has drawn our attention very saliently. They have said, they have pointed out many things and they have pointed out to the unhealthy tendency of departments to over-estimate their requirements. They have also pointed out to keep a close watch over the progress of expenditure and they have specially pointed out to the Finance Department that they should scrutinise over the important excesses and savings. They have also pointed out to the Finance Department that they should take up with the Departments such cases of laxity in the control. They have in general pointed out so many factors of nonsurrendering of savings, uncovered excesses and defective budgeting. With these recommendations we should be wiser to give allotments to different departments and to frame our budget accurately. Though I am happy and I am aware that the Government is making every efforts to correct this lacunae but still the vigilence required at this moment is of prime importance. They have also pointed out in the course of their enquiry that the controling officers should ensure regular verification. All these factors go to show that much has to be done in our budgeting and in the accuracy and control of our budget demands. They have also pointed out to certain excesses in the budget grants and they have strongly objected to this factor. At a time when we are committed to gigantic efforts to build our nation, when we are committed to such big plans, First Five Year Plan and the Second Five Year Plan-going into crores, we cannot afford to ignore these recommendations and we can not afford the luxury of making a budget without specific scrutiny of different requirements. With all these factors I come to the consideration of our Plan expenditure and the system of spending there. We are all aware that we are running in the third year of our Second Plan and it is practically the middle stage of our Plan. At this

(श्री नारायणसिंह)

time we have recorded so many short-falls in various Departments, and various reasons have been shown for that in the speech of our Finance Minister and in the explanatory memorandum of the budget, but it is not pleasant to read against so many different items. We are told that certain short-falls in the expenditure were due to slow progress of plan or due to slow progress of the works. We do not like to see these words occur from time to time when our finances are in a precarious position, when our foreign exchange is dwindling and when there are so many other factors which call our attention to correct such lacunae. I recently gathered certain departments against the names of which such remarks as slow progress of plan and slow progress of works have been given. They are Medical, Agriculture, Industries and supplies, Civil works, Capital outlay on Electrical schemes etc. I do not want to go into an enumeration of such Departments any further. Only yesterday we have also received the quarterly progress report of our Second Five Year Plan and there we have been shown that there are about 336 schemes under which the Plan provisions have been distributed. We have also come to know from this report that many of the schemes are such where we can read that they could not register any work and many other schemes are such where we read that the schemes cannot yet be determined, as to under which Head they should come. These are very salient pointers to our methods of budgeting, our method of scrutinising the details and our method of progressing with it later on. I am sure such lacunae have to be ended very carefully and corrected before it is late. Though we cannot afford to assess the progress of the Plan from the tempo of spending, I do not want to take spending as the criteria of our Plans' progress, we have today to see to it that every penny spent in any sphere has to yield that much.

An eminent Eonomist has recently said dealing with the rise of national income, that the national income can rise by an increase in the productivity in farms and factories and by developing the social services, thereby building physical and mental capacity of the people. We have today the recent report on community projects and food-grains by Balwant Rai Mehta and Asoka Mehta, and they provide us with a basis for building the structure of our Planning & Planning Organisation and the agroeconomy of our country. If we examine all suggestions given by these reports very carefully and try to apply them in different spheres, we shall be the wiser for it. and we shall be able to correct

(श्री नारायणसिंह)

many lacunae. I would not like to go into the details of so many other activities of the development, I have already dealt with them in detail and I would not like to tire the patience of the House by going into details again. I have told much about it in my discussions on the address of the Governor but I would like to point out certain salient aspects of our plan progress. There are so many sectors, the agriculture sector is there to be considered, the food production is there to be considered, the industrial sector is there to be considered and the decentralisation of administration and community development has to be considered. All economists and our national leaders are agreed upon it that food production is the core of our plan, is the very backbone of our success and we have to divert and increasing attention to this. Specially in the agriculture sphere I would like to deal with certain things. In our agriculture, minor irrigation, soil conservation and intensive farming should play an ever increasing role. Likewise we have to examine how far our laws regarding land give insentive towards production in the farms We are contemplating over ceiling, we are contemplating over cooperative farms and so many other factors with regard to land. In considering these I would like to point out that we may apply ceilings from social justice point of view, but we have to examine the effects also. We have to provide about 5 lakhs people, 5 lakhs landless people and the land which we will be able to get from holdings otherwise such as uncultivated etc. could be nothing more than 3 crores acres. By working out the whole thing I have arrived at the conclusion that we will not be able to provide these people with more than 70 acres of marginal land which will be equal to 7 acres of good land. These 7 acres of good land would not be able to provide them enough to meet the production charges and other things and then to provide for other exigencies. In this way we have to examine whether mere ceilings would do the entire act. whether it would not kill the incentive of thes mall farmers or whether there is certain other programme more copious and more useful ?

There were certain members who were supporting co-operative farming. These are progressive ideas and we do not go against them but we have to take lessons from the foreign countries who had applied it. Yugoslavia has gone back from it. So many other communist countries like Russia and China have gone back from it and even Poland is practically averse to this policy. what I want to stress from it is that the co operative farming is good but we have to consider the psychology of the agriculturists and so many other

-(श्री नारायणसिंह)

practical factors, we have to consider what will be the net result of management over-head charges and other things. We should be quite agreeable to functional co-operatives rather than complete co-operative farming schemes. Thus in agricultural field we can look to these things, examine these things. and then proceed with such legislation as would not kill the incentive in Agriculture.

Coming to the industries the industrial development in Rajasthan is going at quite a good pace. But the power problem is great. We do not have as much kilowats of electricity as required for the industrial development and for that our Government cannot be wholly responsible. There are other factors; for example in electricity it has been pleaded that due to foreign exchange difficulties and other factors certain machinery could not be imported and certain schemes could not be completed. This is quite true But this throws a light upon the fact that proper priorities are very essential. When we want to develop a thing we should develop the pre-requisites of it. I would like to quote Mr. Shepard the Chairman of Killick Industries, Calcutla with regard to our own eagerness for Steel plants. He remarks about our determined efforts to have Steel plants inspite of foreign exchange difficulties and goes on to say," of what avail will this be if the people's sector has to be prevented from erecting the secondary and tertiary industries to use it."

These are the factors which require our consideration. Then we come to the factor of national income and the consequential effects about raising the national income. Mr. Santhanam, a former Chairman of the Finance Commission, purports to say that with a rise in national income there has been a slight saving and slight productive invest ment. There are various other factors to account for it but this brings us face to face with the problem of Labour. The rising tempo of wages......

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य जल्दी अपना भाषण समाप्त करें ।

श्री नारायणसिंह : I would try to finish it very early. The rising tempo of wages and......

श्री अध्यक्ष : I would like to infrom the Hon. Member that at thi stage the proper thing would be to mention ceratin specife points instead of raising a general debate. You are speaking on almost every field which is not actually the propor thing to do at this stage.

श्री नारायणसिंह : I will try to make my speech as brief as possib I would like to request you, Sir that I shall not speak on the gen

Page No.43

(श्री नारायणसिंह)

eral debate, I was just passing cursorily over certain matters.

श्री अध्यक्ष : That is what exactly, which should not be done. You can only give the points that did not come in the course of cut motions.

श्री नारायणसिंह : Then there are factors of small savings. We have recorded a very small collection in the small savings which should be a pointer that public is not feeling very confident about our progress and about our methods. As a reason of it there can be so many other things also like the burden of taxation and fluctuation in bank-rates, but we have to examin these factors.

If I may be permitted to say, Sir, with regard to labour, I would say that the rising tempo of wages and less consumer goods available make it an ideal situation for inflation. I would like to say, Sir, that even these recent varius legislations regarding minimum wages passed by our legislature and Parliaments do not go far to remedy the entire thing. We have been hard affected and I would like to bring forward the example of Bijaynagar where the high rate of minimum wages has not been able to give sufficient relief or proper relief to the labour. Our labour legislation falls too short to provide the remedy. The capitalist has dodged and flouted two successive Governments and two different States in manipulating affairs whereby he could defeat the intentions of the law. I am happy to note that there is Industrial Disputes (Amendment) Act here in our House. I have not been able to study it, but I would like to point out that it Should be able to effectively deal with problems of labour whereby they can get what they want. They should be given a share in the industry and where ever the capitalist is not able to fulfil the requirements of the times, the Government should have power to take over the industry.

Coming to the side of adminisatration, Sir, the mounting expenditure in the administration on so many planning activities and other things, should bring us face to face with this that there is need for regularisation and economy in this field. Our various Estimates Committee reports have pointed out to over-staffing at certain places and vacancies at other places. We cannot look upon such state of things with equanimity of mind and it is very necessary that we should adjust things and put proper work loads over different offices and officers. There have been recommendations in various commitees about it and specially about the work of the Commissioners who are practically without work today. They have to be put up with certain work loads an

Page No.44

(श्री नारायणसिंह)

with certain responsibilities and other things with regard to the work of the plan itself in the direction of assesment of works done and such other things. Then theer are factors of reorganisation, Our administrative units have to be scientifically reorganised. So far whatever administrative units are there, they are not scientifically organised. There, I think Beawar will have a position of its own. Looking to the importance of Beawar as an industrial town and other factors I think Beawar itself could become a centre of administrative unit. Similarly, there ane other places which can conveniently be evolved into administrative units where there are cenles of our community projects and national extension service blocks, according to the recommendtions of Balwant Rai Mehta Report. All these things would be required to be done and I am happy to note that there is already a Committee to consider the reorganisation of administrative units.

Then, there are pay scales to be considered and certain other things

(घंटी)

Just five minutes...

श्री अध्यक्ष : Sorry, the time is over.

श्री नारायणसिंह : I would just conclude in five minutes.

श्री अध्यक्ष : Two minutes more.

श्री नारायणसिंह : Then, Sir, we hear a subdued grumble about University grants. The University has been put to losses due to separation of the Secondary Education Board. This grumble has also to be taken into consideration and some more consideration to be given to it.

In the end I may be permitted to add that we are today confronted with unprecedented and gigantic efforts towards national development. It is no mean a task. It is rife with difficulties of experience and resources and pecuiar foreign impacts. But we can today safely profess that we have raised the morale of our people and along with it their expectancies. My ultimate plea is a plea for realism in framing our budget, and this plea extends to our Planning and development so far as the expenditure and outlay are concerned. With these words, Sir, I think we would be proceeding with our budget this year in a more realistic and proper manner than ever before and I am sure the Government is already making efforts to correct the lacunae pointed out by different Commissions and by our public Accounts Committee.

(अनेक सदस्यों के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष : श्री लच्छूराम। कोई माननीय सदस्य १० मिनिट से ज्यादा नहीं बोलें।

श्री लच्छूराम (मंडावा) : माननीय

Page No.45

(श्री लच्छूराम)

अध्यक्ष महोदय, केवल मांगों पर मत-दान देने मात्र से ही हमें हमारा खर्चा करने का अधिकार नहीं है । उसको खर्च करने से पहले एप्रोप्रियेशन बिल पेश करना पड़ता है और एप्रोप्रियेशन बिल जिस समय पेश होता है उस समय हमें इस बात पर ध्यान देना है कि जो बजट एस्टीमेट्स बनाये हैं वे ठीक हैं कि नहीं, जिन जिन मदों के अन्दर खर्च करने को रखा है वह ठीक तरह से किया है कि नहीं ?

जहां तक हमने देखा है बड़े बड़े कारखानों में, शुगर मिल, बॉल बियरिंग और बड़े बड़े कारखानों में इस प्रकार धनी-मानी सेठों को सरकार की तरफ से लोन दिया गया है । मैं समझता हूं कि इस प्रकार के कारखानों को धन-राशि देने से सरकार को किसी प्रकार की आमदनी नहीं होती है । यह धन-राशि उन मदों से हटा कर कोऑपरेटिव बैंकों में या डवलपमेन्ट के कामों में लगायें तो संभव है कि हमारी सरकार कुछ और फायदा उठा सकती है । इससे दो फायदे हो सकते हैं, एक तो सरकार की आमदनी होती है और दूसरे हमारे नागरिकों को काम मिलता है । पर इस प्रकार एक ही व्यक्ति को कारखाने में व्यक्तिगत लोन देना सरकार के लिए लाभदायक नहीं है, इससे एक ही आदमी को सारा मुनाफा मिलता है और इस प्रकार के कारखानों में ठीक तरह से काम नहीं होता है और नतीजा यह होता है कि हमेशा घाटा होता है और सरकार को घाटा दिखा दिया जाता है और अन्त में सरकार अपने दिये हुए ऋण से हाथ धो कर बैठ जाती है । तो मैं समझता हूं, इस तरह फैक्ट्रीज़ में न देकर यह धन डेवलपमेंट के कामों में लगाना चाहिये ।

दूसरा मेरा सुझाव यह है कि स्कूलों के लिये जो खर्चा रखा गया है वह काफी नहीं है । १००० नये एक अध्यापकों वाले स्कूल्स खोलने का रखा है । मैं समझता हूं, प्राइमरी स्कूलों में एक अध्यापक रहता है और उसके अलावा कोई भी पिओन और दूसरा काम करने वाला नहीं रहता है, इसके अलावा उनको पूरा सामान नहीं दिया जाता । पिओन तो इसलिये जरूरी होता है कि छोटे-छोटे बच्चों को पानी आदि पिलावे, और वहां पर काम करने के लिए आवश्यक होता है और अवश्य रहना चाहिये, परन्तु बड़े दुख की बात है कि हमारे शिक्षा विभाग द्वारा उन छोटे छोटे बच्चों को पानी आदि पिलाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं रहती है । जब कि आप मिडिल स्कूलों में चपरासी रखते हैं तो आपको प्राइमरी स्कूलों में सबसे पहले रखना चाहिये । प्राइमरी स्कूलो में छोटे २ बच्चे ७-८ साल के होते हैं उनके लिये पानी लाने और पिलाने वाले की बहुत आवश्यकता रहती है । अब तक पानी लाने के लिए बच्चों को भेजते हैं और जिससे हर दो चार साल में दो तीन बच्चों की पानी लाने के कारण मृत्यु हो जाती है । इसलिए मेरा यह सुझाव है कि कम से कम पानी वाले की तो व्यवस्था होनी ही चाहिये और १५-२० रुपयों में किसी को रखना चाहिये । अगर आपके यहां बजट में ज्यादा पैसा देने की गुंजाइश नहीं है तो कम से कम १५ रुपये मासिक पर किसी को वाटर एलाउन्स देकर भी रखें और कम से कम इसका तो प्राइमरी स्कूलों के लिए अवश्य ही बजट में प्रोवीजन होना चाहिये ।

इसी प्रकार प्रशासन के मामलों में कुछ ज्यादा खर्च होता है, जैसे कमिश्नरों की आवश्यकता नहीं है, उनका खर्च कम किया जा सकता है । इस सम्बन्ध में मेरा ख्याल है, कट मोशन आ भी चुका है । इसी प्रकार पुलिस के

(श्री लच्छूराम)

महकमे में भी ज्यादा खर्च हो रहा है, इसको कम किया जाना चाहिये। मैं नहीं कहता कि फोर्थ क्लास सर्वेन्ट और पुलिस कोन्स्टेबलों की तनख्वाह ज्यादा है। उनकी तनख्वाह कम है, उसके लिए बजट में बढ़ाया जावे और उनकी तनख्वाह में वृद्धि की जाए। अभी तक उनका कम ध्यान रखा गया है सो उनका ध्यान रखा जाए। इसलिए हमें शिक्षा और पुलिस के विकास कार्यों में ज्यादा रकम देनी होगी और बैंकों और फैक्ट्रियों को जो सहायता दी जाती है उसको कम की जाए।

श्री सतीशचन्द्र (जौहरी बाजार, जयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हमारे राज्य के माननीय वित्त मन्त्री महोदय ने एप्रोप्रिएशन बिल सदन के सामने प्रस्तुत किया है, इस पर मुझे कुछ कहना है। आज से कुछ दिनों पहले, जब इन्होंने अपना बजट भाषण दिया था, तो उसकी आलोचना सदन के अनेक माननीय सदस्यों ने की और बजट के सम्बन्ध में अपनी प्रतिक्रिया सदन के सामने रखी, मुझे उन सारी बातों को दोहराने की आवश्यकता नहीं है। मगर इतना निश्चित है कि जब मांगों पर अनुदान हो रहे थे तो कटौती प्रस्तावों द्वारा सदन के माननीय सदस्यों ने सरकार का ध्यान कई समस्याओं पर आकर्षित करने का प्रयत्न किया था। मैं समझता था कि माननीय वित्त मंत्री, माननीय सदस्यों ने जो अपने विचार प्रस्तुत किये हैं उनको सुनकर कुछ गम्भीरता से विचार करेंगे और माननीय सदस्यों ने जो बातें बजट के बारे में रखीं और आपत्तियें उठाई उनकी तरफ ध्यान देंगे। परन्तु हो सकता है कि उनके सामने इस सम्बन्ध में कई लाचारियें हों क्योंकि आखिर बजट बन कर सदन के सामने पेश हो गया उसके बाद में किसी प्रकार की तरमीम और तबदीली सरकार की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। इसलिये जो एप्रोप्रिएशन का बिल पेश किया है और हमारे सामने रखा है, उसके द्वारा हम बजट को अन्तिम स्वरूप देने जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि जो कुछ हुआ सो हुआ, लेकिन अगले वर्ष में यदि वे वित्त मन्त्री बने रहे, जैसा मैं चाहता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें वित्त मन्त्री बनाए रखे, तो उन्हें इन बातों पर जो यहां कही गई हैं कुछ ध्यान देना चाहिये। यद्यपि हमारे आज की समाज की व्यवस्था में हमारे राज्य में जातिवाद को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता और न दिया जाना चाहिये लेकिन जाति के व्यक्ति में जातिवाद के विशेष गुण आये बगैर नहीं रह सकते। वह परम्परा से आने की बात होती है और इसी कारण से माननीय वित्त मन्त्री जिनको वित्त विभाग में भले ही वित्त मन्त्री बना दिया है मगर यह संयोगवश हो गये हैं लेकिन आप तो सरस्वती के मन्त्री होते या कहीं आचार्य होते या अन्य किसी ऋषिकुल के आचार्य होते तो ज्यादा अच्छा स्थान आपके लिये होता। लेकिन खैर। अध्यक्ष महोदय, लेकिन आज वे वित्त मन्त्री हैं और वित्त मन्त्री को जैसा कि आज हम हमारे सारे समाज में जातिहीन समाज की ओर कदम बढ़ाने जा रहे हैं तो आज यह नहीं हो सकता कि किसी में जो ब्राह्मण उसमें ब्राह्मण के ही गुण हों या कोई बनिया है, तो उसमें बनिये के ही गुण हों या शूद्र है तो उसमें शूद्र के ही गुण हो और वह शूद्र का ही काम करे या क्षत्रिय हो तो उसके अन्दर क्षत्रिय के ही गुण हों। आज के इस युग में हर एक व्यक्ति में चाहे किसी भी वर्ण का क्यों न हो उसके अन्दर चतुर्वर्ण के गुण होने

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

चाहिये । इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि चतुर्वर्ण के गुण ....

श्री जनार्दनराय नागर : आप यह चाहते हैं कि वर्णशंकर समाज की व्यवस्था हो ।

श्री सतीशचन्द्र : मेरे कहने का मतलब यह है कि आज हमारे राज्य का बजट है, उसका काम उनके हाथों में होना चाहिये जो बनिये हों । जहां तक उनकी मनोवृत्ति टैक्स लगाने के सम्बन्ध में है, वह बनिये जैसी हो तो और दूसरों में दूसरी ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज का हमारा शासन और हजारों वर्ष पहले का शासन, यदि इसकी तुलना करें तो दोनों में बहुत अन्तर है । हजारों वर्ष पहले शासन का आधार दूसरा था और उसका मुख्य अंग सुरक्षा थी । उसका ध्येय यही था कि देश में शांति और सुरक्षा बनाये रहें और बाहर के किसी भी आक्रमण से देश को बचाया जाय । लेकिन आज हमारे समाज की व्यवस्था में हमारा शासन और राज्य केवल दूसरे देशों के आक्रमण से हमारी रक्षा ही नहीं करता बल्कि देश में शांति और राज्य के लोगों की सार्वजनिक उन्नति, वाणिज्य, उद्योग, व्यापार इन सारी चीजों को हाथ में लेकर राष्ट्रीयकरण करने की योजना बनाता हैं । ऐसी स्थिति में जो हमारा बजट बनना चाहिये, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो तरीका अभी तक चला आ रहा है उसमें मौलिक और मूलभूत तरीकों में परिवर्तन करने की जरूरत है । इस बजट के अन्दर कुछ फिगर्स इन्कम और एक्सपेन्डीचर के रख देते हैं और एक बड़ा सा पोथा पेश कर देते हैं । मगर माननीय अध्यक्ष, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यह बजट हमारे देश की आर्थिक स्थिति का सच्चा नकशा सदन के माननीय सदस्यों के सामने नहीं रखता है । आज यह बजट हमारे सामने आता है, उसमें हमें कहीं भी पता नहीं चलता कि हमारी सरकार के करोड़ों रुपये जो इन्डस्ट्रीज़ में जाते हैं, उद्योग में लगे हुए हैं और राज्य सरकार उद्योग धन्धे चला रही है, उससे क्या मुनाफा होता है और कितना रुपया है । माननीय अध्यक्ष, आज सरकार जो उद्योग धन्धे चलाती है, उसमें कितना मुनाफा और कितना घाटा है और घाटे का क्या कारण है और कितना मुनाफा घाटा सरकार को किस साल हुआ, कितना घाटा डेप्रिसियेशन से हुआ, कितना मिसमेनेजमेंट से हुआ, ये सारी बातें पब्लिक के सामने नहीं आतीं और जब तक यह सारी बातें पब्लिक के सामने नहीं आतीं उस समय तक यह नहीं कहा जा सकता कि सही मायने में हमारा बजट डेफिशिट है या हमारा कोई घाटे का बजट है । इसलिये इन सारी बातों का होना, जो सरकार के बजट की स्थिति को सही रूप से बता सकें, आवश्यक है । माननीय अध्यक्ष, एक साधारण व्यक्ति जो व्यापार करता है और अपना हिसाब-किताब रखता है, वह भी ट्रेडिंग एकाउन्ट, प्रोफिट एन्ड लोस एकाउन्ट और उसके बाद में बेलेन्स शीट बनाता है और उसमें दिखाता है कि कितना डेफिसिट हुआ । मगर हमारी सरकार ऐसा करती है कि एक लाख रुपया विकास के कार्यों के लिये, किसी गांव के लिये रख देती है और वह खर्च नहीं हो पाता तो नतीजा यह होता है कि वह सरप्लस होता है और दूसरी साल खर्च होता है तो वह डेफिसिट हो जाता है । माननीय अध्यक्ष, मैं यह निवेदन

Page No.48

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

करूंगा कि जो बजट प्रस्तुत किया गया है, वह एक फिगर्स की जगलरी या जादूगरी कही जा सकती है। इसलिये माननीय अध्यक्ष, समय बहुत थोड़ा है, इसलिये मैं ज्यादा नहीं कहूंगा और आपसे निवेदन करता हूं कि मैं कुछ मौलिक और मूलभूत सुझाव माननीय वित्त मन्त्रीजी को इस सम्बन्ध में देना चाहता हूं और आशा करता हूं कि जो सुझाव दिये हैं कि आर्थिक स्थिति बजट में हमारे सामने सही रूप से और दर्पण की तरह रखी जानी चाहिये, नहीं रखी गई है और वह तभी आ सकती है जब हर एक इन्डस्ट्री और फेक्ट्री आदि जिसमें हमारी राज्य सरकार का रुपया लगा है उससे हमको आया प्रोफिट होता है या लोस होता है और क्यों होता है, क्या मिस-मैनेजमेंट से होता है या दूसरे कारणों से होता है, जब तक इन सारी बातों को बजट के साथ हमारे सामने नहीं रखेंगे, मैं समझता हूं कि इस प्लानिंग के युग में किसी प्रकार के सुझाव नहीं दे सकते। आज भी रख सकते हैं। सदन के माननीय सदस्यों ने वे सारी बातें रखी हैं। इसलिए मुख्य बात जो हमारे सामने है, उस विषय में मैं यह निवेदन करूंगा कि जो आगामी वर्ष का बजट हो, वह इन बातों के ऊपर जो हमने सुझायी हैं आधारित हो और इन्हीं आशाओं के साथ मैं अपने विचार सदन में रखता हूं।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस अवसर पर तीन बातें कहनी हैं। पहली बात तो यह है कि जो बजट स्वीकार किया गया है और अब जो एप्रोप्रियेशन बिल आया है उसको कार्यान्वित करने के लिए, मैं उचित समझता हूं कि सरकार के लिए अवसर आ गया है कि सरकार अपने लाल फीते को कम से कम करे। मैं यह मानता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि जो बजट रखा गया है एवं स्वीकार किया गया है, जो मांगें हमारे सामने रखी गई हैं, उनका सम्पूर्ण लाभ इस लाल फीते के कारण हमें मिल नहीं सकता। यह एक खुला रहस्य है, अध्यक्ष महोदय, कि राजस्थान सरकार के प्रशासन के कागज महीनों तक नहीं निकलते। यदि महीनों में मैं आगे बढ़ूं तो मैं कहूँगा अध्यक्ष महोदय, कि कई कागज़ दो-दो, तीन-तीन साल तक नहीं निकलते। कागज़ को निकलवाने में देर होती है और इस बात का बड़ा दुख होता है कि एक परेशानी और जलालत है, वह यह है कि कागजों को निकलवाने के लिए रात दिन चक्कर काटने पड़ते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं एम० एल० एज़ की बात नहीं कहता, लेकिन मैं सामान्य आदमी की बात कहता हूँ कि रात दिन उसको अपने कागज को निकलवाने में चक्कर काटने पड़ते हैं। इसके पश्चात् भी उसको सम्यक और निर्णायक हुक्म प्राप्त नहीं होता। उसको कई दिनों तक रुकना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, यह एक दुःखद कहानी है। मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार को जो इस प्रकार की गला घोट बातें हैं उनको दूर करना चाहिए। यदि सरकार को इसके प्रशासन में व्याप्त लाल फीते के विरुद्ध क्रान्तिकारी मोर्चा कायम करना पड़े तो उसको चाहिए कि वह ऐसा करे और राजस्थान के प्रशासन में जो लाल फीते का संक्रामक रोग व्याप्त है, राजस्थान के प्रशासकों के दिमाग में एक क्रान्ति पैदा करनी चाहिए, अच्छा इरादा होते हुए भी, नेकी का रास्ता होते हुए भी जो प्रशासन में संक्रामक रोग फैल गया है, उसके जो

(श्री जनार्दनराय नागर)

दौरे पड़ रहे हैं, उनको दूर करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा वित्त मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इसकी जांच करें। यदि यह बात झूठ निकल जावे तो मैं वित्त मन्त्री महोदय से कहना चाहूंगा कि जो दंड वे निर्धारित करें उसको सहने के लिए मैं तैयार हूँ। अध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान सरकार के हित में है और स्वयं प्रशासन के हित में है। जब तक सरकार लाल फीते को, जो कागज़ों का संक्रामक दौर है, उसको कम नहीं करती है, तो मैं कहता हूँ कि जो लाखों करोड़ों रुपयों की योजनायें बनती हैं, बजट के द्वारा स्वीकृत की जाती हैं उनका एक चौथाई लाभ मिल कर रह जाता है। इस लाल फीते को कम करने के लिए, इस पुराने परम्परावादी ढचरे को कम करने के लिए, जिसके बारे में बार-बार सदन में आवाज उठाई गई है, सरकार ने कम ध्यान दिया है। हमसे यह कहा गया है कि इस बारे में कमेटियां नियुक्त की हैं जो सरकार को सिफारिशें देती हैं। मैं मानता हूं कि कमेटियां नियुक्त कीं; लेकिन अध्यक्ष महोदय, उन कमेटियों में हैं कौन! उन कमेटियों में वे ही लाल फीते के चटुक हैं, या लाल फीते के संदेश-वाहक हैं! इसलिए उन कमेटियों से कोई उम्मीद नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि हमारे प्रशासन के ऊपर इस लाल फीते की एक रस्सी बन्ध गई है उसमें आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है और यदि सरकार इस ओर पूर्ण रूप से ध्यान नहीं देती है तो इस सदन के माननीय सदस्यों को अपने सुझाव रखने पड़ें तो उनको तैयार होना चाहिए।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि यदि हमारी सार्वजनिक शिक्षण संस्थाओं द्वारा खर्चा कम पड़ता है तो उनकी ग्रान्ट इन एड कम कर दी जाती है। केवल खर्चा कम नहीं करती है लेकिन एक मानवीय सिद्धान्त है, जो मैं मानता हूं, कि सार्वजनिक शिक्षण संस्थाओं को बचत करने के लिए अधिक से अधिक प्रोत्साहित किया जाय। लेकिन सरकार की जो नीति है, उसमें विरोधाभास है। अध्यक्ष महोदय, ऐसी संस्थायें भी हैं जिनको ग्रान्ट इन एड के जो नियम हैं उनके उपरान्त भी जाकर ग्रान्ट इन एड दी जाती हैं, यह ठीक है, उनको दिया जाना चाहिए, लेकिन दूसरी ओर यह कहा जाता है कि चूंकि अमुक शिक्षण संस्था में खर्चा कम हुआ, अमुक शिक्षण संस्था को चन्दा नहीं मिला, इसलिए उनको मिलने वाली ग्रान्ट इन एड में भी कमी कर दी जाय और वास्तव में कर दी जाती है। यह एक तरह का विरोधाभास सरकार की इस नीति में है। सरकार की ओर से अनुदान दिया जाता है, वह खर्चे की बिना पर नहीं दिया जाना चाहिए। पैसे के अनुदान का सवाल नहीं है। लेकिन एक पैसे के अनुदान का सवाल होने के कारण अनुदान देते हैं तो यह देख कर देते हैं कि संस्था ठीक तरह से काम रही है अथवा नहीं, राजस्थान के जन साधारण के लिए आवश्यक है या नहीं, लेकिन ऐसी शिक्षण संस्थाओं में यदि कोई कठिनाइयां आ पड़ी हों और वह शिक्षण संस्था यदि कम खर्चा करे तो इस का मतलब यह नहीं होना चाहिए कि चूंकि कम खर्चा किया है इसलिए उसकी ग्रान्ट इन एड काट दी जाय और उसके अनुपात में कमी कर दी जाय। उसके पीछे कोई दलील नहीं है और न कोई तथ्य ही। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपके ज़रिये सरकार से कहना चाहता हूं

Page No.50

(श्री जनार्दनराय नागर)

कि कुल मिलाकर आपने अच्छे नियम बनाये हैं लेकिन जैसे चन्द्रमा में एक दूषण है, कालिमा है, उस कालिमा को लेकर चल रहे हैं।

तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, वह यह है कि प्लान के अन्दर हमने बड़ी बड़ी बातों को रखा है, लेकिन राज्य की विभिन्न तहसीलों में छोटे २ काम करने के लिए हमारे प्लान में कम गुन्जाइश नहीं होनी चाहिये। मैं मानता हूं कि जो स्ट्रक्चर है वह अखिल भारतीय नीति के अनुकूल बना हुआ है। फिर भी इस ओर काफी गुन्जाइश है और इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए।

अन्त में मैं विश्व विद्यालय के लिए एक बात और कहना चाहता हूं। विश्व विद्यालय को घाटा दिया गया है। विश्वविद्यालय को सेकन्डरी बोर्ड बनाने के बाद निश्चित रूप से घाटा सहना पड़ा है और उसकी पूर्ति इस वर्ष नहीं तो आगामी वर्ष विश्वविद्यालय को घाटा पूरा करना पड़ेगा। मुझे सूचना मिली है कि लगभग ६ लाख का विश्वविद्यालय को घाटा हुआ है। मुझे मालूम नहीं है कि इस वर्ष कितना अतिरिक्त अनुदान विश्वविद्यालय को दिया गया है, लेकिन यदि दिया गया भी है तो मैं मानता हूं कि इस वर्ष नहीं तो अगले वर्ष उस घाटे को पूरा करना पड़ेगा। यह बात मान कर चलना चाहिए कि हुकूमत को घाटा पूरा करना पड़ा।

अन्त में मैं हुकूमत से अपील करना चाहता हूं कि इस लाल फीते के राक्षस को, इस भयंकर संक्रामक रोग को, प्रशासन से दूर किया जाय। आज हालत यह है कि कागजों का देरी से निकलना, जिन पर महीनों और वर्षों तक निर्णय होता है, रात-दिन लोगों को उसके पीछे पड़ा रहना पड़ता है। राजस्थान सरकार इस लाल फीते के राक्षस को धीरे धीरे सही लेकिन एक निश्चित अवधि में दूर करे नहीं तो, अध्यक्ष महोदय, हम जैसे सदस्यों को तो व्रत लेना पड़ेगा कि लाल फीते का जबर्दस्त विरोध करें।

श्री पी० के० चौधरी : अध्यक्ष महोदय, ...

श्री अध्यक्ष : अब वित्त मन्त्री महोदय बहस का उत्तर देंगे।

श्री पी० के० चौधरी : I raise a constitutional point, Sir.

श्री अध्यक्ष : What constitutional point ?

श्री पी० के० चौधरी : It has not been properly constituted. I will give you some points for consideration of the House.

श्री अध्यक्ष : But you are too late on this stage.

श्री पी० के० चौधरी : No, Sir, from very beginning I was trying to catch your eyes.

श्री अध्यक्ष : But not at this stage.

श्री पी० के० चौधरी : The demand before us is that......

श्री अध्यक्ष : Will you please put your points in precise ?

श्री पी० के० चौधरी : Yes, Sir. According to para 202 of the constitution of India the Governor

Page No.51

(श्री पी० के० चौधरी)

shall in respect of every financial year cause to be laid before the House or House of Legislature of the State a statement of the estimated receipts and expenditure of the State for that year. It is necessary to submit the estimated statement of Receipts and Expenditure. It can be divided in to two- Charged and the other voted. The voted process will contain the sums required to meet other expenditure proposed to be made from the consolidated fund of the State. I will draw your attention to a portion of the Appropriation Bill where a request has been made for withdrawing amount from Consolidated Fund, an additional sum of Rs. 37 crores 41 lakhs and 6 thousand. The other is that the Revenue Account receipt is Rs. 33 crores and 70 lakhs and the amount of Rs. 3 crores and 74 lakhs which is not to be amounted from the consolidated fund with receipt. Certain amount of actual expenditure has not incurred this year and that some amount has been shown as deducted. There is an estimated demand of Rs. 22, 09, 400 regarding General Administration. In this amount about 6 lakhs of rupees have been included which will be received from the Goverment of India for election expenses. Thus in this item actual expenditure has been shown of about Rs. 23 lakhs and the amount of rupees six lakhs to be received from the Government of India.

The other example is of the Public Health Section where there is a demand of Rs. 15 crores and 25 lakhs, sanction has been taken from the consolidated fund out of which about 49 lakhs and 69 thousands of rupees have been shown in suspense account. In this suspense account amount of Rs. 23 lakhs has been shown for purchase of articles and about 18 lakhs of rupees for the stock account has also been included in this. We can understand that the amount was kept for the purchase of the articles, but to include the amount of stock in this demand is wrong as it was sanctioned last year. It has been put for a second dem and.

श्री अध्यक्ष : Your objections are ruled out.

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्त मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अब बजट का विनियोग का अवसर उपस्थित हुआ है। बजट के अनुदानों की मांगें स्वीकृत हो चुकी हैं, अब समय यह है कि जिन मदों में जो रकम मन्जूर की गई है उनका खर्चा विनियोग किस तरह किया जाय, केवल यह प्रश्न हमारे सामने रह जाता है। इस संबन्ध में, इस अवसर पर जो सुझाव आये उनमें कोई उचित है, और उन पर विचार करने कि आवश्यकता है। इस दृष्टि से जो सुझाव इस समय सदन के माननीय सदस्यों ने दिये, जैसे बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य और जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो सुझाव रखे,

Page No.52

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

उनमें वजन है । उनकी राय है कि हमें अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाना है, हमें भी इन विचारों पर ध्यान देने की आवश्यकता है । जैसा कि मैं पहले अर्ज कर चुका हूं, बजट के भाषण के उत्तर में मैं निवेदन कर चुका हूं कि कर्जे की बाबत हमें चिन्ता करने कि आवश्यकता नहीं। कर्जे की जो सीमा बांधने का सुझाव आया है वह वैसे ठीक है, किन्तु आज जो भी कर्जे हम ले रहे हैं वह सब विकास कार्यों के लिये ले रहे हैं, इसलिये यह सोचना कि हम उस कर्जे को देने की स्थिति में होंगे या नहीं, बेकार है । जो कर्जा लिया जा रहा है वह विकास कार्यों की योजनाओं के अन्तर्गत लिया जा रहा है, सरकार के चालू खर्चों के लिये नहीं ले रहे हैं । मैं उस वक्त भी बता चुका हूं कि जो असेट्स हमारे पास हैं, उनको देखते हुए हमें घबराने की या चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है । लेकिन यह जरूर कह देना चाहता हूं कि किसी समय आवश्यकता हुई तो हम इस कर्जे की सीमा को बांधने में किसी प्रकार भी नहीं हिचकिचायेंगे लेकिन आज की स्थिति में उसके लिये अनुकूल नहीं मानता ।

यह भी कहा गया कि हम अपना कर्जा चुकाने के लिये एक निधि भी बनालें, मेरा यह निवेदन है कि हमने स्वयं इसके लिए २९ लाख रुपये की व्यवस्था की थी किन्तु फाइनेन्स कमीशन ने सलाह दी है कि जब कि सरप्लस नहीं है, बजट में जो बचत नहीं होती है तो इस प्रकार का प्रोवीजन रखने की आवश्यकता नहीं, इसलिये हमने नहीं रखा । इन विचारों से सरकार सहमत है कि जो बचत होगी, उसमें से इस प्रकार की निधि बना लेना अच्छा है । बचत में से वह निधि बनाई जा सकती है ।

जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने इस बजट को स्टिरियो टाइप बजट कहा है । मैं इस संबन्ध में कहना चाहता हूं कि बजट की जो प्रणाली चली आ रही है सारे भारत में, एक ही प्रकार की बजट प्रणाली चली जा रही है, उसी के अनुसार हम भी बजट बनाते हैं । अभी तो इसमें किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं समझता हूं कि इसमें परिवर्तन की कोई गुंजाइश होगी तो सोच लिया जायगा । इसके लिये यह भी कहा जा रहा है । एन्युअली पिक्चर हमारे सामने नहीं आ रही है, लेकिन मेमोरेन्डम वगैरह दिये हुए हैं, उनमें इन सब बातों का समावेश है, उसमें इनवेस्टमेन्ट आदि की भी जानकारी दी गई है । फिर भी यह बात सही है कि जो बजट बनाया जाय उसमें आमदनी की जो मदें हैं उसको ठोक बजाकर रखा जाय और खर्चे पर भी निगाह रखी जाय ताकि फिजूल खर्ची न हो । यह संभव है कि एक मद में इस प्रकार से लगाते समय अनुमान अगर कम लग जाता है तो दूसरी मद में ज्यादा भी लगना आवश्यक है । इस प्रकार की गुंजाइश हमेशा रहती है । एक मद में हो सकता है जैसे प्रारम्भिक शिक्षा पर ज्यादा खर्च होना चाहिये लेकिन इस मांग के मन्जूर होने के यह मायने नहीं कि एक मद की रकम दूसरी रकम में नहीं डाली जा सकती, रिएप्रोप्रियेशन द्वारा डाली जा सकती है ।

मसूदा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कहा उसमें उन्होंने सीलिंग संबन्धी और इसके अलावा सरकार की पॉलिसी और नीति संबन्धी प्रश्न उपस्थित किये हैं। मैं

Page No.53

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

समझता हूं, ये बातें ऐसी थीं, जिनको कट मोशन के समय जनरल बहस के समय रखा जाना चाहिये अतः उनको मैं यहां डील करना नहीं चाहता । संभवतः उनके उत्तर पहले दिये भी जा चुके हैं । इस सिलसिले में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो बजट में खर्च किया जायगा, उस पर बराबर ध्यान रक्खा जायगा । फालतू खर्चा न हो ऑडिट ओब्जेक्शन होते हैं, जनलेखा समिति द्वारा जो सुझाव दिये जाते हैं और भी माननीय सदस्यों द्वारा सुझाव आते हैं, विनियोग करते समय उनका बराबर ध्यान रखेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं । लाल फीता शाही के बारे में मावली से आने वाले माननीय सदस्य को बड़ा रोष है । मैं मानता हूं कि जो लाल फीताशाही चल रही है वह जरूर दूर होनी चाहिये और हमारे कर्मचारियों की और अफसरों को स्पिरिट को देखते हुए मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस प्रकार की प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है और अगले साल बजट पेश करने का मौका मुझे या अन्य किसी को आया तो मैं मानता हूँ कि जितने महत्वपूर्ण सुझाव माननीय सदस्यों ने दिये हैं उन पर सरकार ने विचार किया है यह आप देखेंगे । मैं मानता हूं कि सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वाजिब तौर पर राज्य की आमदनी बढ़ाई जावे और गैर वाजिब कोई खर्च होता हो तो उसको रोका जावे और जो भी रुपया खर्च के लिये नियत है वह इस प्रकार से खर्च हो कि सबको बराबर हिस्से के अनुसार मिले और जनता को ज़्यादा से ज्यादा आराम मिले और कम से कम कष्ट और असुविधा हो । मैं समझता हूं कि इससे अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक विचारार्थ लिया जावे ।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया जाता है ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्त मन्त्री) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पारित किया जावे ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या २) विधेयक, १६५८ पारित किया जावे ।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया ।

(विराम)

अब अगला विधेयक लिया जाता है ।

१. ३२ म० प०

(२) राजस्थान सेल्स टैक्स (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १६५८

श्री सम्पतराम (उप वित्त मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सेल्स टैक्स (सेकन्ड अमेन्डमेंट) बिल, १६५८ को विचारार्थ लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि विधेयक को विचारार्थ लिया जावे ।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया जाता है ।

Page No.54

श्री सम्पतराम : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सेल्स टैक्स (सेकण्ड अमेन्डमेंट) बिल, १६५८ को पारित किया जावे।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि विधेयक को पारित किया जावे।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, १६५८

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित मन्त्री, स्वा० शा० मन्त्री की अनुपस्थिति में) : माननीय अध्यक्ष; मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, १६५८ बिचारार्थ लिंया जावे।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि विधेयक बिचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया जाता है।

श्री हरिभाऊ उपाध्यय : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान (अमेन्डमेंट) बिल, १६५८ को विचारार्थ लिया जावे।

श्री अध्यक्ष : राजस्थान पंचयत (अमेन्डमेंट) बिल पर कार्यवाही हो रही है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पंचायत 'अमेन्डमेंट' बिल पारित किया जावे।

श्री पी० के० चौधरी : (अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : That has not...

पारित किये गये राजस्थान विक्रय कर विधेयक सम्बन्धी आपत्ति

श्री तनसिंह : सेल्स टैक्स बिल पर मेरा अमेन्डमेंट था, आपने कॉल ही नहीं किया मेरा नाम।

श्री अध्यक्ष : आप उपस्थित नहीं थे।

श्री तनसिंह : तो नाम ले लेते, ताकि मैं आ जाता। मैं तो इसी के अमेन्डमेन्ट पर बोलने के लिये कागज लेने गया था उधर। यह उन्होंने बहुत जल्दी की कि इसे इसी बीच पास करवा लिया। यह बहुत नोटोरियस बिल था, चुपके चुपके पास करा लिया है।

श्री अध्यक्ष : चुपके कहां? आप पहले बहुत बोले थे इस पर तो।

श्री तनसिंह : मैं इसी की तैयारी में तो था। कागज देखने गया था, उधर। उधर गया इतने में इधर खटाक से यह पास हो गया। कॉल भी कर लेते आप नाम तो मुझे अपोजिशन वाले बुला लेते। इस पर वह बहुत जरूरी अमेन्डमेंट था।

श्री अध्यक्ष : आप अपने किसी साथी को कह जाते जो आपको इसके आने पर बुला लेता या और कोई बोलना शुरू कर देता।

श्री तनसिंह : आप देखेंगे कि इस पर पहले भी काफी झगड़ा हुआ था और इसके महत्व को देखकर ही यह अमेन्डमेन्ट मैंने भेजा था। यह कॉन्स्टिट्यूशन पोइन्ट ऑफ व्यू से भी गलत था। इस सम्बन्ध में एक सर्कुलर

Page No.55

(श्री तनसिंह)

निकला था, उसी को लाने के सिलसिले में यहां से गया था और दूसरे कागज भी जुटा रहा था कि इतने में ही सारा काम इधर समाप्त हो गया।

श्री अध्यक्ष : बहुत खेद है, अब क्या किया जावे ?

श्री पी०के०चौधरी : About this Panchayat.

श्री अध्यक्ष : बोलिए।

श्री दामोदरलाल व्यास : (अश्रव्य)

श्री तनसिंह : (अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : हां, यह प्रस्ताव है। बोलिए।

श्री पी०के० चौधरी : मेरा सुझाव यह है....

श्री तनसिंह : मुझे बोलने के लिये कह रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : पंचायत बिल पर बोल सकते हैं, आप चाहें तो। इसमें सेल्स टैक्स बिल का भी जिक्र कर लें भले ही आप।

(श्री तनसिंह द्वारा चुप्पी)

श्री पी०के० चौधरी : (जारी) इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के सामने भेज दिया जावे।

श्री अध्यक्ष : That doesnot arise विचारार्थ तो लेलिया गया है। अब तो पारित के लिए प्रस्ताव रखा जावेगा, अमेन्डमेन्ट नहीं लिया जा सकता है।

१.३५ म० प०

राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, १९५८

(पूर्व क्रम से)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : माननीय अध्यक्ष, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, १९५८ पारित किया जावे।

श्री अध्यक्ष : अब सदन के सामने प्रश्न यह है कि विधेयक को पारित किया जावे।

श्री पी०के० चौधरी : About this Panchayat Act I want to speak.

श्री अध्यक्ष : Yes.

श्री पी०के० चौधरी : मैं निवेदन करूं। इस बिल में जो प्रावधान लिया गया है, एक तो ओक्ट्राय ओन एनीमल्स के बारे में है।

(अश्रव्य)

इसके बारे में फर्स्ट क्लॉज़ है : The words 'with the previous sanction of the State Government' should be omitted and shall be deemed always to be deleted."

इन दोनों चीजों के बारे में मेरा विरोध है। जहां तक मैं समझता हूं पंचायतों के लिए सरकार का एप्रूवल लेकर टैक्सेशन करने की ओथोरिटी जो पहले थी, वही अब रहनी चाहिए। इस ओथोरिटी को रहने देना चाहिए।

दूसरी बात जो बैलों पर और एनीमल्स पर टैक्स लगाने की है उस बारे में चुनाव के वक्त हम लोगों से कहा करते थे कि हम बैलों पर कभी टैक्स नहीं लगावेंगे, पर आज साल भर बाद उसी वादे से हम पीछे हटकर उन पर टैक्स लगाने की बात करते हैं। हमारे विरोधी चुनाव के वक्त कहा करते थे कि कांग्रेस टैक्स लगाने जा रही है बैलों पर हमने इससे इन्कार किया था। वही विरोधी लोगों द्वारा कही गई बात आज हम करने जा

(श्री पी० के० चौधरी)

रहे हैं तो इसका जनता पर बुरा असर पड़ेगा। हमारी साख कमजोर होगी। इसलिए मैं इन दोनों चीजों का विरोध करता हूं।

मेरा अमेन्डमेन्ट इस प्रकार का था; पर पता नहीं वह क्यों एडमिट नहीं किया गया। मेरा सुझाव है कि ये दोनों बातें हमें नहीं करनी चाहिए और इसलिए निवेदन करूंगा कि इस बिल को वापिस ले लिया जाए।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक सदन के सामने प्रस्तुत हुआ है और इसका विरोध फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने किया। अध्यक्ष महोदय, संशोधन का विरोधी तो मैं भी हूं लेकिन जो कारण फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने विरोध के लिए बताए उन सारे कारणों से सहमत न होते हुए। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान पंचायत अधिनियम में यह जो संशोधन का विधेयक रक्खा गया है। जिसके द्वारा पंचायतों के द्वारा लगाए जाने वाले टैक्स, जिस की पूर्व स्वीकृति का प्रावधान राज्य सरकार ने पहले के कानून में रक्खा था, उसके स्थान पर अब पंचायतों के द्वारा यदि टैक्स लगाया जावेगा तो अनायास गवर्नमेंन्ट सैंक्शन की आवश्यकता नहीं होगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो मैं उस पक्ष का हामी हूं कि हमारी जितनी भी स्वायत्त शासन संस्थायें हैं उन सभी स्वायत्त शासन संस्थाओं को स्वायत्त शासन के पूर्ण अधिकार होने चाहिए और उन अधिकारों के प्रयोग करने के लिए आवश्यकतानुसार यदि उन्हें टैक्स भी लगाने पड़ें तो इसका भी अधिकार उनको होना चाहिए। परन्तु, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और राजस्थान में पिछले दिनों का जो अनुभव हमारे सामने आया है उन अनुभवों को ध्यान में रखते हुए और माननीय स्वायत्त शासन मंत्री यदि इस बात को जानते हैं और मैं समझता हूं कि आये दिन पंचायतों के द्वारा जो कई प्रकार की अनुभवहीनता के कारण गड़बड़ियां होती हैं उन सब के कारण ऐसा लगता है कि वह दुबले हो गए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि हम सब आज पंचायतों की हालत के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। आज राजस्थान में कई पंचायतें तो ऐसी हैं कि जो पंचायतें अपने अधिकार क्षेत्र को भी नहीं जानतीं और कत्ल के मामल की कॉगनीजेन्स ले लेती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ३०२ का कत्ल का मामला पंचायत के अधिकार-क्षेत्र में नहीं है, लेकिन ३२३ का मामला मारपीट का अवश्य उनके अधिकार क्षेत्र में है। हमारी कई पंचायतों की ऐसी शिकायतें हैं कि जब कत्ल का मामला उनके सामने आता है तो कहते हैं कि इस केस को हम सुन सकते हैं। जब उन्हें कहा जाता है कि आप ३०२ का कत्ल का मामला नही सुन सकते हो तो वह कहते हैं कि हम तो ३२३ तक सुन सकते हैं। अब बड़ी आश्चर्य की बात है कि जब उन्हें कहा जाता है कि ३०२ के केस आप नहीं सुन सकते तो वह कहते हैं कि हम तो ३२३ तक के सुन सकते हैं। यह कानून है और अब वह समझें नहीं तो यह तो उनकी अशिक्षा के कारण भी हो सकता है और ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे और शायद इन सारे झंझटों के कारण जैसा मैंने निवेदन किया कि हमारे स्वायत्त शासन मंत्री स्वयं परेशान होते

(श्री तनसिंह)

है और उसके कारण वह मानसिक चिकित्सा और प्राकृतिक चिकित्सालय में जाते हैं। अगर यह संशोधन उन्होंने यहां रख दिया और पास करा दिया तो उनका रोग बढ़ जायेगा और फिर रोग का कोई इलाज नहीं होगा। अगर यह पास हो गया तो आप देखेंगे कि पंचायतें टैक्स आये दिन लगायेंगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक उदाहरण बताऊं कि यहां से कुछ दूरी पर मोरिचा में वहां की पंचायत ने कुछ टैक्सेज़ लगाये। ऐसा कानून में है कि आइरन या माइन्स हो या जानवरों पर टैक्स लगाया जाय तो गवर्नमेन्ट की सेंक्शन लें। वह कहते हैं कि नहीं, हम तो हर एक गड्ढे पर टैक्स लगायेंगे और यह गड्ढे ही हमारे लिए खान हैं। ऐसी हालत में जब पंचायत वाले फाइनेन्सेज़ के बारे में शिक्षित नहीं हैं, बजटिंग के बारे में नहीं जानते हैं, टैक्सेशन के बारे में नहीं जानते हैं और उनकी फिज़िकल पोज़िशन के बारे में ज्ञान नहीं होने के कारण मैं समझता हूं कि आपके राजस्थान की ऐसी अवस्था नहीं है कि किसी बात की गहराई को जान सकें या समझ सकें। अभी लोग इतने शिक्षित नहीं हैं। यद्यपि मैं इस पक्ष का हामी हूं कि ये सारे अधिकार स्वायत्त शासन संस्थाओं को दिये जाने चाहिए और उनको इस योग्य बनाया जाना चाहिये कि वे किसी चीज़ को अच्छी तरह से समझ सकें और जब तक उसमें इतनी भी योग्यता नहीं आती तब तक मैं समझता हूं कि हमारी राज्य सरकार को यह संशोधन नहीं लाना चाहिए था। जैसा मैंने पहले निवेदन किया कि फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने भी इसका विरोध किया है और जो कारण उन्होंने इसके विरोध करने के बताये उनसे मैं सहमत नहीं हूं और न मैं उस कारण से इसका विरोध करता हूं। हो सकता है, उन्होंने यह कहा और स्वायत्त शासन मन्त्री महोदय को अपने आर्ग्युमेंट का फोर्स न देकर साल भर पहले चुनावों की याद दिलाई और चुनावों के दौरान में उन्होंने यह कहा था कि पंचायतों द्वारा बैलों पर टैक्स नहीं लगेगा और वह टैक्स यदि आज लगेगा तो गांवों में हमारा क्या होगा, गांव के लोग कह सकते हैं कि तुम झूठ बोलते हो। जो आश्वासन हमने दिये उनको क्या निभाने की आवश्यकता नहीं है? ऐसे आश्वासन तो बहुत दिये हैं चुनावों के दौरान में और ऐसे आश्वासन से तो अब गांव के लोग भी आदी हो गये हैं और कोई विशेष बात नहीं है। क्या मैं इस संशोधन का विरोध इसलिए करूं कि गांव के लोगों से वोट इसलिए प्राप्त किये थे कि वे गांवों में कह कर आये थे कि बैलों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा? मैं मानता हूं कि आज राजस्थान में काऊ स्लाटर नहीं होता और वह दूसरी जगह में होता है तो कायदे से सारी चीजें हमें बन्द करने के लिये प्रयत्न करना चाहिये था। इसलिए मैं समझता हूं कि हमें संशोधन का इसलिए विरोध नहीं करना है कि जो जनता को वायदा करके आये हैं उनको पूरा करें या अब गांवों में जायेंगे तो क्या हालत होगी। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, जो खतरा मैंने सदन के सामने रखा वह आयेगा, यदि यह संशोधन पास किया गया। यह संशोधन इसलिए नहीं रखा गया है कि हम पंचायतों को टैक्स लगाने का अधिकार दे दें बल्कि हमें चाहिये यह कि हम पंचायतों को कुछ सिखायें, उनको कुछ शिक्षित बनायें। लेकिन इसके पीछे कुछ घटना है और वह यह है कि जो पंचायतों के द्वारा पहले टैक्स लगाये गये हैं और उनको जो न्यायालय में क्वेश्चन किया गया था, उसके लिए चुनौती दी गई

Page No.58

(श्री तनसिंह)

है। पंचायतों ने गैर कानूनी तरीके से टैक्स लगा दिये और अब उनके लिए कहते हैं कि जो लगा दिया वह तो लगा दिया और इनके तो सात खून माफ होने चाहिये मुझे तो ऐसा लगता है कि कानून को तोड़कर कुछ काम कर दिया और यहां पर अमेन्डमेन्ट ले आते हैं। अब उनको चाहिए तो यह था कि पंचायतों को पूछते और कानून के खिलाफ कोई काम किया है तो उनको उससे सबक लेने देते, शिक्षा ग्रहण करने देते; मगर न तो वह उनको शिक्षा ही लेने देते हैं और न स्वयं लेते हैं। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन का इन आधारों पर विरोध करता हूं।

श्री तनसिंह : एक नेक सलाह।

श्री अध्यक्ष : इसमें थोड़ी गलतफहमी है। सरकार से पर्मिशन अब भी लेनी पड़ेगी, इस संशोधन के पास होने के बाद भी।

श्री तनसिंह : बाद में लेनी पड़ेगी।

श्री अध्यक्ष : अभी तक दो दफा ली जाती थी और इस संशोधन के पास होने के बाद में सिर्फ एक दफा लेनी पड़ेगी।

श्री तनसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज तो वित्त मन्त्री काम कर गये, उसके मुकाबिले में जो स्वायत्त शासन मन्त्री कर रहे हैं वह तो बहुत ही मामूली है। इसलिए उनके मुकाबले में तो उनकी बात कुछ भी ज्यादा नहीं है। लेकिन मैं एक सलाह इस कानून को पास करने के साथ स्वायत्त शासन मन्त्री महोदय को देना चाहता हूं। यदि एक गलती वित्त मन्त्री महोदय ने कर दी है तो वह कम से कम पंचायतों के क्षेत्र में इस बात को अनुभव करें कि आज जो हमने आदेश किये हैं, उनका क्या असर पड़ता है? इसलिए अनुभवों से चाहिए कि जो टैक्सेज़ वित्त मन्त्री महोदय ने हटा दिये हैं पंचायतों द्वारा वे अपने क्षेत्र में लागू किये जायें और इस तरह जन-जागृति को नीचे के तबके के लोगों में आने दें। आज अगर कहीं घी मिल सकता है तो राजस्थान में मिल सकता है और हमारे माननीय वित्त मन्त्री महोदय शायद पते की बात को समझे नहीं हैं, यह मैं शर्त के साथ कह सकता हूं। यदि समझे हैं तो उन्होंने उन बड़े २ सेठों से हाथ मिलाया है जो कि वेजीटेबल घी का प्रोडक्शन करते हैं और इसी कारण मैं बताऊं कि इस वेजीटेबल घी पर जो पहले १२॥ पर्सेंट टैक्स था, उसको अब ७ पर्सेंट कर दिया है। मैं स्वायत्त शासन मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि अब समय नहीं है। जहां बड़े बड़े सेठों की बात आती है वहां वित्त की स्थिति को ध्यान में नहीं रखा जाता है। तो मैं माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट ग्रामीण लोगों पर पड़ता है। इसलिए आपने लगाया 'Octroi on animals and goods brought within the Panchayat Circle' तो मेरा ख्याल है कि यह जो पाम ऑइल वगैरह है और जिस पर पहले साढ़े बारह पर्सेंट लगता था इसके लिए विशेष प्रावधान होना चाहिये और उसके अन्तर्गत पंचायतों के क्षेत्र में इस प्रकार के जो ऑइल्स आते हैं, उन पर हैवी ऑक्ट्रॉय होनी चाहिये ताकि वित्त मन्त्री महोदय ने जो बड़े बड़े सेठों से सांठगांठ कर रखी है वह कार्यान्वित नहीं हो सके। आज हमारे यहां की स्थिति यह हो गई है कि अच्छा घी लेकर भी आज कोई आये तो लोगों को विश्वास नहीं होता है। आज-कल सारे घी में मिलावट है, और इसका कारण यह है कि हमारे राजस्थान में जो पहले स्टेट्स थीं, उस उस समय इस घी पर रुकावट थी, कस्टम लगता था और कस्टम चौकियां रख दी थीं,

Page No.59

(श्री तनसिंह)

किन्तु जब राजस्थान हो गया और राजस्थान के बाद सारी मर्ज्ड हो गई स्टेट्स, तो उसके बाद में स्टेट्स बोर्ड्स नहीं रहे । कस्टम का प्रावधान हट गया ।

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय, ये सेल्स टैक्स पर बोल रहे हैं या पंचायत विधेयक पर ?

श्री तनसिंह : सांप तो चला गया, मैं तो लकीर को पीट रहा हूं । इसमें भी क्या नुकसान हो रहा है । मैं कहता हूं कि जो कुछ भी किया गया है वह पंचायतों की ओर से हो सकता है । इसलिए मैं तो निवेदन करूंगा कि इस कानून में विशेष प्रावधान होना चाहिए जिससे यह जो टैक्स है पंचायतों को दिया है, मैं कोशिश करूंगा कि गवर्नमेंट की सैन्क्शन लेकर फिर से बिल इन्ट्रोड्यूस करूंगा प्राइवेट मेम्बर की तरफ से यह नहीं हो सकता कि वेजीटेबल घी को इस तरह से पूरी तरह से आने दें, जब कि जनता की मांग भी हुई थी कि इसमें रंग डाला जाय ताकि स्पष्ट रूप से पता लग जाय । तब तक तो बात थी, स्वास्थ्य मन्त्रीजी के स्वास्थ्य बिगड़ने का बहुत बड़ा कारण भी यह हो सकता है ।

(हंसी)

गांव की जनता का स्वास्थ्य सुधारना चाहते हैं तो इस पर हेवी आक्ट्राय लगायें एडीबल आइल और पाम आइल पर जिससे कि घी में मिलावट करने का रास्ता बना रखा है । वित्त मन्त्री महोदय का सहयोग इसमें आवश्यक है कि इसको रोकें और इस प्रकार से गांव वालों के स्वास्थ्य की रक्षा करें तथा दूसरी प्योर घी की इन्डस्ट्री का विकास हो और लोग अपना घी सही दामों में बेच सकें । आज मिलावट के कारण से दाम गिर रहे हैं जिससे कि पशुधन का विकास नहीं होगा । इसलिए पंचायतों को चाहिए कि वे टैक्स लगायें और जितनी भी कानून के अन्तर्गत उनके पास सैन्क्शन हो वह एडिबल आइल और पाम आॅइल पर हर पंचायत यह टैक्स प्रोपोज़ करे । उस समय जहां कहीं ऐसी चीज हो जहां आधा पर्सेंट भी जोड़ा जाय मैं उस बात को आपके इस अमेंडमेंट को ओवरलुक करके कहना चाहता हूं कि आपने जो कुछ किया है उसका विरोध करता हूं, लेकिन फिर भी आज से पहले हो चुका है उसको थोड़ा सा ध्यान में रखें और साथ ही साथ सलाह दे दूं कि वित्त मन्त्री महोदय इस तरह का कानून लायें और जल्दी से जल्दी दूसरा कानून लाकर रद्द कर दें।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पंचायतों को टैक्स देने के अधिकार के सम्बन्ध में दो शब्द कहना चाहता हूं । मैं ऐसा समझता हूं कि जहां तक टैक्स की जो नीति हो किसी भी सरकार की वह इस प्रकार से हो कि जिसमें टैक्स का विकेन्द्रीकरण नहीं हो । आज टैक्स की नीति इस प्रकार की होती जा रही है कि आज केन्द्रीय सरकार के जो टैक्सेज़ होते हैं वह लगाती है भारत सरकार, फिर अपने २ ढंग के अपने अपने राज्य में टेक्स लगते हैं, फिर नगरपालिकाओं को टेक्स लगाने का अधिकार दिया है और उसके बाद में पंचायतों को अधिकार दिया है । इससे होता क्या है कि एक नीति सारे राजस्थान में एक सी नहीं हो सकती है और उसके साथ साथ देखना चाहिए कि डाइरेक्ट अपने अपने अधिकार के अनुसार जो टैक्सेज़ लगते हैं और उन टैक्सेज़ के लगने का तरीका यह होता है । आज जो सही मायने में समाजवादी समाज के टैक्सेशन की नीति ऐसी होना चाहिए कि अप्रत्यक्ष टैक्सेज़ चाहे भले ही लग जाय । अप्र-

(श्री मुरलीधर व्यास)

त्यक्ष टैक्सेज़ का असर हर आदमी पर नहीं होता है, परन्तु प्रत्यक्ष टैक्स लगने का असर हर आदमी पर होता है । हमारा काम तो यह था कि उनको अधिकार दें और अधिकार देने के साथ-साथ हमें उस नीति को विकेन्द्रित करना चाहिए था; उस अधिकार को इसलिए विकेन्द्रित करना चाहिए कि उस विकेन्द्रित अधिकार के द्वारा अधिक से अधिक लोगों से टैक्स वसूल किया जा सके मैं समझता हूं कि उससे आज जो सही मायने में, जैसा दृष्टि-कोण लेकर हम चलना चाहते हैं, उसका विकास नहीं हो सकेगा । इसलिए मैं यह उम्मीद करता हूं कि चाहे बैलों के ऊपर कर लेने का सवाल हो, चाहे और कोई सवाल हो हर गांव में बैल होते हैं, जो इधर उधर जाते हैं । पंचायतों से उनको बहुत बड़ा कष्ट होगा कि फाटक के अन्दर. बैलों को रख दें । इस संबंध में गांव के लोगों ने किस प्रकार से कहां कहां दुरुपयोग किया है ऐसे उदाहरण बीकानेर में सैकड़ों देख सकते हैं । बीकानेर में बारिश के बाद खेती नहीं रहती है, खेती का समय रहे और उसमें अगर फाटक में ढोर डाल दिया जाय तो मान लें कि कहीं कुछ खा गया होगा, इसलिए डाल दिया, लेकिन बिना खेती के समय भी गांव में इस प्रकार से लोग जबरदस्ती लोगों के ढोरों को डाल देते हैं इसकी सैकड़ों शिकायतें की जा चुकी हैं । मैंने खुद ने देखा है कि बीकानेर के अन्दर जो गूजर लोग हैं, जिनकी सैंकड़ों गायें चरती हैं खेतों में खेती नहीं है, खेत सूने पड़े हुए हैं, खेती हुई नहीं फिर भी जो ढोर गांव की तरफ से जाते हैं, गांव के लोग उनको पकड़ कर फाटक में डाल देते हैं क्योंकि लोग चाहते हैं कि इससे कुछ न कुछ पंचायतों को मिले । पंचायतों का दृष्टिकोण साफ नहीं है, इतना विकास नहीं हुआ है । हमारी नीति टैक्सेज़ का पूर्णतया अधिकार देने की है तो व्यवस्था बैठाई जाय टैक्सेज़ की । अन्यथा डाइरेक्ट टैक्सेशन का अधिकार दे दिया गया तो नतीजा यह होगा कि हर आदमी के जीवन-निर्वाह, जीवन-स्तर पर एक बहुत भारी असर होगा । इस मूलभूत नीति का इसमें ख्याल रखना चाहिए । यह कहें कि ऐसे टैक्सेज़. का असर नहीं पड़ता है, टैक्सेज़ का असर पूरी तरह से पड़ता है । नगरपालिकाओं को भी इस प्रकार के अधिकार दिये हैं । नगरपालि-काएं सेलसटैक्स लगाती हैं तो टैक्स यहां तक लगा देती हैं कि एक रुपये पर चार आना जीरे पर लगाने के पॉवर्स दे दिये गये हैं । एक रुपये के जीरे पर चार आना और चार रुपये सेर जीरा होता है । यहां अधिकार का दुरुपयोग हो जाता है । इसका हर व्यक्ति पर असर होता है । ऐसी सरकार की नीति होनी चाहिए कि अधिकार जो दे तो प्रत्येक अधिकार ऐसे दिये जायं कि इन्डा-इरेक्ट टैक्सेज़ से अधिक वसूल नहीं करें । डाइरेक्ट मुनाफे की चीज है, उससे ज्यादा मिलता है । भले ही अधिकार दिये जायं परन्तु इन्डाइरेक्ट टैक्सेज़ का अधिकार किसी प्रकार से भी नहीं दिये जायं । तो मैं समझता हूं कि हमारे मूलभूत सिद्धान्तों के विपरीत नहीं होगा, बल्कि उसके लिए ठीक होगा । इतना ही मैं कहना चाहता हूं ।

श्री हीराजी भाई (कुशलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान पंचायत एक्ट जो पारित होने जा रहा है तो इससे सोचा जाता है कि यह हमारी वहां की जनता की जड़ मजबूत करेगा तब तो स्वयात्त शासन मन्त्री को सोच समझ कर कुछ पंचायतों को अधिकार देने

(श्रीहीराजी भाई)

की जरूरत थी। बाकी आज मैंने देखा कि कर लगाने का ग्राम पंचायतों को मौका दिया है। क्या ग्राम पंचायतें कर लगाये बिना जिन्दा नहीं रह सकती, भीख मांगे बिना हमारी ग्राम पंचायतें जिन्दा नहीं रह सकतीं। हमारे स्वायत शासन मन्त्री ने कर लगाने का अधिकार दिया है, यह मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता कि इन्हीं करों पर जिन्दा रहें, और इन्हीं के आधार पर हमारा राज्य चलता रहे। पंचायतों को कोई कर लोग नहीं देंगे और वे भिखमंगी हो जायेंगी और लोगों के साथ बड़ा विश्वासघात हो जायगा। मैं आपको उदाहरण देता हूं कि म्युनिसिपिल कमेटी ने २ रुपया फी मवेशी कांजी हाउस के और २ रुपया उनके खाने का लगा दिया है। इस तरह से चार रुपये गांव वालों के, बैलों पर लगा दिया था, वह कैसे पंचायत वाले वसूल कर लें, और आज तक फिर कानून कम जानते हैं कि जो बैलों के आधार पर कर वसूल किया जाय। नये कानून अमल में नहीं लाये जायं तो भी पंचायतें बहुमत के आधार पर, चाहे किसी पार्टी की पचायत हो, मैं यह नहीं कहता, जनता पर २ रुपया फी मवेशी कर लेगी और २ रुपया खाने के लेगी।

(२ म० प०)

और उसके लिये मैं तो यह कहूंगा कि हमारे हाथ में कार्यवाही करने और माफ करने की कोई गुंजायश नहीं रखी है इसलिये वैसा का वैसा यह भी है। टैक्स लगाने का अधिकार पंचायतों को दिया है। मैं समझता हूं, पंचायतों के पास आमदनी का जरिया नहीं है, लेकिन हम हर एक मद में पैसा खर्च करते जा रहे हैं, पैसा बरबाद करते जा रहे हैं; उसके बजाय हमारी पंचायतों को मदद करनी चाहिये। हमारी पंचायतों को सरकार द्वारा सहायता देकर मजबूत करना चाहिये। लेकिन जगह-जगह टैक्स लगाये जा रहे हैं। मनुष्य के बाल बाल पर और कपड़े कपड़े पर टैक्स लगा रहे हैं। जैसे-

(२. २ म० प०)

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

चुंगी कर, सेल्स टैक्स, इन्कम टैक्स, एग्रीकल्चर टैक्स, २ पैसा रुपया यह टेक्स लगाया है। इस प्रकार टैक्स वसूल करने का अधिकार ग्राम पंचायत को दे दिया है, यह लोगों को खरीदना है, टैक्स के विषय में तुम धंधा करो, ऐसा जनजीवन को खरीदना है। तभी तो टैक्स लगाने की आदत डाल रहे हैं, टैक्स को खत्म करके नया धंधा चलाकर राज्य चलाने की कोशिश कर रहे हैं। जिधर जावो, जिधर देखो उधर ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आय का नया साधन ढूढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। जो भाग पंचायत को देना था, वह ३ रु. सैकड़ा या ५ रु. सैकड़ा था, ऐसा देखा था, अभी मैं भूल गया हूं, ऐसा तय किया था, लेकिन अब ग्राम पंचायतों को चलाने के लिये भी टैक्स लगाया जा रहा है, नियमित रूप से लोगों का शोषण किया जा रहा है और करों के आधार पर राज्य चलाते जा रहे हैं। ग्राम पंचायतों में वैसे जबर्दस्त घाटा ला दिया है जिसकी वजह से टैक्स लगा दिया गया। इसके अलावा यह भी नहीं दिखता कि बजट में भी ग्राम पंचायतों को देना तय किया हो, अगर ऐसा होता तो वह रकम और पंचायतों की रकम मिला कर पंचायतों का काम चल जाता, लेकिन उनकी नींव मजबूत करने नहीं

Page No.62

(श्री हीराजी भाई)

देते और लोगों के खाने-पीने की और आवश्यक चीजों पर टैक्स लगाकर पैसा इकठा करना चाहते हैं। इस जमाने में हमारी जनता के साथ यह अंधेर भरा बर्ताव कहां तक रहेगा ? मैं मानता हूं और यह सही है कि बहुमत पार्टी की, आपकी जब तक हुकूमत है तब तक आप ऐसा कर सकते हैं लेकिन यह नीति कितने दिन रहेगी, लेकिन बाद में नहीं रहने वाली है। आखिर में हमको सोचना पड़ेगा कि किस प्रकार ग्राम पंचायतों को चलावें। भीख मांग कर पंचायतों को चलावेंगे तो उससे ये मजबूत नहीं होंगी। इसलिये मैं ग्राम पंचायतों को टैक्स लगाने का अधिकार देने के लिये बहुत जोर से विरोध करता हूं। जनता पर कर लगाने के बनिस्पत सरकार उनको सहायता दे तो उनकी मांग मीट हो सकती है। गोल-मोल बातें बताकर टैक्स लगाने को तैयार होगये इसलिये हमको इसका विरोध करना पड़ता है। मैं प्रार्थना करूंगा कि इस बिल को पारित नहीं किया जाय और वापिस लिया जाय।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी हमारे सामने राजस्थान पंचायत एक्ट, १९५९ है, उसमें दो संशोधन रखे गये हैं। एक तो यह है कि जो टैक्स पंचायतें लगाती हैं उनके लिये राजस्थान गवर्नमेन्ट की प्रीवियस सेंकशन ली जाती है, दो बार, उसके बजाय एक बार ली जाय और दूसरा जो संशोधन है वह संशोधन नहीं है बल्कि एडीशन है, एक नयी धारा जोड़ी गई है "animals or goods or both brought within the Panchayat circle for consumption or use therein."

एनिमल्स या कोई वस्तु पंचायत सर्कल में लाई जावेंगी तो उन पर चुंगी लगाने का अधिकार पंचायतों को दिया है। यह संशोधन विधेयक मनी बिल की सेंस में आता है। जिस तरह एनिमल्स पर ऑक्ट्रोय ड्यूटी लगाई है, उस पर विचार करना है। गांवों में हम देखते हैं कि ग्रामीण किसानों की कोई आवश्यक वस्तु यदि होती है तो वह है बैल। वे जब गांवो में बैल लाते हैं तो उन पर चुंगी लगाते हैं तो वास्तव में यह किसानों पर कुठाराघात होगा। इसलिये यह एडिशन अनुचित है। कोई वस्तु गांव में लाई जाय और आप उस पर चुंगी वसूल कर लें, यह उचित बात नहीं मानी जा सकती। यदि यह चुंगी मेला वगैरह पर होती तो बात दूसरी थी। मेला वगैरह में बाहर से जो वस्तुएं आती हैं उनपर ली जायंगी, यह होता तो साफ बात हो जाती है लेकिन एडिशन में ऐसी बात नहीं है, कोई भी माल लाते हैं तो उस पर चुंगी लगेगी।

अब सवाल यह आता है कि पंचायतें जो चुंगी लगाती हैं उसका सदुपयोग करती हैं या नहीं। वैसे सभी माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि जब हम पंचायत सर्कल्स में जाते हैं तब हमको मालूम होता है कि उनके पास ग्राम सुधार के लिये उचित धन नहीं है और इसलिये वे राज्य सरकार के पास धन के लिये आवेदन करते हैं। यह बात निर्विवाद है कि पंचायतों को धन की आवश्यकता है। लेकिन पंचायतें धन किस प्रकार प्राप्त करें, उसके लिये दो ही रास्ते हैं। एक तो यह कि टैक्स लगा कर धन वसूल करें और दूसरा रास्ता यह है कि राज्य सरकार धन की सहायता उन्हें दे। मैं सबसे अच्छा रास्ता यह समझूंगा कि राज्य सरकार उनको धन दे। हम यह चाहते हैं कि पंचायतें अपने पैरों पर खड़ी हों और अपने आप में स्वतन्त्र

(श्री दयाकृष्ण विजय)

रह कर काम करें और ग्राम विकास का भार उनके कंधों पर रहे, इसमें दो मत नहीं हो सकते। लेकिन बात यह है कि टैक्सेशन का अधिकार उनको दें या नहीं दें,प्रश्न यह सामने आता है। पंचायतों में जो लोग चुनकर आते हैं उनमें से अधिकांश शिक्षित नहीं होते। मुझे अनुभव है, कई पंचायतों में ऐसे व्यक्ति हैं जो केवल अपना नाम लिख पाते हैं और वह भी उन्होंने इसलिए सीखा है कि पंचायत एक्ट में ऐसी बाधा है कि पढ़े-लिखे लोग ही खड़े होने चाहिए। मैं जानता हूँ कि कितने ही ग्राम पंचायतों के सरपंच भी केवल दस्तखत करना जानते हैं। टैक्स से कितना भार पड़ेगा, कितना नहीं इसका ज्ञान उनको नहीं है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि टैक्सेशन का कम से कम भार उनको देना चाहिये और उनको आय के साधन राजस्थान सरकार के राजस्व में से देना चाहिये।

दूसरी बात जो सामने आती है वह यह है कि पंचायतें किस प्रकार का टैक्स लगाती हैं। क्या उनको उन चीजों पर टैक्स लगाने का अधिकार दें जो ग्रामीणजनों के अत्यन्त जीवनोपयोगी हैं? इसमें लिखा है "एनि गुड्स एण्ड एनिमल्स"; इस परिभाषा में कौन से गुड्स आयेंगे, यह अस्पष्ट है। एनिमल की परिभाषा में बैलों आदि पर, जो कि ग्रामीण जनता के लिये परम आवश्यक चीज है, इस प्रकार का अधिकार देना ठीक नहीं है। पंचायतों में दो गुट बहुधा पाये जाते हैं। एक गुट दूसरे से दुश्मनी निकालने की कोशिश करता है। यदि आप उनको इस तरह का टैक्स लगाने का अधिकार देंगे तो वे मनमानी ढंग से काम करेंगे क्योंकि इसमें सेंक्शन लेने की तो जरूरत नहीं है, वह तो मंजूर हो गई। ऐसी हालत में पंचायतें इसका पालन कुछ लोगों के साथ कठोरता के साथ करेंगी और कुछ लोगों के साथ नहीं करेंगी। तो जो अस्पष्ट चीज है और जो प्रत्यक्ष टैक्स है, उसका विरोध हर वर्ग करेगा और मैं भी इसका विरोध करता हूँ और मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि इसको पारित करने से पूर्व इस पर पुनर्विचार करें ताकि इसमें जो कितनी ही कमियें हैं; जैसे गुड्स को डिफाइन नहीं किया, बैलों जैसी दैनिक काम की चीजों पर टैक्स लगाया, जो उचित नहीं है। इसलिए इस पर पुनर्विचार किया जाय। मैं यह मानता हूं कि बहुमत के आधार पर यह कोई बड़ा संशोधन नहीं है और बहुत बड़ा काम नहीं है जो बहुमत के आधार पर ही पास कर दिया जाय। अगर बहुमत के आधार पर ही पास कर दिया जाता है तो यह ठीक नहीं है। हम जो संशोधन रखते हैं वे बहुत विचार के साथ रखते हैं, समझते हैं इसलिये रखते हैं। यह चीज ठीक है कि यह अमेंडमेंट अपोजीशन करने वाले लोगों ने रखा है, इसलिए इसको मंजूर नहीं कर सकते। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि आप इस पर पुनः विचार करें। इसमें यह अमेंटमेंट रख कर, जो एडीशन किया है, उससे इसे मनी बिल की शक्ल मिल गई है, इसलिए इस अमेंटमेंट को नहीं रखना चाहिए। इसके साथ ही गुड्स को परिभाषित करना चाहिए या नहीं, इस बात पर भी विचार करना चाहिये, यह मेरा आपसे अनुरोध है।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय स्वास्थ्य मन्त्री ने पंचायत एक्ट में संशोधन करने के लिए, बैल पर टैक्स लगाने के लिए जो अमेंटमेंट रखा है, उसके लिए दो-तीन बातें सुझाव के रूप में, मैं निवेदन करना चाहता

(राव राजा श्री सरदारसिंह)

हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान एक कृषि प्रधान प्रदेश है और कृषि के लिए बैल की अत्यन्त आवश्यकता है। आप देखिये कि बाहर से 'गो मोर फूड' के लिए हर आदमी बैल लाता है, मेले में से बैल लाता है, उसे मेले में टैक्स देना पड़ता है। और मेले में से बैल लाकर जब पंचायत क्षेत्र में लायेगा तो वहां दूसरा टैक्स देना पड़ेगा। इस तरह एक आदमी पर बैल के लिए दो तीन टैक्सों का भार पड़ जायेगा। तो क्या इसका मतलब यह है कि यहां पर बैलों की कमी हो, लोग बाहर से बैल न लावें, बैलों के जरिए खेती न हो? आपकी क्या नीति है? आप देखिए कि राजस्थान में कई जगह मेले भरते हैं, विभिन्न पंचायतों द्वारा मेले भरते हैं, क्योंकि मेलों के द्वारा टैक्स से आमदनी होती है। अगर इन मेलों में खरीदे बैल पंचायत के क्षेत्र में लायेंगे तो उन्हें टैक्स देना पड़ेगा। इसलिए मैं यह कहता हूं, यह टैक्स सिर्फ मेलों के लिए सीमित रखा जाय, जो मेलों से खरीदें और उन्हें पंचायत क्षेत्र में लावें तो उन पर टैक्स नहीं लगायें। इसकी वजह यह भी है कि मेलों में लोग बैल और दूसरी चीजें इसलिए लाते हैं कि लोग वहां से खरीदें और देश की उन्नति हो। जो लोग वहां बेचने वाले हैं, खेती की चीजें, उनको खरीद कर लोग पंचायत के क्षेत्र में लायेंगे, उस पर भी टैक्स लगेगा, यह नहीं होना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि आप यह टैक्स लगायेंगे, यह मैं जानता हूं क्योंकि आपका बहुमत है। लेकिन इसका नतीजा क्या होगा, इसका नतीजा यह होगा कि गांव वाले इस पंचायत क्षेत्र को छोड़ कर म्यूनिसिपल कमेटी के क्षेत्र में ठहर जायेंगे क्योंकि बैलोंपर वहां टैक्स नहीं लगेगा।

इसके साथ ही मैं कहता हूं कि इस टैक्स की बिना से जो पंचायत हैं, उनके पंच और सरपंच हैं, वे हर किसी के बैल को बिना वजह फाटक में घुसेड़ देंगे और कहेंगे कि मेले से लाये हो, इसका टैक्स दो। इससे काश्तकारों को परेशान होना पड़ेगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बैलों पर टैक्स नहीं लगाना चाहिये।

श्री मोघजी (बांसवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस पंचायत टैक्स के बारे में कुछ विचार प्रगट करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने हमारे राजस्थान में पंचायतों का, टैक्स को आधार मान कर, निर्माण करने का जो संशोधन रखा है, मैं उसका विरोध करता हूं। राज्य सरकार ने ग्राम पंचायतों को यह अधिकार देकर, ग्राम पंचायतों को सुचारु रूप से चलाने का टैक्स का आधार माना है लेकिन वास्तव में हमें मालूम होता है कि इसमें सन्देह है, जो कि धीरे धीरे आम जनता में घृणा पैदा कर रहा है। ग्राम पचायत अगर इस प्रकार के टैक्स बढ़ाती रही तो जनता का उन पर से विश्वास हट जायगा क्योंकि उनकी पंचायतें होकर ही उन पर इतना अधिक टैक्स लगायेंगी। हर एक गांव के काश्तकार को जितना इन् डाइरेक्ट कर राज्य सरकार के खजाने में भरना पड़ता है, उसके साथ ही अगर पंचायतें भी उनसे सीधा टैक्स वसूल करना चाहती हैं तो उससे मालूम पड़ेगा कि जनता की अपनी चुनी हुई पंचायत के पंच और सरपंच के प्रति, पंचायत के प्रति अविश्वास पैदा होगा। पंचायतों को यह अधिकार है कि उसे वहां की जनता के लिए क्या क्या करना चाहिये, गांव

(श्री मोचजी)

की सुख सुविधा के लिए, गांव की तरक्की कैसे हो, इस दृष्टि से वहां के सरपंच और पंच काम करें ताकि जनता में यह भावना पैदा हो कि हमारे यहां जनता का राज्य है, पंचायत का राज्य है, इस राज्य को चलाना है; इसलिए इसका पूर्णत: साथ दें। लेकिन सरकार आम जनता से, काश्तकारों से कर वसूल करती है, इससे उनमें संतोष नहीं है कि पंचायतों को टैक्स के आधार पर चलाना चाहते हैं। अगर सरकार को पंचायतें चलानी हैं; जनता में विश्वास पैदा करना है, जनता में एक प्रजातन्त्र की नींव डालनी है, तो क्या टैक्स के आधार पर पंचायतें चल सकती हैं, या नहीं चल सकती; इस पर विचार करना चाहिए। अगर आपको पंचायतों को चलाना है, जनता में विश्वास पैदा करना है तो पंचायतों को चलाने के लिए राजस्थान में से उन्हें रुपये में से चार आना देना होगा, ताकि आसानी से पंचायतें चल सकें। लेकिन ऐसा न करके पंचायतों को जानवरों पर टैक्स लगाने का अधिकार देंगे, टैक्स वह जनता से वसूल करेंगी तो धीरे धीरे हमारे दिल में, जनता के दिल में उनके लिए घृणा पैदा होगी और यह भावना पैदा होगी कि हमारी जो पंचायतें हैं वे टैक्स के अलावा कुछ करने वाली नहीं। इस प्रकार से टैक्स पंचायतों की मार्फत वसूल करवाने से आम जनता में घृणा पैदा होगी।

दूसरी बात यह है कि पंचायतों में जब जब कभी चुनाव होते हैं तो चुनाव में भी काफी धांधलेबाजी, तहसीलदार और दूसरे अधिकारियों द्वारा की जाती हैं। जनता आज यह चाहती है कि कानून के आधार पर चुनाव होने चाहिए। उस प्रकार चुनाव वहां नहीं होते, वहां पर चुनाव हाथ उठा कर मतदान प्रणाली से किये जाते हैं। इससे आम जनता में घृणा पैदा होती है और आम जनता में यह विचार है कि जो चुनाव प्रणाली है वह गलत है। मतदान का तरीका चुनाव के लिए मतदान पेटी में मत डालने का, वैधानिक तरीका माना जाय। अगर इस प्रकार की चुनाव प्रणाली सरकार पंचायतों में नहीं चलाती तो आम जनता में झगड़े होते हैं और घृणा पैदा होती है। यह भावना उन उन लोगों में धीरे धीरे बढ़ती जाती है कि इस पार्टी का व्यक्ति चुनाव में जीता, उस पार्टी का व्यक्ति चुनाव में हार गया। तो जो चुनाव का तरीका है, वह सही ढंग का हो, और चुनाव की प्रणाली मतदान पेटी में मत डालने की प्रणाली हो जिससे आम जनता में विश्वास पैदा हो सके और आपस के झगड़ों के बिना काम चल सके। मेरा निवेदन है कि ग्राम पंचायतों को इस प्रकार के छोटे छोटे टैक्स के अधिकार न देकर, उन पंचायतों को दूसरे तरीके से चलाने का कार्य करें और उन पंचायतों से स्कीम मांगें। लेकिन हम अगर इन पंचायतों को टैक्स लगाने का अधिकार देकर पंचायतें कायम करेंगे तो जनता में अविश्वास पैदा होगा। इसलिए इस टैक्स को हटा दिया जाय जिससे काश्तकारों में आपस में झगड़े न हों। इस चीज को ध्यान में रखेंगे, यह माननीय मन्त्रीजी से निवेदन है।

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : माननीय उपाध्यक्ष, हमारे सामने आज यह सबसे बड़ा सवाल है कि पंचायतों का खर्चा किस प्रकार चलाया जाय, आया रेवेन्यू में से कुछ हिस्सा पंचायतों को दिया जाय, या पंचायतों को अधिकार दिया जाय कि पंचायतें अपने क्षेत्र में टैक्स लगा कर पंचायत का खर्चा चलायें। उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने पंचायतों को यह अधिकार दिया है कि पंचायतें अपने

(श्री गिरधारीलाल)

क्षेत्र में टैक्स लगायें और अपने खर्चे को चलायें। उपाध्यक्ष महोदय, अब जो यह अमेंडमेंट सरकार ने सदन के सामने प्रस्तुत किया इसमें केवल इतना है कि पहले पंचायतें अपने क्षेत्र में जो टैक्स लगाती हैं, उनकी सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी और अब वे टैक्स लगा सकते हैं और सरकार से अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक मैं सोच पाया हूं और इस तरह की राय कई माननीय सदस्यों ने सदन के सामने पेश की हैं कि पंचायतों को आज तक टैक्स लगाने का अधिकार दिया है वह अधिकार नहीं दिया जाना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, वर्तमान में राजस्थान के किसानों के सामने सब से बड़ी समस्या यह है कि किसानों की आर्थिक हालत किस प्रकार सुधारी जाय ! माननीय उपाध्यक्ष, आज हम देखें कि वर्तमान सरकार कई रूप में किसानों से टैक्स के रूप में रुपया वसूल करती है। जहां जिला बोर्ड किसानों से टैक्स वसूल करती है, पंचायतें किसानों से टैक्स वसूल करती हैं और लैंड रेवेन्यु के रूप में भूमि कर लगाने के रूप में किसानों से टैक्स वसूल किया जाता है, एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स के रूप में किसानों से टैक्स वसूल किया जाता है और सरकार और और बीसियों रूप में टैक्स किसानों से वसूल करती है। आज जिस वर्ग पर टैक्स लगाने जा रहे हैं, आज उसकी आर्थिक हालत कैसी है, यह हमें सबसे पहले देखना है। अगर आर्थिक हालत ठीक है तो कोई एतराज नहीं, जिस वर्ग की आर्थिक हालत ठीक है उस पर टैक्स लगाना चाहिये पर आज हम देखते हैं कि वर्तमान सरकार कहती है कि हमने किसानों के लिये भिन्न भिन्न काम किये हैं, पर मैं पूछता हूं सरकार से, सरकार के नुमायन्दों से कि क्या आप दावे के साथ कह सकते हैं कि आजादी मिलने के बाद आज तक किसानों की आर्थिक हालत और स्टेन्डर्ड ऑफ लिविंग, रहन सहन का स्तर कितना उठा है ? मैं कहता हूं कि वह नहीं उठा है, पहले था वैसा ही है। फिर भी आज वर्तमान सरकार तरह तरह के टैक्स किसानों पर लगाती है, अप्रत्यक्ष रूप में किसानों से तरह तरह के टैक्स लेती है।

जहां तक पंचायतों के टैक्स का सवाल है पंचायतों की आर्थिक हालत ठीक करने के लिए, उनका अपना खर्चा चलाने के लिये पंचायतों को पैसा चाहिये। इसके लिये सरकार को चाहिये कि जो लगान किसानों से वसूल किया जाता है उस लगान का कुछ प्रतिशत हिस्सा इन पंचायतों को मिलना चाहिये। अगर इस प्रकार का प्रोविजन रख देते हैं और पंचायतों को टैक्स लेने का अधिकार रखा है वह अधिकार छीन लेते हैं तो कोई ऐसी बात नहीं होगी। आज किसान वर्ग ज्यादा बोझा सहन करने की हालत में नहीं है।

तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि आज किसानों पर भिन्न भिन्न बोडीज़ द्वारा टैक्स लगाया जाता है, वह नहीं लगाया जाय। यही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

(अनेक माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवचरणदास।

श्री शिवचरणदास (मांडल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के पारित होने में मुझे एक बड़ा भारी ताज्जुब हो

(श्री शिवचरणदास)

रहा है। आखिर हम एकतन्त्र शासन और इस प्रजातन्त्र शासन में क्या फर्क देखते हैं ? जिन बातों को लेकर हमने स्वतन्त्रता प्राप्त की है, आज की स्थिति में, रहन सहन की स्थिति में हम कितनी उन्नति कर पाये हैं, उसमें क्या अन्तर है ? अन्तर केवल यह है कि पहले एक आदमी अपनी आत्म-स्वतन्त्रता महसूस करता था, उसको वह आज और ज्यादा खो बैठा है। आज हर नागरिक की आत्मा में निरन्तर चिन्तन रहता है कि भगवान् आज का हमारा दिन जिस ढंग से बीत चुका है, तो क्या कल का दिन भी हमारे लिए उसी तरह का आ सकता है, वह भविष्य को हमेशा खतरे में समझ बैठा है और आज उसका इस तरह समझना बिलकुल ठीक है। स्वतन्त्रता का मतलब यह है कि किस तरह अपने जीवन को बिना किसी रुकावट के, अपना एक सात्विक जीवन व्यतीत कर सकें; पर आज इसके बजाय आप प्रत्येक नागरिक को इस तरह से बांधना चाहते हैं, जगह जगह सील मोहर उसके जीवन पर लगा देना चाहते हैं कि वह करवट भी न बदल सके।

इन सत्तारूढ़ दल के नुमायन्दों को कहां तक कहें, इन्होंने विद्यार्थियों को नहीं छोड़ा, किसानों को नहीं छोड़ा, अन्य किसी वर्ग को नहीं छोड़ा, उनके खून को चूसा, मांस को नोचा और अब हड्डी तक को नोचना चाहते हैं कि किसी नागरिक को किसी तरह जिंदा नहीं रहने दें। हम इसको पारित करने जा रहे हैं ! इसमें यह लिखा है कि गुड्स और एनीमल्स पर भी, जानवर लाने ले जाने में, कोई चीज लाने ले जाने में टैक्स लगेगा। पंचायत का क्षेत्र मुश्किल से दो ढाई मील के एरिया का मिलेगा, उस ढाई मील के एरिया में बाहर के दूसरे एरिया से कोई जानवर लायेगा, उस पर उसे चुंगी चुकानी पड़ेगी, कोई व्यक्ति अपने बरतने के लिये कोई वस्तु, कोई चीज लायेगा तो उसे उसके लिए चुंगी चुकानी पड़ेगी।

तो इस तरह आज क्षण-क्षण और कण कण के अन्दर हमारी सरकार टैक्स लगाना चाहती है और हर नागरिक पर वजन डालना चाहती है। हम प्रश्न करते हैं तो सरकार जवाब देती है कि हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर है, हमें पैसे की जरूरत है, हम प्रगति कर रहे हैं, यह कैसी प्रगति ? इस प्रगति की परिभाषा मैं नहीं समझ पाया, किसके लिये आप प्रगति करना चाहते हैं ! एक तरफ तो नागरिकों के घुटने तोड़ कर इस तरह से नीचे बैठा दें और दूसरी तरफ कहें कि हम उनकी प्रगति करना चाहते हैं। यह प्रगति है ? तो क्या वह प्रगति सत्तारूढ़ दल के लिये है, या चन्द नुमायन्दे जो इस सदन में आकर बैठते हैं उनके लिये प्रगति करना चाहते हैं, और जो गांवों में कस कर मेहनत करते हैं और खून पसीना एक करके बड़ी मुश्किल से खतरे के साथ अपना निर्वाह चलाते हैं, फिर उनके करवट बदलने तक के लिये गुंजायश नहीं रखना चाहते, यह कौन सी प्रगति, कौनसा प्रजातन्त्र है !

इसलिये माननीय उपाध्यक्ष, मैं निवेदन करूंगा कि आप इस बात में सतर्क रहें और इस तरफ ध्यान दें कि आप आज नागरिकों के श्वांस श्वास पर टैक्स लगाने जा रहे हैं, तो किसी जगह तो उसे स्वतन्त्रतापूर्वक, सहूलियत के साथ सांस लेने का मौका दें, इसी को मैं स्वतन्त्रता समझता हूं।

इससे आगे बढ़ कर मैं उनको सचेत कर देना चाहता हूं; मुझे एक बात याद आती

Page No.68

(श्री शिवचरणदास)

है मनु बैन की लिखी किताब, जिसमें लिखा गया कि महात्मा गांधी ने एक जगह लिखा है कि वह दिन दूर नहीं जब जनता इस सफेद टोपी को चुन चुन कर खत्म करेगी। और मैं समझता हूं वह दिन दूर नहीं।

(विरोध पक्ष की ओर से करतल-ध्वनि)

इस प्रकरण में कुर्सी के मद में मदहोश होकर होश को भूले बैठे हैं, मैं चुनौती देना चाहता हूं कि गरीबों के खून को चूस कर अपने ऐशों को कायम रखना चाहते हैं, यह आपके लिये एक दिन खतरा हो सकता है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

(श्री रामचन्द्र व अन्य कई माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : विरोध में या पक्ष में?

श्री रामचन्द्र : पक्ष में।

श्री उपाध्यक्ष : विपक्ष में हों तो बोलिये, पक्ष में तो मन्त्री महोदय कह देंगे।

Yes, Hon'ble member on my left side.

श्री मोहरसिंह (चूरू) : उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न हाउस के सामने विचारार्थ प्रस्तुत है, उसके विषय में मुझे दो शब्द कहने हैं। इसके अन्दर पंचायतों को यह अधिकार दिया गया है कि राज्य सरकार की इजाजत लिये बिना वह टैक्स बढ़ा सकती है या लगा सकती है। वास्तव में यह एक बहुत ही विचारणीय चीज है। पंचायतों को अधिकार दिये जावें, उसके विपक्ष में मैं समझता हूं कि कोई नहीं हो सकता लेकिन एक तरफ आप उनको अधिकार देते हैं और दूसरी ओर आपने यह शब्द लिखे हैं कि उनको टैक्स बढ़ाने का अधिकार है, सरकार की इज़ाजत बगैर वह टैक्स बढ़ा सकती है। यह चीज़ वास्तव में सोचने की चीज है। जिस समय हमारे सामने टैक्स का प्रश्न आता है वहां पर हमको यह देखना और विचारना होता है कि वास्तव में काश्तकारों की हालत क्या है? देखा जाए तो काश्तकारों की हालत खराब है और जिस समय टैक्स का अधिकार दिया जा रहा है उस समय यह देखना जरूरी हो जाता है कि किसके द्वारा टैक्स लगाया जावे और बढ़ाया जावे, यह एक विचारणीय चीज है। मैं यह कहूँगा कि वास्तव में इस प्रजातंत्र युग में इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि इन बोडीज़ को अधिकार नहीं दिया जाना चाहिये। लेकिन साथ में आपने 'टैक्स' शब्द इस प्रकार जोड़ दिया है जिससे दबे हुए इन्सानों को और भी दबाया जावेगा और उनको और भी दबाने में खुली छूट होगी। अब तक पंचायतों के तीन वर्षो के इतिहास में हमने देखा है कि उनको अधिकार देने में जिस तरह से जल्दी की जा रही है उसी प्रकार यह नहीं देखा जाता कि वास्तव में जितने उनको अधिकार दिये जा रहे हैं उनका वे सही रूप से प्रयोग कर रहे हैं या नहीं? पंचायतों को अधिकार दिये जाने के लिये हमें विरोध नहीं करना चाहिये क्योंकि हम सब इस बात के लिये हमेशा लड़ते आये हैं कि जनता को ज्यादा से ज्यादा अधिकार दिये जावें और इसके लिये हम पुरानी हुकूमत से लड़ते आये हैं कि पब्लिक को ज्यादा से ज्यादा अधिकार दिये जावें। लेकिन साथ में हमें यह भी देखना होगा कि वास्तव मे चुनी हुए बोडीज़ हैं अच्छी तरह से न्याय तुला पर तोल कर अपना काम कर रहे हैं या नहीं? मगर हम देखते

(श्री मोहरसिंह)

हैं कि जितनी निगरानी इस सम्बन्ध में रखनी चाहिये नहीं रखी जा रही है। पंचायत एक्ट में एक चीज थी। प्रशासकीय अधिकारों के सम्बन्ध में मैंने अच्छी तरह से विचार किया। प्रशासन के मामलों में तहसील पंचायत की कहीं अपील नहीं। उसमें एक चीज नहीं शामिल होने से कितना झगड़ा हो रहा है ? एक चीज नहीं होने से जब हम किसी भी मंत्री महोदय के पास भागते भागते जाते हैं या किसी चीफ पंचायत ऑफिसर के पास जाते हैं, तो कहता है कि इसके लिये कोई क्लाज़ नहीं है, हम क्या कर सकते हैं ! इसलिये यह चीज भी उनके हाथ में देने से बड़ी गड़बड़ होगी। आज पुराना इतिहास बताता है और उसको देखने से मालूम पड़ता है कि आपस में गावों में पार्टीज़ चलती रहती है और इससे हमारे अधिकारों का उचित ढंग से प्रयोग नहीं होता। हम यह चाहते हैं कि हमारे जो अधिकार दिये हुए हैं उनका ठीक ढंग से, वे लोग इस युग में इस्तेमाल करें चाहे वे पंच हों, चाहे दूसरे हों। इसलिए ऐसी हालत में पंचायत को टैक्स लगाने का अधिकार देना, मैं समझता हूं कि ज्यादा से ज्यादा बाधाजनक पड़ेगा। इसलिए मैं इस टैक्स के प्रश्न का विरोध करता हूं कि इस संशोधन में जो टैक्स राज्य सरकार की इजाज़त के बिना बढ़ाने की बात रखी है वह वास्तव में उचित नहीं। पंचायतों को जो अधिकार दिये जाते हैं उनका मिसयूज तो नहीं हो रहा है, यह भी ध्यान में रखना जरूरी है। मगर अमूमन इसका मिसयूज ही होता है। जब तक इसका यूज सही रास्ते में न हो तब तक यह अधिकार देना जनता के हितों के खिलाफ पड़ेगा और जो गरीब हैं उनको बड़ी दिक्कत होगी। इसलिये इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री रामकरणसिंह (कोटपुतली) : उपाध्यक्ष महोदय, पंचायत बिल में सेक्शन ६४ में संशोधन आया है उसका मैं घोर विरोध करता हूं। इसमें जो एमेंडमेंट लाया गया है और जो एक्ट जोड़ा है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ इन्कम में वृद्धि होती है और इससे वह मनी बिल हो जाता है और जब मनी बिल होता है तो इसकी इजाजत राज्यपाल से लेनी आवश्यक है। इसलिये राज्यपाल महोदय, से इसकी इजाजत ली गई या नहीं ?

दूसरी बात खास कर यह, जिस तरह यह बताया गया है : "Animals or goods or both brought within the panchayat circle for consumption or use therein," यह एक ऐसी चीज है जिसमें एनिमल्स के लिये कोई क्लीयर नहीं किया गया है कि कौन कौन से पशुओं पर यह टैक्स लगाया जावेगा। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि गाय या बछड़ा या बैल वगैरह या छोटे बड़े जितने भी जानवर हैं उन पर टैक्स लिया जावेगा। क्योंकि इसमें साफ कोई जानवर डिफाइन नहीं किया गया है कि कौन से जानवर पर होगा, इसलिये यह कतई साफ नहीं है

दूसरी बात गुड्स की है। इसमें सभी चीजें आ जाती हैं और सभी प्रकार का सामान आ जाता है। किस प्रकार का सामान माननीय मन्त्रीजी ने समझा है, उसका उल्लेख नहीं किया गया है और यह पंचायत पर निर्भर होता है कि जो सामान वह उचित समझे, आप जानते हैं कि आज की पंचायतों में किस प्रकार की कार्यवाही चल रही है और किस प्रकार की पंचायतें चुनी जाती हैं और किस प्रकार से निष्पक्ष कार्य होते हैं और किस प्रकार से पंचायतों के पंच न्याय करते हैं !

(श्री रामकरणसिंह)

इसके लिये समय-समय पर सदन में अवगत कराया गया कि पंचायतें किस तरह से कार्य कर रही हैं। इसलिये जितनी भी चीजें इस एमेन्डमेंट में इस क्लॉज़ द्वारा बढ़ाई जावें उसमें यह गुड्स और एनिमल के लिये बात आई है। उसकी परिभाषा नहीं दी गई है कि कौन-कौन से पशुओं पर और कौन कौन से सामान पर टैक्स लगाया जावेगा और जब हम देखते हैं कि इसमें परिभाषा नहीं दी गई है तो किसी पर भी जब चाहे पंचायत टैक्स लगा सकती है। जब हम पंचायतों की यह हालत देखते हैं जो मौजूदा है तो इस प्रकार के क्लॉज़ ला कर, यह कह कर कि किसानों को फेसिलिटी दी जा रही है उनको पाबन्द करके ऐसा जकड़ दिया जाता है कि पंचायतों में रहने वाला कोई भी व्यक्ति स्वतन्त्र रह कर काम नहीं कर सकता और स्वतन्त्र राय पर चल नहीं सकता। अगर वह व्यक्ति राजनीति से अलग रहना चाहता है और अलग रह कर काम करना चाहेगा तो उस दबाव में आकर, उसको मजबूर होकर किसी न किसी राजनैतिक पार्टी में शामिल होना पड़ेगा। इस एमेंडमेंट का एक मात्र मतलब यही समझता हूं कि जो व्यक्ति अपना गुजर बिना किसी पार्टी में रहकर करते हैं उनको घसीट कर राजनैतिक पार्टी लाना। जो व्यक्ति किसी तरह से किसी के दबाव में नहीं आवेगा उसको इस प्रकार के टैक्स के दबाव में डाल कर तंग किया जावेगा और उसको मजबूर होकर किसी पंच के साथ लगना पड़ेगा। इसलिए इस प्रकार का टैक्स लगाना उचित नहीं होगा और इस पर सोच विचार कर कार्य किया जावे। यह जान बूझ कर काश्तकारों को काम से अलग करके बेकारी पैदा करना होगा; आगे बेकारी काफी चल रही है, उनको शांति से कमाने नहीं देना और राजनैतिक पार्टी में शामिल होने के लिए तंग करना होगा। छोटी छोटी गलतियें कभी भी कर सकता है, उसके लिए वारन्ट या अन्य प्रकार से उसको तंग करना। मानलें कि वह व्यक्ति किसी जगह से या अपने खेत से जो दूरी पर पड़ता है क्योंकि आस-पास जमीन की कमी होने से दूर दूर रहते हैं जो पंचायत एरिया के बाहर होता है, लाता है तो उस पर केस बना सकती है। सरकार यह सोचे कि उनको राहत मिले, यह बात तो अच्छी है लेकिन वास्तव में देखा जाए तो उनको बाउन्ड डाउन किया जाता है किसी पार्टी में शामिल होने के लिये। इसलिए मैं माननीय मन्त्रीजी से बड़े अदब के साथ अर्ज करूंगा कि इस प्रकार का पार्टीबाजी का सर्कल स्टेटों में था, उसको अब यहां इस प्रकार की पाबन्दी लगा कर न होने दे। इसलिए इस प्रकार की पाबन्दी नहीं होनी चाहिए।

श्री अनूपसिंह (बालोतरा) : उपाध्यक्ष महोदय, आज जो एमेंडमेंट लिया जा रहा है उसके लिए मुझे कुछ अर्ज करना है। जब तक कि मेहता कमेटी की रिपोर्ट में बताई गई बातों को किस रूप में लागू किया जावेगा, उसकी रिकमन्डेशन को किस तरह से लागू किया जावेगा और उसका पंचायतों पर किस तरह का असर पड़ेगा और उसका किस तरह से फर्क पड़ेगा ; चूंकि अभी तक मेहता रिपोर्ट फाइनेलाइज नहीं हुई है तो मैं समझता हूं कि इससे पहले पंचायतों को इस तरह के टैक्सेज़ और खास कर ऐसे टैक्सेज़ जो पहले लगा रखे हैं, बढ़ाना मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत होगा। एक तो गलती है, गलती होने जा रही है वह तो बात ठीक है, लेकिन पहले जो गलतियां की गई हैं उनको वेलिडेट कर देना मैं समझता हूं कि आज के प्रजातन्त्र के

(श्री अनूपसिंह)

हिसाब से भी ठीक नहीं होगा। पहले सेन्क्शन लेने का प्रोविजन था, गवर्नमेंट की सेन्शन लिये बगैर पंचायत कोई टैक्स नहीं लगा सकती थी। लेकिन यदि अब इस प्रकार पंचायत को, बिना सेन्क्शन लिए टैक्सेज़ लगाने का हक दे दिया जाता है तो हर चीज पर टैक्सेज़ लगावेगी जिससे वहां की जनता दुखी होगी, किसान दुखी होंगे और उनका निराकरण और समाधान मुश्किल हो जावेगा। जैसा मेरे से पहले बोलने वाले वक्ता महोदय ने बताया कि animals or goods को डिफाइन नहीं किया गया है, यह एम्बीगुअस और वेग चीज है। इस वेगनेस को निकालने के लिए इसमें यह साफ किया जाय कि कौनसी चीज पर टैक्स लगेगा। जैसे जानवर हैं, कृषि के लिए लाये गये हैं, जैसे भेड़ बकरी हैं; लाये गये हैं या खेती के लिए बैल लाये गये हैं, जो खेती की उन्नति के लिये लाये गये हैं, किसान को अपने धन्धे में राहत देते हैं, जो किसान उन पर निर्भर रहता है, जिनसे उसका निर्वाह होता है उन पर लगा दिया जैसे इसमें है, "octroi on animals or goods" एनीमल्स पर लगा दिया, इसको डिफाइन नहीं करते हैं तो एक एम्बीगुएटी रहेगी कि कौन से पर लगेगा और कौन से एनीमल पर नहीं लगेगा। यदि जो चीजें कृषि की उन्नति के लिए जरूरी हैं, उन पर टैक्स लगेगा तो वह आज के प्रजातन्त्र के युग में उचित नहीं है। यह किसी पंचायत के कानून में नहीं होना चाहिए। गुड्स में भी साफ नहीं है कि कौनसे गुड्स ! ऐसे गुड्स भी हैं जो कि किसानों के रात-दिन काम में आते हैं; जैसे हल हैं, कृषि उत्पादन के लिए अन्य गुड्स हैं जिन पर किसान का जीवन निर्भर करता है, कृषि के उत्पादन के लिए जो आवश्यक हैं उन पर टैक्स नहीं लगाया जाना चाहिये; अन्यथा आप सोच सकते हैं कि इससे कृषि में उन्नति होगी, अन्न का प्रोडक्शन बढ़ेगा जितने प्लान्स हैं, उनको धक्का लगेगा। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करूंगा कि जब तक मेहता कमेटी की सिफारिशों पर यह तय न हो कि किस तरह टैक्स लगायें तब तक यह संशोधन पास नहीं करना चाहिए। पीछे जो किये गये हैं उनको वेलीडेट करना और भी गंदा काम हो जावेगा। पंचायत एक्ट में बहुत सी चीजें हैं जो साफ नहीं हैं; जैसे अपील्स हैं, जो तहसील पंचायतों से कहां जावेंगी, माना कि ज्युडिशियल केसेज़ की अपील्स सेशन में चली जावेंगी लेकिन रात-दिन के जो प्रशासनिक केसेज़ हैं वे कहां जावेंगे, उनके लिए कोई साफ प्रोविजन कहीं नहीं है। चीफ पंचायत ऑफिसर और शायद मिनिस्टर साहब भी चक्कर में होंगे कि उनको कहां और किसको दिया जावे। इसलिए प्रशासनिक चीजें, अपील्स का रिव्यू है ये ऐसी चीजें हैं कि जो पंचायतों के सरपंचों को दुख देती हैं और उनके दिमाग में नहीं बैठता है। यदि इन चीजों को लाया जाता तो ठीक होता, न कि ऐसे टैक्सेज़ को लाया जाय जिससे किसानों पर और अधिक बोझा पड़े। पहले ही उन पर भार काफी है और फिर से उसको बढ़ाना मेरे ख्याल से इस प्रजातन्त्रवाद में ठीक नहीं होगा और बिल्कुल अनुपयुक्त होगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदय उत्तर देंगे।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत शासन मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत सीधी साधी बात है और चक्करदार बात नहीं है। इस पर ज़रा माननीय सदस्य गौर करते तो

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

अच्छा होता। इस ओर दो गलतफहमियां मालूम पड़ती हैं। एक तो यह ख्याल किया जाता है कि इसमें प्रीवियस सेन्क्शन लफ्ज हटा दिये जावेंगे, तो पंचायतें मनमाने टैक्स लगा देंगी। दूसरी बात यह कही गई है कि यह जो दूसरा अमेन्डमेन्ट रखा गया है कि, 'previous sanction of the State Government' इस क्लॉज़ के पास होते ही टैक्स लगा दिये जावेंगे। मैं बड़े अदब के साथ अर्ज करूंगा कि दोनों ही बातें गलत हैं। पहले मैं इस बात को साफ कर दूं कि अमेन्डमेन्ट इसलिए लाया गया है कि दफा ६४ में साफ लिखा है कि विथ दी सेन्क्शन ऑफ दी गवर्नमेन्ट टैक्स लगेगा, "subject to the prescribed rules and orders made by the State Government in this behalf, a Panchayat may, with the previous sanction of the State Government, impose one or more of the following taxes."

पंचायतें प्रीवियस सेन्क्शन लेकर ये जो नीचे लिखे टैक्सेज़ हैं उनमें से कोई सा टैक्स लगा सकती है। हाईकोर्ट ने यह कहा कि इसमें डबल सेन्क्शन लेने की बात है; पंचायत फलां टैक्स लगानी चाहती है इसलिए इजाजत दी जाय, दुबारा पंचाचत ने गवर्नमेंट सेन्क्शन से लगाया इसलिए इसमें डबल सैंक्शन लेने की बात है। जब यह कानून बना था, शायद माननीय सदस्य थे, वे इससे वाकिफ होंगे, मैं भी था, वैसी कोई बात नहीं थी। लेकिन यही था कि मंजूरी लेकर टैक्स लगाये। अभी भी यही होता है कि पहले सेन्क्शन ली जाती है। इसमें कानूनी मसला ऐसा निकल गया है, डबल की बात है, इसलिए यह किया गया है। माननीय सदस्यों को जो गलतफहमी हुई है, वह अब नहीं रहेगी और साथ ही साथ यह और भी स्पष्ट कर देता हूँ कि ऐसी बात नहीं है कि पहले गवर्नमेन्ट की मजूरी नहीं होगी; गवर्नमेन्ट से स्वीकृति लेनी पड़ेगी।

दूसरी बात, माननीय सदस्यों ने यह फरमाया और खास तौर पर एक माननीय सदस्य ने तो यहां तक कहा कि काश्तकारों पर जुल्म हो रहे हैं और सफेद टोपी पहनने वाले हैं वे समाप्त हो जावेंगे।

श्री शिवचरणदास : यह बिल्कुल सही है। मैं आपकी भलाई के लिए कह रहा हूं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आपने भलाई के लिए कहा, वह ठीक है। लेकिन इस क्लॉज़ में साफ है, पंचायत इन टैक्सों में से कोई सा लगा सकती है। यह मैंने आपको पढ़ कर सुना दिया है। पहले एन्टरटेनमेन्ट टैक्स था, उसको हटा दिया गया है। ऑक्ट्रोय टैक्स है और यह अब भी पंचायतों की मर्जी पर, चाहे तो लगा दें, चाहे बैल पर लगा दें लेकिन गवर्नमेन्ट की सेन्क्शन लेना जरूरी है..........

श्री शिवचरणदास : वह कौनसी जगह है जहां टैक्स नहीं लगेगा, यह जरा बता दीजिये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : I do not want any disturbance please. I am on my legs.

मैं यह अर्ज करूंगा कि ऐसी बात कतई नहीं है। जो बात की गई है उसके कारण अर्ज कर दिये हैं। कई ऐसी पंचायतें हैं जो कन्वर्ट कराना चाहती है, कहीं ऑक्ट्रोय लगा हुआ है, लेकिन उस कानून में उनका हवाला

Page No.73

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

नहीं। है इसलिए इसको कवर इसमें किया गया है। लेकिन कोई छोटी पंचायत हैं, लगाना चाहती है तो लगा सकती है उसको इससे पॉवर्स हैं। और फिर भी ऐसा नहीं है, मनमानी नहीं कर सकते। यह भी कहा गया कि कांजी हाउस में जो पशु पकड़ लेते हैं उन पर भी जबरदस्ती टैक्स लिया जाता है। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं, कांजी हाउस में जो टैक्स लिया जाता है, वह न तो गवर्नमेन्ट का इम्पोज़ किया हुआ है और न गवर्नमेन्ट उसे लेने के लिये बाध्य ही करती है। वह तो एक प्रकार का जुर्माना है, जो इस बात का है कि कैटल्स जो आवारा फिरते हैं उनको पकड़ कर कांजी हाउस में ले आया जाता है, वह कैटल्स ट्रेस्पास एक्ट के अन्तर्गत सारे राजस्थान में म्युनिसिपैलिटीज़ द्वारा लिया जाता है। मैं यह भी अर्ज करूंगा कि इस बात को इस संशोधन एक्ट से मिलाना और यह कहना कि कांजी हाउस में टैक्स लेकर, जुर्माना लेकर जनता पर अन्याय हो रहा है, यह बात नहीं है यह तो पंचायतों की सहूलियत के लिये, सारी कार्यवाही की जा रही है।

यह भी कहा गया कि गवर्नमेन्ट की तरफ से रुपया देकर इस बात की शुरुआत की जाय। एक आना रुपया देने के बाद भी गवर्नमेन्ट ने २५ लाख रुपये की एड हॉक एड देने के लिये प्रोवीज़न रखा है। इसके अलावा भी पंचायतों को ज्यादा से ज्यादा अधिकार दिये जा रहे हैं, इस पर भी यह कहा जा रहा है, अधिकार नहीं मिलने चाहिये, पंचायतें बड़ा भारी जुल्म कर रही हैं। माननीय सदस्य जो पहले यह शिकायत करते थे कि पंचायतों को ज्यादा से ज्यादा अधिकार देने चाहिये और जब हम ज्यादा अधिकार देने जा रहे हैं तो उसका विरोध किया जा रहा है। तो मैं यह महसूस करता हूं, खाली विरोध के लिये ही वे विरोध कर रहे हैं...

श्री शिवचरणदास : टैक्स लगाने के अधिकार दे रखे हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने निवेदन किया, अगर आप उसे समझने की कोशिश करेंगे पंचायतों को लगाने के अधिकार दिये हैं, पंचायतें उनको लगायेंगी। लेकिन उसके पहले पंचायतें प्रस्ताव पास करेंगी, गांव वालों से पूछेंगी, उसके बाद वह गवर्नमेन्ट को पूछेंगी गवर्नमेन्ट की आज्ञा के बिना वे लगा नहीं सकतीं। जहां तक ऑक्ट्रोय और म्युनिसिपल टैक्स का सवाल है, इसके अलावा भी वे चाहें तो और टैक्स लगा सकती हैं। इसके अन्तर्गत जो भी टैक्स आने वाला है, वह गवर्नमेन्ट के पास नहीं बल्कि पंचायतों के पास ही आने वाला है। यह तो महज अख्यार दिया जा रहा है। यह कोई हम नया अधिकार नहीं दे रहे हैं, यह तो पहले से ही दिया हुआ है किन्तु हाईकोर्ट में जो इन्टरप्रिटेशन हुआ, उसके अन्तर्गत यह कार्यवाही की गई है। इसमें किसी प्रकार से डरने की बात नहीं है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि एक जोड़ी बैल कोई मेले से खरीद लाता है तो क्या उस पर डबल टैक्स लगेगा, क्या उस पर पंचायतें भी टैक्स लेंगी!

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : पंचायतें अगर कोई टैक्स लगायेंगी तो पहले गवर्नमेन्ट सैंक्शन लेगी, तब लगायेंगी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बैल पर और बूढ़े बैल दोनों पर देना होगा।

Page No.74

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, १९५८ को पारित किया जाय ।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया ।

(२.४३ म० प०)

राजस्थान युनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५८

(विचार विमर्श एवं पारित)

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व-मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान युनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५८ को विचारार्थ लिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान युनिवर्सिटी संशोधन विधेयक, १९५८ को सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय, इस संशोधन द्वारा हम राजस्थान युनिवर्सिटी एक्ट की धारा १२ में सशोधन करने का प्रबन्ध कर रहे हैं । मैं समझता हूँ, उपाध्यक्ष महोदय, धारा १२ जो वाइस चान्सलर के अपॉइन्टमेन्ट के बारे में है :

"A Committee of three persons, two of whom shall be persons not connected with the University or any affiliated college or recognized school or private institution, nominated by the Syndicate and one person nominated by Chancellor, who shall also appoint one of the three as Chairman of the Committee, shall select not less than three persons and shall report its selection to the Syndicate. The Syndicate shall make its recommendations on the persons so selected, to the Chancellor, who shall appoint one of such persons as Vice Chancellor."

This is procedure laid down in the University of Rajasthan Act,

जो प्रोसीजर इसके लिये दिया हुआ है उसमें बहुत बड़ी तब्दीली की जा रही है । वाइस चान्सलर हमारी युनिवर्सिटी का कर्ता-धर्ता होता है और सारे राजस्थान की शिक्षा का भार युनिवर्सिटी पर है । इसलिये वाइस चान्सलर के अपोइन्टमेन्ट का प्रोसीजर क्या होना चाहिये, पर्टिकुलरली पुनर्नियुक्ति के लिये क्या प्रोसीजर होना चाहिये, इस विषय में यह संशोधन विधेयक आया है । इसलिये मैं समझता हूं यह महत्वपूर्ण मसला है, इस मसले पर विचार करने की दृष्टि से इस विधेयक को सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाय, जो इस पर गम्भीरता से विचार सके और वह यह भी देख सके कि अन्य प्रान्तों में इसके लिये क्या व्यवस्था है, उसके बाद सदन में वह अपनी रिपोर्ट पेश करे । इस तरह से इस विधेयक पर विचार किया जाय तो ज्यादा अच्छा हो ।

श्री दयाकृष्ण विजय (कुम्हेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव अभी माननीय सदस्य ने प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करते हुए यह बताना चाहता हूं कि इस विधेयक के अन्दर, हम दो बातों को देखते हैं । एक बात तो यह है कि जो जनाधिकार

Page No.75

(श्री दयाकृष्ण विजय)

है, उनके हनन के लिये यह कानून बनाया जा रहा है। दूसरी बात है कि यह विधेयक एक व्यक्ति के पोषण के लिए किया गया है, व्यक्तिवाद के पोषण के लिये; यानी एक व्यक्ति के बनाने के पीछे जो धारणा होती है, वह इस विधेयक में लाई गई है। इस क्लॉज़ के अन्दर जो बातें रखी गई हैं, वे मैं आपको बताना चाहता हूं। युनिवर्सिटी एक्ट की धारा १२ के अन्तर्गत चान्सलर को इस प्रकार के पॉवर्स हैं कि वह स्वयं वाइस चान्सलर को नियुक्त कर सकता है। लेकिन क्लॉज़ १२ के पढ़ने के बाद, यह बात नजर आती है कि इस प्रकार का संशोधन लाने का क्या प्रयोजन है ? मैं सारे क्लॉज़ को पढ़कर बताऊंगा, जो प्रोसीजर इसमें दिया हुआ है वह बहुत सिम्पल प्रोसीजर है।

२. ५५ म० प०

(श्री रामचन्द्र, सभापति, पदासीन)

इसके अन्दर किसी प्रकार की एम्बीग्विटी नजर नहीं आती, फिर जब हम स्टेटमेन्ट ऑफ ओब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स को देखते हैं, जिसमें लिखा है "It is considered that repetition of that procedure in the case of such reappointment which practically amounts to an extension of the term is not necessary. Therefore, to remove the aforesaid doubt it is necessary..........." मैं समझता हूं, इसमें जो "डाउट" शब्द का प्रयोग किया गया है, उससे तो यह साफ जाहिर होता है कि व्यक्ति-पोषक सरकार हो रही है और किसी व्यक्ति के पोषण के लिये यह संशोधन किया जा रहा है। इसमें जो क्लॉज़ यह है :

"No person who holds office of Vice Chancellor for more than two terms."

यहां पर रखा गया है, दो दफा तक वह आदमी नियुक्त हो सकता है और प्रोसीज़र वही होगा जो पहले वाला होगा। नई नियुक्ति हो तो वाइस चान्सलर को अधिकार दिया जाय कि बिना सिन्डीकेट की राय लिये ही, बिना श्री मेम्बर्स कमेटी की राय के, वह अपोइन्ट कर सकता है। अगर हम इस प्रकार का अधिकार देते हैं तो यह जनाधिकार का हनन होगा। जो एक प्रस्ताव आया है, जो कि क्लॉज़ १२ को इस तरह से रखने का कहा गया है :

"Amendment in Clause (ii) of Section 12 of the Unieversity of Rajasthan Act:—

"After the words 'be reappointed', the words 'by the Chancellor on the recommendations of the Syndicate only' shall be inserted."

यह जो चीज़ बढ़ाई गई है वह वास्तव में अनावश्यक है। इससे होगा क्या कि चान्सलर के हाथ में पॉवर्स देते हैं। एक व्यक्ति को चाहे, कमेटी उसके लिये राजी हो या नहीं, कमेटी उसके कार्यों से सन्तुष्ट हो या नहीं, वाइस चान्सलर को इतनी पॉवर्स देते हैं कि जो वाइस चान्सलर के मातहत कठपुतली रहता है, उसको दूसरे वर्ष के लिये भी नियुक्त कर दे।

इससे जो वाइस चान्सलर, नये व्यक्ति को बनाया जाय, उसे वाइस चान्सलर बनने के हक का हनन होता है। इसका प्रोसीजर भी बहुत सिम्पल है। इसलिये जो प्रस्ताव

Page No.76

(श्री दयाकृष्ण विजय)

रखा गया है, कि इसको सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाय, इसका समर्थन करता हूं। इससे जो कुछ भी डाउट्स होंगे वे भी रिमूव हो जायेंगे।

(३ म० प०)

इसलिये जो प्रस्ताव रक्खा गया है, उसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। मैं इसका बराबर समर्थन करता हूं, क्योंकि इस अमेन्डमेन्ट की आवश्यकता नहीं है। इसका आवश्यकता भी क्यों पड़ी, इसलिये कि नये अपॉइन्टमेन्ट्स होने वाले हैं, हाई कोर्ट में रिट आई हुई है। वहां इस प्रकार की वैधानिक आपत्ति खड़ी हो गई है कि वे कारनामे चल नहीं पा रहे हैं, व्यक्ति-पोषण उनका चल नहीं पा रहा है। इसके लिये यह ऐसा प्रावधान इस बिल में किया जा रहा है। दूसरों पर कुठाराघात करके कुछ लोगों का पोषण करने के लिये इस प्रकार का कानून ये बनाना चाहते हैं, यह कतई न्याय संगत नहीं कहा जा सकता। यह बात सदन भी अच्छी तरह समझ गया है। इन सब बातों को समझ कर सदन भी इसका समर्थन नहीं कर सकता और न यह ऑटोनोमस पॉवर वह दे सकता है कि एक साल बढ़ा दो। हर एक का राइट है, वह अपने राइट के लिये लड़े और वहां पहुँचने के लिये काम करे। जब सब लोगों के सामने खुला मैदान पड़ा हो तो फिर जो अयोग्य है, जिसे कमेटी चाहती नहीं, उसको दुबारा वाइस चान्सलर अपॉइन्ट इस तरह से कराया जाय, यह जनतन्त्र में अनुचित कार्य है। आखिर वाइस चान्सलर की कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। विद्यार्थियों का सारा भविष्य वह अपनी मुट्ठी में लिये बैठा है। उसके हाथ में सारे कॉलेजों का प्रबन्ध है, प्रोफेसरों का नियन्त्रण जिसके हाथ में है, सारी परीक्षाओं का कन्ट्रोल जिसके हाथ में है, सारा सिलेबस जिसको तैयार करना होता है तो इतने बड़े महत्वपूर्ण स्थान के लिये अगर कोई बहुतों में से चुन कर आता है, तो सरकार को क्यों इसमें इस तरह से अड़ंगा डालना चाहिये। उल्टा उसे तो प्रसन्न होना चाहिये कि कई योग्य व्यक्तियों में से चुन कर योग्यतम व्यक्ति यहां आवेगा। सरकार को तो ऐसे चुन कर आये हुए योग्यतम व्यक्ति का स्वागत करना चाहिये। एक साल का समय होता है, वह दूसरे साल रह सकता है, नहीं रह सकता यह भी नहीं, कोई योग्य व्यक्ति हो तो अवश्य उसको प्रोत्साहन देना चाहिये, पर वह कार्य करके तो दिखावे। पर इस तरह से उसकी अवधि बढ़ाना, यह कतई उचित नहीं है। इसलिये मैं मांग करता हूं कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द किया जावे और जो कुछ इससे लाभ-हानि होने वाली हो उस पर विचार करके इसे फिर पारित किया जावे।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : इसमें अध्यक्ष महोदय, जो सुझाव सिलेक्ट कमेटी में भेजने के लिये जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने पेश किया है, उसकी आवश्यकता नहीं है। यह इतना सीधा और इन्नोसेन्ट प्रावधान है कि इसमें कुछ भी नुक्सान नहीं है। इसका पर्पज़ तो बिल्कुल साफ है कि जिसे आप ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीज़न्स में देख सकते हैं। इसमें साफ लिखा है कि युनीवर्सिटी एक्ट की धारा १२ है इसके इन्टरप्रिटेशन में गलतफहमी होती है कि एक आदमी की योग्यता के आधार पर एक बार वाइस चान्सलर बनाया, अगर उससे योग्य व्यक्ति दूसरा नज़र नहीं आता है और

Page No.77

(श्री दामोदरलाल व्यास)

पहले को ही एक्सटेन्शन देना चाहते हैं तो वही प्रोसीजर फोलो किया जावे जो पहले किया गया है, तो यह उचित नहीं है। इसलिये इस अमेन्डमेन्ट को यहां लाये हैं। अगर योग्यता के आधार पर व्यक्ति का एक्सटेन्शन किया जावे तो फिर इसकी कोई आवश्यकता नहीं कि वापिस पुराने प्रोसीजर को, तीन आदमियों की कमेटी वाले प्रोसीजर को फिर अपनाया जावे। वह तो इस बात के लिये प्रोसीजर रक्खा जाता है कि नियुक्त करने से पहले सारी बातों को देखे। पर जहां सीनेट खुद इस बात को मुनासिब समझती है कि मौजूदा वाइस चान्सलर का एक्सटेन्शन हो जाना चाहिये तो उसी कम्बरसम प्रोसीजर को वापिस फोलो किया जावे, यह उचित नहीं होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यह प्रोसीजर रक्खा गया है।

यह ठीक है कि हाईकोर्ट में, इस बारे में एक रिट है। वहां बहस खड़ी है, इससे कोई इन्कारी नहीं। पर इसका यह मतलब नहीं कि चूंकि वहां आपत्ति उठा दी गई है तो कानून में ही हम अमेन्डमेन्ट नहीं कर सकते। यह आवश्यक है और इसलिये आवश्यक है कि एक गलतफहमी जो इन्टर प्रिटेशन में पैदा हो गई है उसको दूर कर दिया जाय। अदालत का अभी इसमें कोई फैसला नहीं हुआ है। इसलिये बहरहाल इस सदन के यह अधिकार में है कि वह इस तरह का अमेन्डमेन्ट कर दे। इस स्पष्टीकरण के बाद यह अमेन्डमेन्ट मुझे स्वीकार नहीं है। इसको विचारार्थ सदन में ही लिया जावे।

श्री पी० के० चौधरी : On a point of order, Sir, if the matter is Sub Judice, जब कि यह विषय हाई कोर्ट में दिया हुआ है तो मैं नहीं समझता हूं कि यह सदन के लिये ठीक होगा कि वह इस पर इस बीच में कोई डिसीज़न ले या उस रूल को आल्टर कर दें। मेरी यह राय है कि ऐसा नहीं करना चाहिये। आप आज एक कानून पास करके हाई कोर्ट के डिसीज़न को भी फेस करना चाहते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : Where is the decision of the High Court? It has not been given so far.

श्री सभापति : Order! Order Please!!

श्री पी० के० चौधरी : इस सदन की यह परम्परा रही है कि जब भी कोई सब जुडिस मैटर रहता है, उसके बारे में सवाल पूछते हैं तो उसका जवाब भी इसी आधार पर नहीं दिया जाता। तो जब सवाल का जवाब भी इस कारण से नहीं दिया जाता तो जो मामला आज हाईकोर्ट के सामने तय होने को है तो जब तक उसका निर्णय हम नहीं जान लें तब तक उस मैटर के बारे में कोई निर्णय लेना उचित नहीं है, परम्परा के भी विरुद्ध है। निर्णय आने के बाद आप कुछ भी करें।

श्री सभापति : इस पोइन्ट ऑफ ऑर्डर में फोर्स मालूम नहीं होता। यह तो असेम्बली का अधिकार है कि जो विधेयक यहां पेश हो उसे विचार करके पास कर दिया जावे, सो इस पर वोट ले लिये जावें।

श्री पी० के० चौधरी : मेरा जो प्रस्ताव था.........

श्री सभापति : Order! please Order!!

Page No.78

(श्री सभापति)

अब प्रश्न यह है कि अमेन्डमेन्ट जो श्री सतीशचन्द्रजी ने पेश किया है उसे स्वीकार किया जावे।

(अस्वीकृत)

सिलेक्ट कमेटी में भेजने का प्रस्ताव गिर गया।

(विराम)

अब प्रश्न यह है कि यह विधेयक विचारार्थ लिया जावे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सभापति महोदय, यह जो विधेयक........

श्री दामोदरलाल व्यास : It has been ruled out now. It should be put to vote now. That has been moved.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Only the matter of referring to the Select Committee has been referred.

विचारार्थ लिया जावे सामने रक्खा है, यह प्रश्न हमारे.....

श्री दामोदरलाल व्यास : वोट ले रहे हैं, बीच में आप क्यों बोल रहे हैं ?

श्री सभापति : क्योंकि इस पर सिलेक्ट कमेटी के विषय में बोलते हुए काफी प्रकाश डाल दिया गया है और मामूली सा अमेन्डमेन्ट है; विशेष बहस करने की आवश्यकता मालूम नहीं पड़ती। इसलिये इस पर वोट लिया जाना ही उचित है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सिलेक्ट कमेटी का रेफरेन्स है। विचारार्थ लिया गया है। वह रेफरेन्स गिर गया, पर मूल विधेयक पर तो बोल सकता हूं।

श्री सभापति : जो कुछ आर्ग्युमेंट्स दिये जाने को थे, वे तो दिये जा चुके, इसलिये इस पर तो अब वोट हो ले लिये जावें। प्रश्न यह है कि जो मन्त्री महोदय ने विधेयक प्रस्तुत किया है, वह विचारार्थ लिया जावे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अब इस पर तो मैं बोल सकता हूं न। विचारार्थ लिया जावे।

श्री दामोदरलाल व्यास : The Motion has already been put to vote.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : विचारार्थ लिया जा रहा है और विचारार्थ लिया गया है, इसलिए इस पर बोल रहा हूं। सभापति महोदय ने.......

श्री सभापति : जो पक्ष में हों वे हां कहें, जो विपक्ष में हो वे ना कहें।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित हुआ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सभापति महोदय, पारित कैसे हो सकता है ?

श्री सभापति : विधेयक विचारार्थ लिया गया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं बोल रहा हूं।

श्री दामोदरलाल व्यास : There is no amendment and no Question for discussion arise.

श्री सभापति : ऑर्डर ! प्लीज ऑर्डर !! क्योंकि इस पर कोई अमेन्डमेन्ट नहीं है।

Page No.79

(श्री सभापति)

इसलिए वाद विवाद की आवश्यकता नहीं है। इसलिये प्रश्न यह है कि इस बिल को पारित किया जावे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने फरमाया कि विचारार्थ ले लिया जावे। अब...

श्री सभापति : अब चूंकि इस पर अमेन्डमेन्ट नहीं है इसलिए विचार नहीं कर सकते। अब प्रश्न यह है........

(अल्प विराम)

माननीय सदस्य इस पर अब विचार प्रकट कर सकते हैं। पारित किये जाने के लिए कहा गया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह किस स्टेज पर है।

श्री सभापति : थर्ड स्टेज पर है यह।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : टी० बी० की थर्ड स्टेज पर! थर्ड स्टेज बड़ी खतरनाक है।

(हंसी)

श्री तनसिंह : जब कोई बिल विचारार्थ लिया जाता है उस समय भी यदि मेम्बर चाहें कि वह किसी खास क्लॉज के ऊपर बोलें तो बोल सकते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह तो बाद की बात है। पहले यह विचारार्थ लिया गया और माननीय सदस्य बोल चुके हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : विचारार्थ नहीं लिया गया था, आपने प्रस्तुत किया था।

श्री तनसिंह : एक्ट पर क्लॉज बाई क्लॉज डिस्कशन होगा, फिर भी यदि कोई सदस्य किसी खास क्लॉज पर बोलना चाहें तो बोल सकते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : अब तो यह थर्ड रीडिंग पर है। मैंने इसे पारित करने के लिए प्रस्ताव रखा है।

३.११ म० प०

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पुन: पदासीन)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान युनिवर्सिटी विधेयक, सन् १६५८ जो सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है उसके सम्बन्ध में मैंने अभी इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किये जाने के लिये प्रस्ताव रखा था और मैं यह जानता था कि माननीय मन्त्री महोदय उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे और उसका कारण भी था, क्योंकि इस विधेयक के पीछे यह जो स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीज़न्स लिखे हैं उससे माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि उसके इन्टरप्रिटेशन में कितना डाउट खड़ा हुआ है। लेकिन मैं यह जानता था कि यह कभी भी सिलेक्ट कमेटी को रेफर नहीं किया जायेगा क्योंकि सिलेक्ट कमेटी को रेफर करने से सरकार की मंशा पूरी नहीं होती। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि इस राजस्थान युनिवर्सिटी विधेयक की धारा १२ है, जिसके द्वारा वाइस चांसलर के अपॉइन्टमेंट होते हैं। उसके इन्टरप्रिटेशन में कितना डाउट है! लेकिन इस विधेयक को इस परिस्थिति में लाकर हमारे मनों में माननीय मन्त्री महोदय ने जरूर शंका पैदा कर दी है और मैं इस संशोधन का विरोध करता हूँ। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन के सम्माननीय सदस्यों से निवेदन करूं और माननीय मन्त्री महोदय

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

ने स्वयं ने भी स्वीकार किया है कि इस धारा १२ के अन्तर्गत राजस्थान युनिवर्सिटी ने आज से तीन-चार साल पहले तीन आदमियों की सिलेक्ट कमेटी की रिकमन्डेशन पर और सिन्डीकेट की सिफारिश पर चांसलर महोदय ने, जो अभी वाइस चान्सलर महोदय हैं, उनको नियुक्त किया। हमारे युनिवर्सिटी के एक्ट में यह प्रावधान है कि शायद वाइस चान्सलर का तीन साल का टर्म होता है और वह टर्म अगर खत्म होता है और उसका री-अपॉइन्टमेंट किया जाय तो इसी एक्ट की धारा १० में प्रोवीजन है जिसमें उसके री-अपाइन्टमेंट का प्रोसीजर दिया हुआ है और वह फोलो होना चाहिए और फिर अगले तीन साल के लिए वाइस चान्सलर का री-अपोइन्टमेंट हो सकता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हुआ क्या? हमारी युनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं वह बहुत योग्य हों, विद्वान हों, इसका मुझे कुछ पता नहीं है और न इसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता। वह कितने अच्छे प्रशासक हैं, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। उपाध्यक्ष महोदय, यह सब कुछ होने के बाद क्या हुआ? चान्सलर महोदय ने सिन्डीकेट को सिफारिश की है कि इनका टर्म नवम्बर ५६ में खत्म होता है और इनको री-अपोइन्टमेंट दिया जाय और उनको री-अपोइन्टमेंट दे दिया गया और उनसे मेरी कोई व्यक्तिगत आपत्ति नहीं है। लेकिन हुआ क्या! री-अपोइन्टमेंट होने के बाद कोई दूसरे केन्डीडेट थे और शायद वह अपने आपको अधिक योग्य समझते थे। अब वह अधिक योग्य हों या नहीं हों, मैं नहीं जानता लेकिन उन्होंने एक रिट पिटीशन की और उन्होंने इनके अपोइन्टमेंट को हाईकोर्ट में चेलेन्ज किया और उन्होंने कहा कि जो एक्ट की धारा १२ है, उसके तहत इनका जो री-अपोइन्टमेंट हुआ है वह इर्रेगुलर हुआ है, इल्लीगल है। इसलिए इनको एक वारन्ट इश्यू किया जाय कि वह अपना ऑफिस छोड़ दें। उसकी सुनवाई हुई और उसके बाद में अभी तक उसका जजमेंट रिजर्व है और केस में अभी तक कोई जजमेंट नहीं हुआ। अब हाईकोर्ट क्या निर्णय करेगी, यह हमारे सामने नहीं आया है और ऐसी स्थिति में जब तक निर्णय नहीं आये सरकार के मन में यह कैसे आया कि इस धारा का इन्टर्प्रिटेशन हमारा हाईकोर्ट या न्यायालय यह लेगा। जहां तक इन्टर्प्रिटेशन का ताल्लुक है, इन्टर्प्रिटेशन करने के लिये कॉन्स्टीट्यूशन के तहत जो लॉ कोर्ट्स बनी हुई हैं, वह करती हैं और यह लॉ का इन्टर्प्रिटेशन करने का अधिकार उनको ही है। अगर हर एक सेक्शन के लिए कोर्ट में चेलेन्ज किया गया और यहां उनको रेक्टीफाई करने के लिये संशोधन आते रहे तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि हम यहां पर कुछ भी नही कर सकेंगे। आज मामला सबजुडिस है, हाईकोर्ट ने अपना फैसला नहीं दिया है, हाईकोर्ट ने यह राय नहीं दी कि इस तरह वाइस चांसलर के अपोइन्टमेंट के लिए फिर से वही प्रोसीजर फोलो करना चाहिए। तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना यचाहूंगा कि क्या जो युनीवर्सिटी का एक्ट है और उसकी धारा १२ है और जैसा मैंने पहले निवेदन किया कि उसमें वाइस चांसलर के री-अपोइन्टमेंट का प्रोसीजर दिया हुआ है वह ठीक है। माननीय मन्त्री महोदय ने जो संशोधन रखा है उसके स्टेटमेन्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीज़न्स में लिखा है।

"Doubt has been expressed as to whether re-appointment of the

Page No.81

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

Vice Chancellor of the University of Rajasthan for a second term may or may not be made by the Chancellor of the University, without the procedure laid down in clause (i) of Section 12 of the University of Rajasthan Act having been observed."

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, फिर आगे लिखा है :

"It is considered that the repetition of that procedure in the case of such re-appointment which practically amounts to extension of the term is not necessary. Therefore, to remove the aforesaid doubt it is necessary to amend the relevant........."

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो कहते हैं कि यह डाउट पैदा हो गया है कि री-अपोइन्टमेंट के लिए प्रोसीजर है या नहीं है और दूसरी तरफ उस डाउट के कारण से पहले ही मन में शंका है और फिर से वहां पर स्पेसिफिक अमेन्डमेंट करते हैं और कहते हैं कि री-अपोइन्टमेंट करने के लिए इस तरह का प्रोसीजर फोलो करने की आवश्यकता नहीं है। जहां मैंने पहले कहा था कि जहां तक एक्ट के इन्टरप्रिटेशन का ताल्लुक है आज जितने भी कानून विधान सभायें बनाती हैं उन कानूनों का इन्टरप्रिटेशन क्या होगा, कानून का मतलब क्या है, कानून की क्या मंशा है और विधान सभा के सदस्यों की मंशा क्या थी और किन परिस्थितियों में पास किया, यह इन्टरप्रिटेशन का काम लॉ कोर्ट्स का है और जो लॉ कोर्ट्स का काम है उसमें हमें इस प्रकार से संशोधन वगैरह लाकर बाधा नहीं डालनी चाहिए। विधान सभा ने कानून पास किया और उसके अन्तर्गत उसके कारण से अपोइन्टमेन्ट हुआ और अपोइन्टमेन्ट होने के बाद में री-अपोइन्टमेंट होता है और यदि उसमें कोई इर्रेग्युलेरिटी रह जाती है और उसको दूर करने के लिए विधान सभा में संशोधन लाया जाता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय की ओर से शायद यह दलील देंगे कि इस तरह के और भी संशोधन आते हैं, जब कि इर्रेग्युलेरिटीज़ रह जाती हैं। वह कहेंगे कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के कानून को हाईकोर्ट में चेलेन्ज किया गया तो विधान सभा में कुछ अमेंडमेंट्स लाये गये। पार्लियामेंट में भी कुछ ऐसे एक्ट पाये हैं कि जिनका हवाला माननीय मन्त्री महोदय दे सकते हैं। जहां तक उपाध्यक्ष महोदय, मेरी जानकारी है और मैं समझ पाया हूं ऐसे संशोधन विधेयक जब भी आये हैं उनके पीछे जनरल पब्लिक का इन्टरेस्ट होगा, किस व्यक्ति विशेष का इन्टरेस्ट नहीं होगा। राजस्थान डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक्ट में कुछ तरमीम हुए तो राजस्थान की सारी जनता का हित ध्यान में रखते हुए वह संशोधन रखे होंगे! लेकिन आज माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि यह एक व्यक्ति विशेष के इन्टरेस्ट को ध्यान में रख कर लाया जा रहा है। मान लीजिए कि हाई कोर्ट यह फैसला दे देती है, वैसे तो कहा नहीं जा सकता कि हाईकोर्ट क्या फैसला देगी और उसके बारे में प्रयास करना गलत बात होगी। अगर हाईकोर्ट फैसला दे देती है कि यह अपोइन्टमेंट इर्रेग्युलर हुआ तो कौन सा जमीन पर आसमान गिर जायेगा। जो प्रोसीजर हमने ले डाउन किया है उससे दुबारा अपोइन्टमेंट किया जा सकता है। वैसे मैं उन व्यक्ति विशेष के विषय में कुछ नहीं कहना चाहता। यह व्यक्ति विशेष की बात है और पता नहीं उसके

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

अपोइन्टमेंट में इतना इन्टरेस्ट क्यों है ? अगर उनका री-अपाइन्टमेंट इल्लीगल है कानून के नियमों के खिलाफ है तो वह सेट असाइड हो जायेगा और वह अपना आफिस छोड़कर चले जायेंगे। इससे कौन सी जबरदस्त जनता में कष्ट की बात होगी। मगर यहां तो हाईकोर्ट के पहले ही यह इन्टरप्रिटेशन ले लिया कि री-अपोइन्टमेंट के लिए उस कानून को फोलो करने की जरूरत नहीं है। तो समझ में नहीं आता कि यह इन्टरप्रिटेशन पहले से ही कैसे करा लिया ? तो मैं कहता हूं कि कोर्ट चाहे जो भी फैसला दे, यह अमेंडमेंट रिडन्डेन्ट बिल्कुल हो जायेगा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं रह जायेगी। यह आवश्यक नहीं रह जाता क्योंकि हाईकोर्ट ने जो कि सुप्रीम अथॉरटी है उसका इन्टरप्रिटेशन दे दिया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया है यह मेलाफाइड इन्टरेस्ट के लिए रखा गया है यह विधेयक किसी तरह से भी जनरल पब्लिक के इन्ट्रेस्ट के लिए नहीं है। यह विधेयक एक व्यक्ति विशेष को बनाये रखने के लिए, उसके री-अपोइन्टमेंट के प्रति इर्रेग्युलेरिटी के बारे में रिट जारी की गई है और हाई कोर्ट का फैसला हमारे खिलाफ न आ जाय इसको इवल्ली सिक्योर करने के लिए यह एमेंडमेंट पेश किया गया है। मैं निवेदन करूं कि इस प्रकार इन्डिविजुअल पर्सोनलिटीज़ के अपोइन्टमेंट को लिगेलाइज़ करना, वेलिडेट करना सदन के लिए शोभा की बात नहीं है, सरकार के लिए शोभा की बात नहीं है। मैं माननीय मंत्री महोदय से फिर से निवेदन करना चाहता हूं, उनकी गुड सेन्स को फिर से अपील करूंगा कि इसको ध्यान में रखते हुए विचार करेंगे। मैं मानता हूं कि अगर यह जनता के हित का सवाल होता, आम जनता के हित का सवाल होता, और राजस्थान को एक दो करोड़ का घाटा इस खामी से होता, किसी टैक्स के गैर कानूनी होने का सवाल खड़ा होता, तो शायद मैं इसका समर्थन कर देता। परन्तु माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिन परिस्थितियों में यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है, उन सारी परिस्थितियों को देखते हुए मैं सरकार पर आरोप लगाकर कहना चाहता हूं कि केवल मैलाफाइड इन्टेन्शन के कारण, किसी व्यक्ति विशेष में इन्ट्रेस्ट लेने के कारण यह बिल लाया गया है। इसको व्यक्ति विशेष के रिटायरमेंट में, डिसमिसल में कोई भी किसी प्रकार की दिलचस्पी रखने की आवश्यकता नहीं। कानून बनाने के लिये विधान सभा कम्पीटेन्ट थी, विधान सभा के कानून के अनुसार काम नहीं हुआ और कोई हाई कोर्ट में जाते हैं तो हाई कोर्ट का अभी फैसला होता नहीं, अभी यह मालूम नहीं कि लड़का होगा या लड़की और पहले से ही विवाह कर देते हैं। माननीय उपाध्यक्ष, ऐसी बातें होंगी कि कि तुम्हारे बच्चे से अपनी बच्ची का सम्बन्ध कर देंगे मगर यह पता नहीं कि लड़का हो गया तो क्या स्थिति पैदा हो सकती है और यदि हाई कोर्ट ने यह फैसला दे दिया कि यह री-अपोइन्टमेंट इर्रेग्युलर नहीं है, यह री-अपोइन्टमेंट बिल्कुल लीगल है, प्रोसीजर है, विधान सभा के बनाये हुये कानून की जो मन्शा है उसी प्रोसीजर को फोलो किया गया है, माननीय उपाध्यक्ष, उस स्थिति में यह हम यहां जितना समय बरबाद कर रहे हैं वह सारा रिडन्डेन्ट हो जायगा। इसलिए मैं सम्बन्धित मंत्री महोदय से फिर से निवेदन करूंगा, उनकी गुडसेन्स को फिर से अपील करूंगा, इन दी इन्ट्रेस्ट आफ जनरल पब्लिक कि वह सारी बातों को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति विशेष में इतनी दिलचस्पी न लें

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

और इस विधेयक को न रखें और वापिस ले लें तो ज्यादा अच्छा होगा। दुबारा मैं मान सकता हूं कि अगर आवश्यकता इस प्रकार की चीज की हो सकती है तो सिलेक्ट कमेटी को रेफर करने की मांग अपनी ओर से रख सकते है तो रख दें। मैं निवेदन करूंगा सदन के माननीय सदस्यों से कि इस प्रकार के विधेयक को इस समय पारित न करें। मैं यही अपील करूंगा।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय में अपने विचार प्रगट करना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि यह जो ऑब्जेक्ट इस बिल को लाने के लिए यहां पेश किया है उसमें कहा गया है कि, " Doubt has been expressed as to whether re-appointment of the vice chancellor of the university of Rajasthan for a second term may or may not be made by the Chancellor of the university without the procedure laid down in clause (i) of section 12 of the university of Rajasthan Act having been observed. It is considered that the repetition of that procedure in the case of such re-appointment which practically amounts to extension of the term is not necessary. Therefore, to remove........."

यानी इस ऑब्जेक्ट से दो चीजें जाहिर होती हैं। एक चीज तो यह जाहिर होती है कि गवर्नमेंट जो है वह इस राय की है, कि रीअपॉइन्टमेंट जो है वह एक्सटेन्शन के बराबर है, और दूसरी यह बात जाहिर होती है कि वह इस तरह है: "Theremay be some cause which has given rise to the doubt. यह जो एक्स्टेन्शन नहीं दिया है इससे डाउट एराइज़ करने के लिए कुछ कॉज़ होगा। जो बात सदन में सामने आई उससे भी ऐसा मालूम होता है कि डाउट जो एराइज़ हो रहा है वह रिट पिटीशन हाई कोर्ट में पेश होने कि वजह से हुआ है। तो मैं समझता हूं कि किसी विषय में, किसी लेजिस्लेशन के बारे में या एग्ज़ीक्युटिव के किसी एक्शन के बारे में, जब कॉन्स्टीट्युशनल या लीगल डाउट्स जुडीशियरी के सामने रेज़ किये जाते हैं तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए किसी कानून को लेजिस्लेचर में पेश नहीं करना चाहिए जब तक कि जुडीशियरी का डिसीजन इस पर न आ जाय। जो हम ऐसा करेंगे तो आखिर में हमारी जो गवर्नमेंट है, वह तीन पार्ट्स में बंटी हुई है; एग्ज़ीक्युटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशियरी। लेजिस्लेचर कानून बनाती है इस प्रान्त की व्यवस्था के लिए, शासन के लिए और एग्ज़ीक्युटिव जो है, उसको इम्प्लीमेंट करती है, उसके ऊपर अमल करती है, लेकिन क्योंकि एग्ज़ीक्युटिव के हाथ में सत्ता है, इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी उनके हाथ में है और हो सकता है कि कानून लेजिस्लेचर ने किसी इन्टेन्शन से बनाया हो और उसका वह गलत इन्टरप्रेटेशन निकाल कर जो चीज़ वह करना चाहती है, वह कर बैठे कानून के खिलाफ, इसलिए एक जुडीशियरी रखी गई है, हुविल एडजुडीकेट, जो फैसला देगा कि एग्ज़ीक्युटिव का जो एक्शन है, वह कानून के मुताबिक है या नहीं। यह सारा पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी का ढांचा है। वह इसके ऊपर बेस करता है कि इसी इन्टेन्शन के ऊपर जो पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी है, वह चलती है। हम आज इन तीनों में से किसी को रेस्पेक्ट नहीं देंगे तो वह नहीं चल सकती। पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी तब चल सकती है जब कि लेजिस्लेचर जो कानून

(श्री पी० के. चौधरी)

पास करती है उसको मान्यता दें, उसको मान कर चलें, उसको डिफाई न करें तो रुल ऑफ लॉ एक देश में हो सकता है । दूसरी बात उसमें यह है कि एग्ज़ीक्युटिव को within the corners of the powers given to them by the Legislature. आज हम मूव नहीं करने दें तो भी पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी नहीं चल सकती है, किसी देश में शासन नहीं चल सकता है । इसी तरह से जुडीशियरी रखी है, जो इस बात के लिए रखी है कि वह एक वाच डोग है । वह देखेगी कि आया यह जो एग्ज़ीक्युटिव है वह कानून के मुताबिक चल रही है, they are exceeding the powers given to them under the law. परन्तु उसमें जो एग्ज़ीक्युटिव है, वह लॉ को, कानून को अपने मुताबिक इन्टरप्रेट करके वह कोई एक्शन लेती है । हमेशा ऐसा होता है कि आप किसी व्यक्ति को लेंगे उसी तरह से एग्ज़ीक्युटिव की भी आप कल्पना करेंगे कि वह भी एक व्यक्ति है और किसी व्यक्ति में जैसी एक किस्म की मनोवृति होती है अपने एक्शन को जस्टीफाई करने की, वही चीज़ एग्ज़ीक्युटिव की होती है। आफ्टर ऑल यह जो एग्ज़ीक्युटिव है वह कांस्टीच्युटेड ऑफ ह्युमन बीइंग्ज़ की है, इसलिए उनमें जो टेन्डेन्सी है, जो मेन्टेलिटी है, जो मनोवृत्ति एक व्यक्ति में होती है अपने एक्शन को जस्टीफाई करने के लिए, उसी तरह से यह टेन्डेन्सी उस एग्ज़ीक्युटिव में पाई जाती है कि जो वह एक्शन लेती है वह इन्टरप्रेट करती है कानून को, उस एक्शन को जस्टीफाई करने के लिए। इसलिए पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी का कन्सेप्शन जिन लोगों ने इवोल्व किया शुरू में तो जुडीशियरी का प्रोवीज़न रखा है, a third arm of the Goverment; इसलिए रखी है because there are always danger of the executive exceeding the powers given to them by the legislation of legislature.

यानी लेजिस्लेचर ने जो लेजिस्लेशन बनाया है तो उसका क्या इन्टेन्शन था, उसको एग्ज़ीक्युटिव मिसइन्टरप्रेट कर सकती है अपने एक्शन को जस्टीफाई करने के लिए, इसलिए जुडीशियरी का प्रोवीजन है डेमोक्रेसी में और मैं समझता हूं कि जहां डेमोक्रेसी की ये तीनों विंग्ज़ हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की; तीनों विंग, लेजिस्लेचर, एग्ज़ीक्युटिव एन्ड जुडीशियरी हैं, उनको फुल्ली एलाउ नहीं करें फन्क्शन करने के लिए, जैसे एग्ज़ीक्युटिव की सब बातों पर रोक थाम लगा दें, तो इस देश का शासन नहीं चल सकता है । लेजिस्लेचर ने जो कानून पास किया है उसको सम्मान नहीं दें, हमेशा डिफाई करते रहें तो देश का शासन नहीं चल सकता है और इसी तरह से जुडीशियरी के जो फन्क्शन्स हैं उसको बाईपास करने की कोशिश करें तो मैं समझता हूं कि इस देश में अच्छी डेमोक्रेसी कायम नहीं हो सकती है और इससे एक बहुत खराब ट्रेडिशन ले डाउन करेंगे, खराब प्रिसीडेन्ट ले डाउन करेंगे । आज एक केस में एग्ज़ीक्युटिव एक्शन को चैलेन्ज किया गया है, executive action has been challenged that you have exceeded the powers given to you under legislation.

उसको चेलेन्ज किया गया है; अंडर कॉन्स्टिट्युशन, जुडिशियरी के सामने । अब उसको बाईपास करने के लिए कानून पास करें तो मैं समझता हूं ठीक नहीं होगा और उसका इम्प्रेशन पब्लिक में अच्छा नहीं होगा । इसलिए माननीय मंत्रीजी से मेरी प्रार्थना है

(श्री पी. के. चौधरी)

कि इस बात को गौर से सोचना चाहिये, गम्भीरता से इस पर विचार करना चाहिये। उन्होंने जो इन्टरप्रिटेशन लिया है वह सही होगा, मैं यह नहीं कहता कि वह सही नहीं है लेकिन फिर भी क्या यह ठीक होगा कि एक केस में एक सवाल आज जुडिशियरी के सामने आया है उसको बाई-पास किया जाय। आपने जो इन्टरप्रिटेशन लिया है उसको डबली श्योर करने के लिए लेजिस्लेशन या आॅर्डिनेन्स पास कर लें, यह कहां तक उपयुक्त होगा। यदि आप इसको पास कर देते हैं तो उसका पब्लिक पर, जनता पर क्या असर होगा ! असर यह होगा कि एग्ज़ीक्युटिव चाहे जैसी चीज कर सकती है। एग्ज़ीक्युटिव का ऐसा करने से क्या मतलब है ! इसलिये मेरा यह नम्र निवेदन है कि इसको सोचा जाय और कोई केस सब जुडिस होता है उसके बारे में यदि कोई रेफ्रेन्स सदन में करते हैं, उसको अलाउ नहीं किया जाता है तो मैं नहीं समझता हूं कि जो डिस्प्युटेड विषय है वह तो दूर रहा कानून को ही अमेंड कर दें, यह कहां तक ठीक है, यह मैं नहीं समझता ! इसलिए मेरा निवेदन है कि इस इश्यु पर इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए। हाई कोर्ट में जो केस चल रहा है उसका फैसला आने दीजिये। यदि वह आपके फेवर में नहीं है तो आप इस कानून को अमेन्ड करिये। पार्लियामेंट में भी ऐसा ही होता है, गवर्नमेंट आॅफ इन्डिया भी ऐसा ही करती है। कोई सुप्रीम कोर्ट में कानून चेलेन्ज हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने खिलाफ डिसीज़न दिया तो गवर्नमेंट आॅफ इन्डिया ने बाद में कानून चेन्ज किया। कई दफा कानूनों को चेलेन्ज किया लेकिन सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने के बाद में चेन्ज किया। पहले अपनी मर्जी के माफिक काम किया लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट में चैलेन्ज किया तो, so long that dispute was before the supreme Court, the Parliament did not pass any legislation amending the existing law or the rule.

इसलिये मेरा यह निवेदन है कि इसको बाईपास करना ठीक नहीं है। आपने यदि अप्वॉइन्टमेन्ट की है, उसको करेक्ट भी करना है तो यह मौका नहीं है। लेजिस्लेशन पास करने के लिये आप कदम उठाते हैं, तो हाई कोर्ट का डिसीज़न होने के बाद करते हैं; तो आप शौक से करिये। लेकिन यदि आज करेंगे तो आप डेमोक्रेसी की बड़ी भारी डिससर्विस करेंगे, यह मेरी कनफर्म्ड ओपनीयन है, ऐसा करने से it will be a great dis-service to the democracy and slighting with the judiciary.

इतना कहता हुआ मैं मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि गवर्नमेन्ट आॅफ इन्डिया के प्रिसीडेन्ट को आप ले लें। ऐसे मौकों पर गवर्नमेंट आॅफ इन्डिया ने किस तरह से एक्ट किया है, हाउ दे एक्टेड, उन्होंने भी ऐसे रूल्स किस तरह से चेन्ज किये हैं वेन दि मेटर वाज़ सब-जुडिस, तो आप भी वैसा ही कर लें। वहां भी बड़े बड़े आदमी बैठते हैं, उनकी ओपिनियन बहुत काउन्ट करती है। लेकिन जब ऐसा प्रिसीडेन्ट नहीं है पार्लियामेन्ट में, जब एग्ज़ीक्युटिव एक्शन चेलेन्ज हुआ सुप्रीम कोर्ट में, उस बीच में यदि उन्होंने चेन्ज कर दिया हो तो आप भी करिये और यदि नहीं किया हो तो यहां भी चेन्ज मत करिये। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये मन्त्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि ऐसे मामलों में ज्यादा

Page No.86

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

शीघ्रता करके पास कर देना अत्यन्त हानिकर होगा और अनएडवाइज़ेबल भी होगा। पहले बोलने वाले महानुभावों की तरफ से इस पर काफी प्रकाश डाला गया है इसलिए ज्यादा निवेदन करना पिष्टपेषण करना समझूंगा। और मैं मेरे इतने लम्बे अर्से तक एज्युकेशन डिपार्टमेन्ट के अनुभव से निवेदन करूंगा कि यह ऐसा मामला है जिसमें लोग समझेंगे कि यदि इस तरह की डेमोक्रेसी में ऐसे केस ज्युडिशियल कोर्ट के फैसले के बीच में ले लिये गये तो अनुचित होंगे और एक तरह से चौथा कोर्स नादिरशाही के तौर पर माना जायगा। इसके लिए मैं यही निवेदन करूंगा, यह मेरी रिक्वेस्ट है या एडवाइस समझिये, ऐसे मामलों में शीघ्रता करके पारित नहीं करना चाहिए।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने शुरू में दो आरोप लगाये थे कि हम यहां इस विधेयक को लाकर, विश्व विद्यालय संशोधन विधेयक के द्वारा एक व्यक्ति का पोषण कर रहे हैं और दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का हनन कर रहे हैं। मैं इस विषय में फिर से बता देना चाहता हूँ कि जब एक मामला अदालत के विचारार्थ है तब हम यहां उस पर किस प्रकार विचार कर सकते हैं, इस प्रकार का कोई प्रावधान हो मुझे इस, पर संदेह है। यहां यद्यपि उन्हीं संदेहों को दूर करने के लिए विधेयक लाया गया है लेकिन जिस मशीनरी के द्वारा लाया गया है उनका मकसद डाउट से भरा हुआ है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस मकसद से लाया गया है, वह अच्छा नहीं है। मैं इस बारे में आपके सामने अपने विचार रखना चाहता हूँ। क्लॉज़ १२ में जितना प्रोसीजर दिया है वह बहुत साफ है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन इसमें जो तब्दीली करने का इरादा है, वह भी तब जब कि केस अदालत के सामने विचाराधीन है। जैसा पूर्व वक्ता द्वारा कहा गया, हमें इस पर तब तक विचार नहीं करना चाहिये जब तक कि फैसला नहीं हो जावे। हमारी पार्लियामेंट का भी कोई उदाहरण नहीं है कि इस प्रकार का संशोधन ला सकें। मैं यह कहूँगा कि इसको यहां पेश करने से पहले विचार कर लिया जाय कि इस प्रकार का संशोधन करना उचित है या नहीं। मैं समझता हूं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जब कोई केस हाईकोर्ट के विचाराधीन है, हम उस पर विचार कर सकते हों। एक चीज यह आती है कि आखिर इसमें संशोधन करके किसी एक व्यक्ति का हम पोषण तो नहीं कर रहे हैं! जैसा पहले बताया गया; किसी व्यक्ति की योग्यता में संदेह नहीं है। लेकिन खास बात यह है कि हम प्रोसीजरल इर्रेगुलेरिटी नहीं करें। यदि कोई व्यक्ति चेलेन्ज करता है तो उस व्यक्ति के राइट को खतम करने के लिये और दूसरे को प्रश्रय देने के लिये हम ऐसा नहीं कर सकते। हो सकता है कि उसकी योग्यता अच्छी हो। लेकिन यहां जो संशोधन रखा है वह अच्छे इन्टेन्शन से नहीं रखा है। उस व्यक्ति के जो राइट्स हैं, अधिकार हैं उनको कुचलने के लिए और एक व्यक्ति को प्रश्रय देने के लिए यह रखा गया है, जो सदन के लिए शोभादायक नहीं हो सकता। एक व्यक्ति को मान्यता दें और दूसरे के अधिकारों का हनन करें, यह शोभाजनक नहीं है। यदि यह सार्वजनिक उपयोग की चीज होती, इसका सब पर समान असर पड़ता और किसी व्यक्ति का पक्षपात नहीं होता तो मैं यह कहता हूं कि मैं इसे स्वीकार करलेता। लेकिन जो एक व्यक्ति से संबन्ध रखता है उस पर

(श्री दयाकृष्ण विजय)

हम विचार करें, यह मेरी समझ में शोभाजनक नहीं है।

आज यह प्रश्न आता है कि हम हर विधेयक को बहुमत से पास कर सकते हैं लेकिन जैसा पहले कहा गया था कि इसे प्रवर समिति को सौंपा जाय और वहां इस पर अच्छी तरह से विचार कर लें कि क्या कॉन्स्टिट्युशन है, किस प्रकार के नियम हैं, जब अदालत के विचाराधीन हैं तो हम उस पर विचार कर सकते हैं या नहीं आदि बातों को वहां पर अच्छी तरह से कंसीडर कर लें। हाउस में जब कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उत्तर में कह दिया जाता है कि मामला सब जुडिस है, इसलिये इस पर यहां विचार नहीं किया जा सकता। लेकिन जब ट्रेजरी बैंच की तरफ से कोई विचार उपस्थित किया जाता है तो क्या उस पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती; मैं आपत्ति उठाना चाहता हूं कि जिस प्रकार हमको सब-जुडिस केस कह कर प्रश्न पूछने से रोका जाता है उसी प्रकार इस मामले पर भी आपत्ति होनी चाहिए। मुझे संदेह है कि सब जुडिस मामलों पर हम विचार कर सकते हैं, इसलिए इसे वापिस लेना चाहिए या सिलेक्ट कमेटी का प्रस्ताव गिर गया, लेकिन फिर भी मन्त्रीजी अपनी तरफ से दुबारा विचार कर सकते हैं।

(एक उप-मन्त्री महोदय के मुन्दी आंखों से बैठे रहने पर)

श्री उपाध्यक्ष : Hon. Deputy Minister. Is he paying homage to the House?

श्री दयाकृष्ण विजय (जारी) : मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस पर पुनर्विचार करें और गम्भीरता से विचार करें, यह एक ऐसा मसला है जिसमें एक व्यक्ति के साथ न्याय और दूसरे के साथ अन्याय करने जा रहे हैं और इस प्रकार कोई कानून होता है तो सारे सदन का अपमान का विषय होगा। सिर्फ मन्त्री महोदय के अपमान का ही विषय नहीं, बल्कि हम लोगों के अपमान का विषय होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि सदन की इसमें शोभा नहीं है कि सदन जिन काम को करे, उसकी जनता में आलोचना हो। जनता जिस कानून की प्रशंसा करे, इस तरह का कानून बनाना चाहिये। जनता ने हमें चुनकर भेजा है, इसलिए जनता चाहती है कि उनके अधिकारों के साथ हम न्याय करें और वे आशा करते हैं कि सदन का हर व्यक्ति उनके अधिकारों की रक्षा करेगा। उनकी रक्षा के नाम पर एक व्यक्ति को श्रेय दें या न दें, यह बात नहीं है। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं अनुरोध करूंगा कि इस पर पुनः विचार किया जाय और माननीय मन्त्री महोदय इसे सिलेक्ट कमेटी के सामने पुनः विचार के लिए रखें और अभी इसे वापिस ले लें।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के ऊपर यह भाव है..........

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कि वापस ले लें।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं अर्ज करूंगा कि जो पहले कहा था और माननीय सदस्य ने पहले विचार व्यक्त किये, पहले बिल के सम्बन्ध में जब इसको विचारार्थ लिया गया, उस समय जो विचार उन्होंने रखे थे, अब भी करीब करीब उसी भाषा में उसका विरोध किया है। जैसा मैंने पहले अर्ज किया, इस बिल के सम्बन्ध में कोई नई बात नहीं है। मैंने खुद ने स्वीकार किया है कि यह सही है कि हाई कोर्ट में एक रिट पेश हुई है, मिस्टर चतुर्वेदी की तरफ से, उन्होंने एक वैधानिक प्रश्न उठाया

(श्री दामोदरलाल व्यास)

है, एक आपत्ति उठाई गई है वाइस चान्सलर के अपॉइन्टमेंट पर। मैं समझता हूं कि इस सदन का वैधानिक अधिकार है कि इस प्रकार कानून बना कर उस कानून की आवश्यकता के मुताबिक तरमीम कर सकते हैं। हाई कोर्ट में जो मुकदमा चल रहा है, उसमें जो आपत्ति उठाई है, या किसी प्रकार की बहस खड़ी हुई है, वह इस कानून के रास्ते में नहीं आती। मैं माननीय सदस्य को याद दिलाना चाहता हूं कि इस प्रकार के फैसले हमारी सुप्रीम कोर्ट से हुए हैं और अन्य रियासतों की हाई कोर्ट से हुए हैं और उन्होंने स्वीकार किया है कि विधान सभा का यह अधिकार है कि जो हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा है और उसमें जो बहस खड़ी हो गई है किसी वैधानिक मामले पर, उसके कारण अगर कानून में संशोधन करने की आवश्यकता समझें, कानून में तामीम करने की जरूरत हो, तो सदन तरमीम कर सकता है, इसमें कोई वैधानिक आपत्ति नहीं है। इसलिए यह कहना कि कानून की हानि होगी, डेमोक्रेसी की हानि होगी, डेमोक्रेसी के जो प्रिन्सिपल्स हैं, पार्लियामेन्ट्री प्रेक्टिस है, एग्ज़ीक्युटिव साइड जो है, वह किसी को फेवर करने के लिए कानून बनाती है, तो उसमें वैधानिक आपत्ति होगी, यह गलत है। यह बिल्कुल वैधानिक है और सदन का अधिकार है इस प्रकार के कानून बनाने का। माननीय अध्यक्ष, यह इन अकोर्डेन्स प्रोवीज़न्स ऑफ लॉ है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती, चाहे कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में हो, हाई कोर्ट में हो, हम कानून में तरमीम कर सकते हैं। जो माननीय सदस्य इसका विरोध कर रहे हैं और सिलेक्ट कमेटी को सुपुर्द करने के लिए कह रहे हैं, वे योग्य व्यक्ति हैं और वे इस बात को जानते हैं कि यह सदन का अधिकार है और सदन इसको अमेंड कर सकता है, इसमें कोई वैधानिक आपत्ति नहीं है, कानूनी अड़चन इसके बीच में नहीं आती।

दूसरी बात जो इस बिल के लिए कही गई है, वह फुलेरा से आये हुए माननीय सदस्य द्वारा कही गई है, जो अभी मौजूद नहीं है। मैंने पहले भी अर्ज किया था, लेकिन वे फिर भी कह गये कि यह जुडिशियल प्रोनाउन्समेंट को बाइपास करने का तरीका है। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें कहीं। उन्होंने डेमोक्रेटिक प्रिन्सिपल, एक्जीक्युटिव, जुडिशियरी की बात भी बताई जिनका इससे कुछ सम्बन्ध नहीं था। मैं इतनी बात जरूर निवेदन करना चाहता हूं कि यह जुडिशियल प्रोनाउन्समेंट को बाइपास करने का तरीका नहीं है। मैं आपको निवेदन करूं कि जो कानून बना था, उसका जो इन्टरप्रिटेशन था, उसके अनुसार वर्डिंग्स नहीं थे, इस कारण डाउटफुल इन्टरप्रिटेशन हो सकता था, हर पार्टी इसका अलग अलग इन्टरप्रिटेशन कर सकती थी, उसमें एम्बीग्युटी थी। इसलिए यह गवर्नमेंट का फर्ज था कि उस कानून में अमेंडमेंट करके, तरमीम करके, सही मायना जिस तरह से निकल सके, वैसी लैंग्वेज इन्सर्ट कर दें। इस ख्याल को लेकर अमेंडमेंट पेश किया है। इसमें दूसरी कोई मन्शा नहीं है।

यह सही है कि मौजूदा वाइस चान्सलर है, उनकी म्याद बढ़ाने का प्रश्न है, उस प्रश्न को लेकर हाई कोर्ट के अन्दर रिट पेश हुई है, इसमें दो राय नहीं है। माननीय सदस्य ने विरोध किया, वे ऐसा महसूस करते हैं। मैं निवेदन करूं कि जो वाइस चान्सलर है, उनकी योग्यता के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव केपेसिटी के लिए दो राय नहीं हो सकती, उनसे अच्छा व्यक्ति सीनेट को नहीं मिला। सीनेट ने उन्हें उपयुक्त और योग्य समझा और इस प्रेमिस पर उनका एक्सटेन्शन कर रहे हैं। मैं नहीं

(श्री दामोदरलाल व्यास)

समझ पा रहा हूं कि एक्सटेन्शन करने में जिस दफा १२ का हवाला दिया जाता है, सेक्शन १२ में एक प्रोसीजर है कि तीन आदमियों की कमेटी हो। वह कमेटी कान्सीट्यूट कर दी गई है। इनका अपोइन्टमेंट हुआ, उस वक्त उस प्रोसीजर को पूरा किया गया, यह कमेटी बनाई गई, उस कमेटी ने सलेक्शन करके सीनेट को दिया, सीनेट ने सिलेक्शन करके लिस्ट चान्सलर को दी और उस लिस्ट में से इनका सिलेक्शन हुआ। अब उन्हें वापिस एक्सटेन्शन दिया जाता है, तो उस प्रोसीजर को दुहराने की क्या आवश्यकता है ! जिस तरह का काम इन्होंने युनीवर्सिटी में किया है, इसके सम्बन्ध में दो राय नहीं हो सकती कि इनसे योग्य व्यक्ति नहीं मिल रहा था, इसलिये इनको एक्सटेन्शन देने का विचार किया गया और इस कानून में तरमीम करने से उस एक्सटेन्शन में मदद मिलती है। इसका मतलब यह नहीं है कि किसी आदमी को फेवर करने की वजह से तरमीम कर रहे हैं। इसका जो मतलब है वह आब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स के स्टेटमेंट में दिया गया है कि इसके इन्टरप्रिटेशन में डाउट पैदा न हो। इस वजह से इसको साफ करने के लिए लैंगवेज को ठीक प्रकार से रख रहे हैं, जिससे आसानी से इन्टरप्रेट हो जाय और सही मामले लिये जायें। इसलिए मैं अर्ज करूंगा कि इस बिल को पारित किया जाय।

श्री दयाकृष्ण विजय : मैं यह जानना चाहता हूं कि पहले क्या कभी री-अपोइन्टमेंट नहीं हुआ ?

श्री दामोदरलाल व्यास : किसका री-अपोइन्टमेंट नहीं हुआ ? I am not in the know, what happened 10 years ago.

श्री दयाकृष्ण विजय : मैं यह इन्फोर्मेशन लेना चाहता हूं कि क्या कभी पहले री-अपोइन्टमेंट नहीं हुआ ?

श्री दामोदरलाल व्यास : You better put a separate question to me and I will reply.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान युनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५८, पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

(३.४६ म० प०)

(५) राजस्थान वित्त (कृषि आय कर) विधेयक, १९५८

(विचार-विमर्श एवं पारित)

श्री सम्पतराम (उप राजस्व मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान फाइनेन्स (एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स) बिल, १९५८ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : On a point of information, Sir, whether this particular Bill (No. 5) has received the recommendation of the Governor. As far as I think this is a Money Bill, a Finance Bill.

श्री सम्पतराम : उपाध्यक्ष महोदय, यदि माननीय सदस्य ने गौर से देखा होता तो इसमें साफ लिखा हुआ है :

"In pursuance of clauses (1) and (3) of Article 207 of the Constitution of India, the Governor

Page No.90

(श्री सम्पतराम)

has recommended to the Rajasthan Legislative Assembly the introduction, moving in and consideration of this bill."

श्री उपाध्यक्ष : Yes. He will continue the debate.

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान एक कृषि प्रधान प्रान्त है। इसके अन्दर जितना टोटल एरिया है उसमें से ९६ परसेन्ट एरिया ऐसा है जिसको ग्रामीण एरिया या रूरल एरिया कह सकते हैं; जिसमें से ७५ परसेंट एरिया ऐसा है जिसमें किसान लोग खेती करते हैं, इसके सिवाय ३५ परसेंट ऐसे लोग हैं जिनके खेती मिचाई द्वारा होती है। उन ३५ परसेंट लोगों के अलावा जो लोग खेती करते हैं वे गरीब हैं, उन ३५ परसेंट लोगों पर जिनकी आमदनी ज्यादा होती है उन पर एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स लगाते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर सारे राजस्थान के किसानों पर आपने एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स लगाया है, इसके मैं बिलकुल खिलाफ हूँ। इस सम्बन्ध में मैं दो-तीन बातें कहूँगा।

सबसे पहली समस्या इनके सामने यह है कि राजस्थान में गांवों में ज्यादा अनपढ़, अशिक्षित लोग रहते हैं, हिसाब किताब रखना पढ़े लिखे लोगों का काम है; इस कारण जो आपने एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स लगाया है, उसका हिसाब-किताब रखने में किसान लोग कतई असमर्थ हैं कि कितना सालाना खर्चा उन्हें हुआ और कितनी आमदनी हुई, इसका हिसाब रखने में वे लोग एकदम असमर्थ हैं। अनपढ़ और अशिक्षित होने के कारण आप उन किसानों से यह आशा नहीं कर सकते कि वे आपको इन सारी बातों का विवरण दे सकें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार शहरों के अन्दर इन्कम टैक्स लगाती है, वहां व्यापारी वर्ग है, पढ़ा लिखा वर्ग है, वे बहीखाते और हिसाब पूरा रख सकते हैं; पर किसानों से आप यह आशा नहीं रख सकते कि वे अपनी खेती का सालाना बजट पेश कर देंगे। आज गांवों के अन्दर हम देखते हैं कि कुछ गांव तो ऐसे मिल जायेंगे कि पूरे के पूरे गांव में एक भी आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जो दस्तखत करना भी जानता हो। ऐसी हालत में एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स राजस्थान के किसानों पर लगाते हैं, तो यह उनके साथ अन्याय होगा। इन्कम टैक्स के लिये यह जरूरी है कि जिस वर्ग पर टैक्स लगाते हैं वह वर्ग पूरा हिसाब रखे। ऐसा नहीं किया जाता है तो जो सरकारी कर्मचारी हैं, टैक्स वसूल करने वाले लोग हैं, वे नाजायज फायदा उठायेंगे। ऐसी सूरत में सरकार को सोचना चाहिये कि वह किस तरह इन्कम टैक्स लगाना चाहती है, किस तरह वह टैक्स वसूल करना चाहती है। एक तो जिस समय खेती खड़ी हो उस समय कूंता किया जायगा या सालाना हिसाब लगायेंगी। तो अगर सालाना हिसाब लगाया जायगा तो किस आधार पर सालाना हिसाब लगाया जायगा। मैं वित्त मंत्री महोदय से चाहूँगा कि किस प्रकार से एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स लगाया जायगा, इस पर वे प्रकाश डालें।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा मैं इसका विरोध इसलिये करता हूं कि आज दिन सीलिंग कमेटी की रिपोर्ट आ चुकी है और आज से ६ महीने बाद या बारह महीने बाद सीलिंग लागू करना होगा और सीलिंग का मतलब यह है कि जमीन रखने की उतनी ही लिमिट रखी है कि जिससे एक कुटुम्ब का भरण पोषण

Page No.91

(श्री गिरधारीलाल)

हो सके, इससे ज्यादा आमदनी की जमीन हो तो वह ले ली जायगी। एक तरफ तो कहते हैं कि किसान की चार हजार रुपया सालाना से ज्यादा इन्कम नहीं होनी चाहिये और नीचे से नीचे २४०० रुपया सालाना रखा है। जब सीलिंग की रिपोर्ट आ चुकी है तो आपको सीलिंग लागू करना पड़ेगा और जब आप सीलिंग चालू करने जा रहे हैं तो ऐसी सूरत में एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसी सूरत में हमें यह देखना पड़ेगा कि एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स लगाने से क्या फायदे और क्या नुकसान होंगे, उस समय हमें यह देखना होगा कि आज किसान की माली हालत क्या है? आज हम यह देखते हैं कि किसान पूरी तरह दब चुका है, टैक्सों के बोझे से वह पूरी तरह दब चुका है और अब उसकी और अधिक टैक्स देने की हालत नहीं है।

हमारे संविधान के अनुसार हर एक नागरिक को समान अधिकार मिलने चाहिए, यह एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स लगाना और साथ ही साथ लगान वसूल करना दोनों चीजों को साथ नहीं रख सकते। अगर दोनों को साथ रखते हैं तो किसानों से आप नाजायज तरीके से टैक्स वसूल करना चाहते हैं। जो किसान अनपढ़ है, जिस किसान के बल बूते पर आप राज्य कर रहे हैं आप उसी को मारना चाहते हैं। एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स और लगान, इन दोनों चीजों में से आपको एक चीज़ को छोड़ना पड़ेगा; या तो आप किसान से एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स ही लें या उससे लगान लें, दोनों एक साथ नहीं ले सकते और उस हालत में जब कि आप सीलिंग लागू करने वाले हैं, सीलिंग के बाद एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स लगाने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप कहने को कहते हैं कि सब को समान अधिकार दिया है, पर हम देखते हैं कि एक तरफ तो किसान के उत्पादन के साधन हैं, उन पर आप सीलिंग लगा रहे हैं और दूसरी तरफ उससे आप लगान और एग्रीकल्चर इन्कमटैक्स दोनों साथ साथ वसूल करना चाहते हैं।

मैं मानता हूं कि यह समाजवादी समाज की ओर पहला कदम है पर साथ ही कहना चाहता हूं कि सीलिंग लागू करने के साथ साथ कारखाने, बड़े बड़े उद्योग, पूंजीपतियों द्वारा चलाये जाने वाले बड़े बड़े कल कारखाने और मिल, जिनसे उत्पादन किया जाता है, उन पर भी आपको टैक्स लगाना होगा। अगर शहरों में कारखानों पर सीलिंग लागू नहीं करते हैं, एक आदमी २० लाख रुपया सालाना आमदनी कर सकता है उस पर सीलिंग नहीं लगाते हैं तो आपको कोई अधिकार नहीं है कि किसान पर सीलिंग लागू करें। किसानों पर जिस तरह से सीलिंग लागू करते हैं उसी तरह व्यापारियों पर भी सीलिंग लागू करके उन पर टैक्स लगायें। आज हम देखते हैं कि पूरे व्यापारी वर्ग पर, इन्कम टैक्स के अलावा और कोई टैक्स नहीं लगता है पर उधर किसान से आप लगान भी वसूल करते हैं और किसानों से एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स वसूल करना चाहते हैं, व्यापारी वर्ग से आप एक ही टैक्स इन्कमटैक्स लेते हैं और किसानों से एग्रीकल्चर इन्कमटैक्स और लगान, इस तरह दो टैक्स लेते हैं और इस तरह शहर के लोगों के साथ पक्षपात पूर्ण नीति से काम ले रहे हैं। यह सरकार जो अपने आपको रात दिन किसानों की हमदर्द सरकार कहती है; फिर आपके देखने की बात है कि जिस किसान ने आपको वोट दिये हैं, उन पर दो दो टैक्स लगा कर, आप उसे मार रहे हैं।

(श्री गिरधारीलाल)

(ट्रेज़री बैंचेज़ पर कुछ माननीय सदस्यों के बातें करने पर)

माननीय उपाध्यक्ष, बातें बन्द होनी चाहिये, नहीं तो कौन सुनेगा ।

श्री उपाध्यक्ष : बातें बन्द इधर से हो जायं ।

(विराम)

हां, आप आरम्भ रखिये ।

श्री गिरधारीलाल (जारी) : हां, कुछ लोग सो रहे हैं, कुछ लोग बातें कर रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह भेद पूर्ण नीति गांवों में रहने वालों के साथ और शहरों में रहने वालों के साथ बरतते हैं, यह ठीक नहीं है; अनुचित है । एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स, लगान और सीलिंग; ये गांवों में लगाना और शहरों में व्यापारियों पर केवल इन्कम टैक्स लगाना, यह भेद पूर्ण नीति संविधान के खिलाफ है ।

इस तरह मैं देखता हूं कि किसानों की तरफ से जो व्यक्ति आये हैं वे किसानों पर तरह तरह के टैक्स लगाते हैं, ऐसी हालत में हम सोचते हैं कि ये इस तरह यहां कितने दिन बैठ सकते हैं ?

माननीय उपाध्यक्ष, इन्हीं शब्दों के साथ आपके द्वारा मैं वित्त मंत्रीजी को बताना चाहता हूं कि वे किसानों के साथ न्याय करें । आप हम सबमें बड़े बुजुर्ग आदमी हैं, साहित्यक हैं, चेहरा भी आपका ऐसा लगता है कि ऋषि मुनि होने के लायक थे·······

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष : व्यक्तिगत बातें सदन में न करें, यहां चहरे-मोहरे का कोई सम्बन्ध नहीं आता ।

श्री गिरधारीलाल : नहीं साहब, बात यह है ······

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान वित्त (कृषि आय कर) विधेयक, १६५८ को विचारार्थ लिया जाय ।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया जाता है ।

श्री सम्पतराम (उप राजस्वमंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान वित्त (कृषि आय-कर) विधेयक, १६५८ को पारित किया जाय ।

(श्री हीराभाई के बोलने के लिये खड़े होने पर)

हां, आरम्भ करिये बोलना चाहते हैं तो ।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय हमारा कृषि आयकर विधेयक पारित किया जा रहा है । इसमें मुझे कोई दुःख नहीं है कि कृषि कर क्यों लगाया जाय, पर बात यह है कि किसान पर हर प्रकार के टैक्स लगाये जायं तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिये कि उसको क्या दिक्कत रहती है ? किस किस मद में किसान को टैक्स देने होते हैं ? इस बारे में हमें सोच-समझ कर टैक्स लगाने के लिये तैयार होना चाहिये । किसान हर एक माल पैदा करता है, उसको बेचते समय उससे टैक्स लिया जाता है, सेल्स टैक्स उससे लिया जाता है, इन्कम टैक्स उससे लिया जाता है, सेठ-साहूकार का ब्याज उसे चुकाना पड़ता है, व्यापारी की आमदनी की जितनी सामग्री है उस पर किसान को टैक्स देना पड़ता है ये सारे टैक्स और चुंगी टैक्स किसान अपनी पैदावार में से निकालता है ।

Page No.93

(श्री हीराभाई)

४. म०प०

एक तरफ गवर्नमेंट हमसे लगान भी लेती है और दूसरी तरफ हमसे तीन-चार तरह के एग्रीकल्चर टैक्स भी लेती है तो उनसे यही होता है कि उल्टे हाथ से कान पकड़ो, यह तो बिल्कुल दिक्कत रहेगी और जहां तक सवाल है जमीन का, जिनके पास ज्यादा जमीन है उनके लिये हमें सोचना चाहिये कि उन जमीनों का बंटवारा कर दिया जावे और उसके आधार पर मैं समझता हूं कि न टैक्स का झगड़ा होगा और न किसी प्रकार का दूसरा झगड़ा पड़ेगा।

लगान के लिये मैं यह लिखूंगा कि शहर में इन्कम टैक्स लिया जाता है। इन्कम टैक्स वाले हैं उन पर चार हजार पर या कुछ ज्यादा पर आप लेते हैं। तो इतने ही मुनाफे पर एग्रीकल्चरल इन्कमटैक्स लगाया जावे, न कि कम पर। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि किसानों ने क्या अपराध किया है ? इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि गवर्नमेंट इस पर सोचे कि किसानों के साथ क्या हो रहा है ! किसान के पास ज्यादा पैसा नहीं है; किसान गरीब है और जिनके पास ज्यादा पैसा हो उनसे लेना चाहिये। कानून बन चुका है उसके साथ चलना होगा, परन्तु किसानों से हर प्रकार के टैक्स लगाकर उनको मिट्टी में मिलाया जा रहा है। मैं यह कहूंगा कि यह सरकार के लिये शोभा की बात नहीं है। मैं इस बात को मानता हूं कि हमको हमारा राज्य चलाना है और राज्य बिना पैसे के चल नहीं सकता और इसके लिये टैक्स लगाना होगा। मगर किस पर टैक्स लगाया जाना चाहिये यह देखने की बात है। बड़ी बड़ी मिलें हैं, उनकी करोड़ों रुपयों की आमदनी है उनसे...

श्री उपाध्यक्षः यह तो फोमल बिल है, प्रतिवर्ष आता है। बहस का प्रश्न नहीं है फिर भी आप जल्दी समाप्त करिये।

श्री हीराजी भाईः मैं यह कह रहा था कि राज्य पैसे बगैर नहीं चल सकता है और बिना टैक्स पैसा कैसे हो सकता है ! इसलिये मेरा कहना है कि बड़े-बड़े पूंजीपतियों से जिनकी मिलें हैं उनको सरकार कब्जे में ले....

श्री उपाध्यक्ष : अभी दूसरे बिल आ रहे हैं, उनमें बहुत बोलने की गुंजायश है। मेरा ख्याल है, आप बैठ रहे हैं।

श्री हीराजी भाई : (जारी) हमारा राज्य चलाना है इसलिए टैक्स लीजिये। मगर समझ में नहीं आता कि किसानों को परेशान करके और तंग करके यह क्यों किया जाता है, यह चीज़ मालूम नहीं पड़ती ? पहले आपने क्या वायदे किये थे और आज आप क्या करने जा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य को मालूम होना चाहिये कि आगे बहुत प्रश्न आ रहे हैं। आप इस समय स्थान ग्रहण करेंगे। (श्री हीराभाई के नहीं बैठने पर पुनः) स्थान ग्रहण करें।

श्री हीरा जी भाई : इसीलिये विरोध किया है। माननीय मंत्री महोदय इस पर ध्यान देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदय कुछ उत्तर देंगे।

श्री सम्पतराम (उपराजस्व मंत्री) : यह तो माननीय उपाध्यक्ष, आपने बता ही दिया कि यह बिल्कुल फोर्मल है और इसको विधान सभा में पेश करना होता है क्योंकि इसको सदन में रखे जाने का प्रोविज़न है।

Page No.94

(श्री सम्पतराम)

यह प्रोविजन है कि इसको विधान सभा में रखा जावे और पास करावें, इसलिये यह रखा गया है। मैं यह निवेदन करूंगा कि कुछ माननीय सदस्यों को यह भ्रम हो गया कि यदि इसको पास कर दिया जायेगा तो किसानों को ज्यादा कर देना होगा और किसानों पर वजन पड़ेगा. मगर यह प्रश्न नहीं है, यह तो बिल्कुल फोर्मल है। अब रहा सीलिंग का प्रश्न। यह तो किसानों के पक्ष की बात है। बड़ी बड़ी जमीनें हैं उनको लेकर किसानों में बांट दी जावेंगी और इससे जो भूमिहीन किसान हैं उनको ज्यादा फायदा होगा। इसलिये मैं इस पर अधिक न कह कर यही अनुरोध करूंगा कि इसको पास किया जावे क्यों कि यह इन्फोर्मल बिल है।

श्री उपाध्यक्ष :- प्रश्न यह है कि राजस्थान वित्त (कृषि आय-कर) विधेयक, १९५८ को पास किया जावे।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

श्री पुरुषोत्तमलाल : उपाध्यक्ष महोदय, आज तो चार ही बिल लेने थे, पांच ले लिये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आपकी उदारता का परिचायक है।

श्री पुरुषोत्तमलाल : इसका मिसयूज़ तो नहीं होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : (श्री वित्त मंत्री से) आप आरंभ रखिये।

(४.५ म० प०)

(६) राजस्थान अस्थाई कर-संग्रहण विधेयक, १९५८

(विचार-विमर्श एवं पारित)

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान अस्थाई कर संग्रहण विधेयक, १९५८ को विचारार्थ लिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान अस्थाई कर संग्रहण विधेयक, १९५८ को विचारार्थ लिया जाए।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया जाता है।

श्री दयाकृष्ण विजय : माननीय उपाध्यक्ष,... ......

श्री उपाध्यक्ष : इस पर एमेन्डमेंट है और इसको क्लॉज़ बाई क्लॉज़ ले रहे हैं। क्लॉज़ २।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : इस पर जो एमेन्डमेंट है उसको मैं स्वीकार करता हूं।

श्री दयाकृष्ण विजय : एमेन्डमेंट की कॉपी हमारे पास नहीं आई। क्या यह एमेंडमेंट गवर्नमेंट की तरफ से है।

श्री उपाध्यक्ष : The amendment is :

"Delete Sub clause 2,"

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लाज २ पर है उसको स्वीकार किया जाए।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

रावत श्री नरेन्द्रसिंह : हमारे पास इसके कोई कागज भी नहीं आये ।

(तदनन्तर खण्ड ३, ४, ५, १ आदि स्वीकृत हुए)

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैं प्रस्ताव करता हूं कि इसको पारित किया जाए ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान अस्थाई कर-संग्रहण विधेयक, १९५८ को पारित किया जाए ।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया ।

श्री दयाकृष्ण विजय : उपाध्यक्ष महोदय, आपने इसको पास करने में बहुत जल्दी की । मैं बोलने के लिये खड़ा हुआ था और बोलने वाला था इस पर कुछ ।

(४.६ म० प०)

मेजर फतहसिंह के कारावास में लेने सम्बन्धी विशेषाधिकार प्रश्न पर निर्णय

श्री उपाध्यक्ष : श्री संपतराम उप-राजस्व मंत्री को संबोधित करते हुए) आपको अभी कुछ देर है, तब तक मैं अपना डिसीज़न सुना देता हूँ । १९-३ ५८ को माननीय सदस्य, श्री भैरोंसिंह, ने एक विशेषाधिकार के विषय में प्रश्न उपस्थित किया था, जिसके संबन्ध में निर्णय सुनने के लिये माननीय सदस्य बड़े उत्सुक थे । ....

श्री शिवचरणदास : अभी भी हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : वह निर्णय मैं आपके समक्ष सुना देता हूं, I may declare my deceision :

On 19th March, 1958, during the course of the debate over a cut motion on Police Demand moved by Major Shri Fateh Singh a reference was made about his arrest in some dacoity case affected by one Shri Guman Singh and also of a publication of a libel designed to influence the conduct of Major Shri Fateh Singh as a member of the erstwhile Ajmer Legislative Assembly. When Major Fateh Singh was discussing the atrocities of the police with a special mention of the part played by Shri Guman Singh, the then Superintendent of Police, Pali a point of privilege was raised by Shri Bhairon Singh, D No. 14, who urged that the publication referred to, contained a statement alleged to have been released by the said officer constituting a breach of privilege and as the existence of the news item under dispute has been discovered on this day in the newspaper 'The Free Press Journal' dated April 15 1955, at page 5, this House has the jurisdiction to take cognizance of the point so raised.

The main contentions stressed by the Hon. Member are:

(1) That the Rajasthan Legislative Assembly is the successor to the Ajmer Legislative Assembly under Sec. 2. clause (m) sub-clause (i) of the States Reorganisation Act, 1956.

(2) That being the successor to the former Legislature an Offence of breach of privilege, committed in relation to the Ajmer Legislature can be taken cognizance of, by this House.

(श्री उपाध्यक्ष)

Hon. the Home Minister has attempted to controvert these contentions by raising the following objections :

(1) That such a motion should not be admitted unless prescribed Formalities mandatory in nature under rule 55 and 56 of our Rules of Procedure have been complied with.

(2) That even if an assumption be made that an offence of breach of privilege had been committed with relation to the former Legislative Assembly of Ajmer, then too this House is not ceased of the jurisdiction to take cognizance of the issue as the Ajmer Legislative Assembly has ceased to exist by virtue of the integration of Ajmer State into that of Rajasthan.

As the point under dispute involved a legal position it had to be deferred for its decision and hence this delay. I have gone through the contents so published in the Free Press Journal. This is undisputed that at the time when Major Fateh Singh was arrested, he was a Member of the Legislative Assembly, Ajmer, and he continued to be sfch after the said Legislature merged its existence into that of the present one, under the States Reorganisation Act, 19 6. According to Sec. 2, Clause (m) sub-clause (i), a 'principal State' means in relation to the existing State of Bombay, Madhya Pradesh of Rajasthan, the State with the same name and, therefore, there exists no controversy in holding that as the State of Rajasthan is the successor to the State of Ajmer, this House is the successor to the Legislative Assembly, Ajmer.

This view also finds support from the observations of Hon. the Speaker, Andhra Pradesh Vidhan Sabha, contained in the matter of breach of privilege, as referred on page 11 of 'Privileges Digest' April-June, 1957, Vol. I, No. 2. Under these circumstances the offence of breach of privilege committed in relation to the said Assembly, alleged to affect the prestige and repute of the Hon. Member may be punished by this House. In May's Parliamentary Practice, 15th Edition at page 133, it is stated clearly that a breach of privilege in one Parliament may be punished in another succeeding Legislature. Sec. 13 of the States Reorganisation Act of 1956 further supports the point. There the period of five years under Art. 172 of the Constitution in case of Legislative Assembly of the new State of Rajasthan is deemed to have commenced when it actually commenced in old State of Rajasthan.

I hold, therefore, that this House is vested with the jurisdiction of the offence committed in relation to the Legislative Assembly of Ajmer State.

(श्री उपाध्यक्ष)

As to the question, whether there exists a prima facie case, the statement referred thereto as contained in the newspaper go a long way in throwing light over the issue. The following extract of the said paper under its particular caption will be helpful in arriving at a decision :

"Rajasthan cops hold Ajmer M. L. A. for instigating dacoits :

Shri Guman Singh said that the police suspected the Major for having taken to this anti-social behavior in view of his fear of losing election to the Ajmer State Legislature, if the dacoits surrendered to the Government. It is alleged that he secured with the help of the dacoits."

I am of the opinion that there is a case for the point raised, but the Hon'Member agitating this point cannot seek relief from the assumption till the conditions precedent as required under Rule 56 of the Conduct of Business are complied with.

The other point stressed before me was whether an occurence of such a nature can be treated as recent, to bring the motion within the confine of admissibility, I feel in the light of the speedy changes that have come forth, both at the time of merger and after, and the fact that the news contained in the said paper has been discovered by the Hon. Member only on the day when this point was raised, if believed, a lenient view with this background of the explanation is desirable to liberalise the scope of the rule.

The result is that the point can only be entertained if and when formalities enjoined by rule 56 of the Business Rules of this House are strictly complied with.

I accordingly rule out the point of privilege raised by the Hon. Member Shri Bhairon Singh and reject it outright.

(४-१० म०प०)

(७) राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, १६५८

(विचारार्थ एवं पारित)

श्री सम्पतराम (उप राजस्व मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान एक्साइज़ (अमेन्डमेन्ट) बिल, १६५८ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान एक्साइज़ (अमेन्डमेन्ट) बिल, १६५८ को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया जाता है।

(विराम)

श्री सम्पतराम : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान एक्साइज (अमेन्डमेन्ट) बिल, १६५८ को पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान एक्साइज़ (अमेन्डमेन्ट) बिल, १९५८ को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

(८) राजस्थान गोदाम विधेयक, १९५८

(विचार हेतु प्रस्तुत)

श्री नाथूराम मिर्धा (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं, "Bill to encourage establishment of independent ware houses and make provision for their proper supervision and control." को विचारार्थ लिया जाय।

श्री तनसिंह : सिलेक्ट कमेटी को भेजने का अमेन्डमेन्ट है मेरा।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान गोदाम विधेयक, १९५८, को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया जाता है।

श्री तनसिंह : On a point of information. इसको जब विचारार्थ रखा था उस वक्त भी मैंने कहा था कि इसको सिलेक्ट कमेटी को रेफर किया जाय। मेरा इस बारे में प्रस्ताव था।

श्री उपाध्यक्ष : मैं इसको यहीं छोड़ देता हूँ।

श्री तनसिंह : और भी गड़बड़ होगी।

श्री दयाकृष्ण विजय : उपाध्यक्ष महोदय, सूचना में यह है कि चार विधेयक ही लिए जावेंगे, हम चार की ही तैयारी करके आए थे।

श्री नाथूराम मिर्धा : अमेन्डमेन्ट स्वयं गवर्नमेन्ट की ओर से भी तो दिए गए हैं, यह आपके ध्यान में आ जाना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : आप कल तक अमेन्डमेन्ट दे दीजिए।

श्री तनसिंह : मेरा विचार इसको सिलेक्ट कमेटी को रेफर करने का था, उसका क्या हुआ ?

श्री दयाकृष्ण विजय : There are certain amendments which are to be moved. This is a very important Bill and there are.........

श्री उपाध्यक्ष : You will be entitled to move them. You can send them.

(विराम)

सदन की कार्यवाही तारीख १-४-५८ के १२ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही ४. १८ बजे म० प० दिनांक १ अप्रेल, १९५८ के १२ बजे म.प. तक के लिए स्थगित हुई)

संक्षिप्त-विवरण

(शुक्रवार, २८ मार्च, १९५८)

स्तम्भ

तारांकित प्रश्नोत्तर ५४३२

सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी विभाग, जोधपुर के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें।

संस्कृत कॉलेज, जयपुर।

शाहपुरा पावटा सड़क।

पुलिस विभाग द्वारा मोटरों की खरीद।

वन विभाग के निलम्बित मामले, उदयपुर डिविजन।

माध्यमिक कन्या पाठशाला, छावनी सवाई रामगढ़।

कत्ल व डकैतियां।

बीज वितरण, न० नोवा

मोन्टेसरी स्कूलों में अध्यापिकाओं की नियुक्त।

यज्ञनारायण हॉस्पिटल, किशनगढ़।

लैन्ड मोर्टगेज बैंक।

सड़क निर्माण।

लघु सिंचाई योजना।

माध्यमिक विद्यालय, इटावा भोपजी आमेर।

गंगापुर-नादौती-गुढ़ाचन्द्रजी सड़क।

शिक्षक संस्थायें।

जयसमन्द झील की मछलियों का ठेका।

बस सर्विस अजमेर, जयपुर।

मधु-मक्खी पालन।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जिला टोंक में सड़कों का निर्माण।

राजसमन्द झील की मछलियों का ठेका।

कन्या उच्चतर व माध्यमिक विद्यालय।

कृषि सहकारी समितियां, बाड़मेर।

विद्या भवन, टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, उदयपुर।

स्तम्भ

चालचिड़ा गेरोटा (गंगापुर) रोड।

पाठ्य पुस्तकें-प्राथमिक कक्षायें।

बस सर्विस।

कन्या-पाठशालायें, जिला गंगानगर।

थानेदार शेरगढ़ (बांसवाड़ा) के विरुद्ध की गई शिकायतें।

गवर्नमेन्ट हाई स्कूल, गढ़ी।

पुलिस विभाग के निम्न श्रेणी के कर्मचारियों का वेतन।

अधिकारी विकास खंड, बागीडोरा।

बीज वितरण जिला बांसवाड़ा।

सार्वजनिक सम्पर्क विभाग पर किया जाने वाला वार्षिक खर्च।

अल्पकाल सूचना प्रश्नोत्तर ५४६४

कोटा नगर में फरवरी, ५८ से फिल्टर्ड पानी की दर में वृद्धि

जनलेखा समिति तथा प्राक्कलन समिति १९५८-५९, के निर्वाचन के सम्बन्ध में नामजद उम्मीदवारों के नामों की घोषणा ५४९६

उपरोक्त समितियों के लिये निम्नांकित नामजद उम्मीदवारों के नाम अध्यक्ष महोदय द्वारा पढ़े गये :

जनलेखा समिति (Public Accounts Committee.) :

(१) श्री होतीलाल (६३)
(२) श्री भीमसेन (१९)
(३) श्री तनसिंह (१६७)
(४) श्रीमती गोरी पूनिया (४५)

स्तम्भ

(५) श्री भवानी शंकर नन्दवाना (१७)
(६) श्री परसराम (११६)
(७) श्री सज्जनसिंह (१७४)
(८) श्री हरिदेव जोशी (५६)
(९) श्री विशम्भरनाथ जोशी (२२)
(१०) श्री रघुवीरसिंह (१२७)
(११) श्री बेनाराम गहलोत (१७४)
(१२) श्री लच्छूराम (८१)
(१३) श्री शिवचरणदास (१५७)
(१४) श्री भैरोंसिंह (१४)
(१५) श्री कुमारी शन्नोदेवी (१५४)
(१६) श्री प्रभुलाल पुरोहित (१२४)
(नाम वापिस ले लिया)

प्राक्कलन समिति (Estimates Committee) : ५४९६

(१) श्री गिरधारीलाल (४७)
(२) श्री मोहब्बतसिंह (१००)
(३) श्री नाथूलाल (११५)
(४) श्री बेनाराम गहलोत (१७४)
(५) श्री जगदीश प्रसाद माथुर (६५)
(६) श्री दयाकृष्ण विजय (३४)
(७) श्री बालमुकुन्द भील (११)
(८) श्री भोलानाथ (२१)
(९) श्री लक्ष्मण हीरात (८६)
(१०) श्री लादूराम सुलानिया (८२)
(११) श्री रामदेव सिंह (१३१)
(१२) श्री लालूराम (८४)
(१३) श्री मोतीलाल चौधरी (१०५)
(१४) श्री शंकरलाल (१५३)
(१५) श्री चुन्नीलाल (२६)
(१६) श्री रामचन्द्र (१२६)
(१७) श्री लक्ष्मीचन्द (८३)
(१८) श्री रघुवीरसिंह (१२७)
(१९) श्री प्रभुलाल पुरोहित (१२४)
(नाम वापिस ले लिया)

स्तम्भ

(२०) श्री मुरलीधर व्यास (१०७)
(२१) श्रीमती प्रभा मिश्रा (१२३)
(२२) श्रीमती कमला श्रोत्रिय (७४)

वक्तव्य ५४९८

पचपद्रा सिटी में पानी की समस्या से संबंधित जिस स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री लक्ष्मीचन्द द्वारा दी गई थी उस संबन्ध में आज श्री दामोदरलाल व्यास, राजस्व मंत्री, ने एक वक्तव्य दिया ।

विधायी कार्य
विचारार्थ लिये गये विधेयक

१. राजस्थान विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९५८ ५५०३

श्री हरिभाऊ उपाध्याय, वित्त मंत्री, ने उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया । श्री तनसिंह, श्री नारायणसिंह मसूदा, श्री लच्छूराम, श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल व श्री पी. के. चौधरी के भाषण के पश्चात् उक्त प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक सदन द्वारा पारित भी किया गया ।

२. राजस्थान सेल्स टैक्स (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५८ ५५३७

श्री सम्पतराम, उप-मंत्री, ने उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो स्वीकृत हुआ । तत्पश्चात् विधेयक सदन द्वारा पारित भी किया गया ।

३. राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक १९५८ ५५४०

श्री हरिभाऊ उपाध्याय, वित्त मन्त्री, ने उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिये

Page No.101

स्तम्भ

जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। निम्नलिखित सदस्यों ने इस पर की गई बहस में भाग लिया :—

(१) श्री पी. के. चौधरी
(२) श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
(३) श्री तनसिंह
(४) श्री मुरलीधर व्यास
(५) श्री हरा भाई
(६) श्री दयाकृष्ण विजय
(७) श्री भोगजी
(८) श्री गिरधारीलाल
(९) श्री मोहरसिंह
(१०) श्री रामकरणसिंह
(११) श्री अनूपसिंह

स्वायत्त शासन मंत्री के उत्तर के पश्चात् विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक को सदन द्वारा पारित भी किया गया।

४. राजस्थान युनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५८ ५५७८

श्री दामोदरलाल व्यास, राजस्व मंत्री, ने उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव प्रस्तावित किया, जिस पर श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने इस आशय का संशोधन प्रस्तुत किया कि विधेयक को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। श्री अग्रवाल का संशोधन अस्वीकार किया गया एवं तत्पश्चात् राजस्व मंत्री का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। विधेयक सदन द्वारा पारित भी किया गया।

स्तम्भ

५. राजस्थान वित्त (कृषि आय-कर) विधेयक, १९५८ ५६०९

श्री सम्पतराम, उप-मंत्री, ने उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो स्वीकृत हुआ। तत्पश्चात् विधेयक सदन द्वारा पारित भी किया गया।

६. राजस्थान अस्थाई कर-संग्रहण विधेयक, १९५८ ५६१९

उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव श्री हरिभाऊ उपाध्याय, वित्त मन्त्री, ने प्रस्तुत किया जो स्वीकृत हुआ। तत्पश्चात् विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड २—इस खण्ड का उप-खण्ड (२) विलोपित किया गया।

खण्ड ३, ४, ५, १ आदि स्वीकृत हुए

तत्पश्चात् विधेयक संशोधित रूप में पारित भी किया गया।

मेजर फतहसिंह के कारावास में लेने सम्बन्धी विशेषाधिकार प्रश्न पर निर्णय ५६२०

दिनांक १९ मार्च, ५८ को उपस्थित किये गये श्री भैरोंसिंह (१४) के उक्त विषयक विशेषाधिकार प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष ने आज अपना निर्णय दिया तथा विशेषाधिकार प्रश्न को अस्वीकार कर दिया।

७. राजस्थान एक्साइज (संशोधन) विधेयक, १९५८ ५६२५

श्री सम्पतराम, उप-मन्त्री, ने उप-

रोक्त विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो स्वीकृत हुआ। तत्पश्चात् विधेयक सदन द्वारा पारित भी किया गया।

८. राजस्थान गोदाम विधेयक, १९५८ ५६२६

उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव श्री नाथूराम

मिर्धा, कृषि मन्त्री, द्वारा प्रस्तुत किया गया।

मंगलवार, दिनांक १ अप्रेल, १९५८ की कार्य-सूची

अशासकीय संकल्प

(राज्य भाषा हिन्दी संबंधी संकल्प)

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६६८ का उत्तर देखिये)

		डकैती			हत्याएं		
क्र०संख्या	जिला	१६५५	१६५६	१६५७	१६५५	१६५६	१६५७
१	अजमेर	२	५	१	१५	११	१६
२	जयपुर	८	७	८	२६	२८	२६
३	टोंक	५	१	१	१२	५	२
४	झुंझुनू	१	३	२	८	५	६
५	सीकर	१	१	—	१०	१०	४
६	अलवर	३	२	७	१६	१३	२१
७	भरतपुर	८	१०	११	२१	२७	२४
८	सवाई माधोपुर	६	५	१	१३	१६	२२
६	जोधपुर	२	१	४	१८	१४	२४
१०	जैसलमेर	४	२	१	४	७	३
११	सांचौर	५	७	१	१६	१२	१०
१२	बाड़मेर	७	२	३	११	२१	१७
१३	पाली	३	४	१	२२	१६	१६
१४	नागौर	२	२	१	२०	१६	१५
१५	सिरोही	१	४	—	४	७	११
१६	उदयपुर	८	२	३	२३	२८	२६
१७	डूंगरपुर	१	१	—	६	५	८
१८	बांसवाड़ा	२	—	२	१६	६	११
१६	चित्तौड़	३	१	२	६	१५	१७
२०	भीलवाड़ा	११	६	२	१४	१८	१४
२१	कोटा	३	६	६	१७	२०	१४
२२	बूंदी	२	२	—	५	२	८
२३	झालावाड़	३	१२	१	१२	१४	१५
२४	बीकानेर	१	१	२	१५	६	३
२५	गंगानगर	३	३	१	४०	३६	५६
२६	चूरू	१	१	—	११	१४	१०

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६७६ का उत्तर देखिये)

LIST OF SANCTIONED ESTIMATES.

S. No.	NAME OF THE SCHEME.	Estimated Cost. (Rs in lacs)	Estimated Irrigation. (in acres).	Remarks.
	Udaipur District.			
1.	Intali Khera Canal from Jaisamand Lake.	5.86	5,233	Estimate sanctioned work in progress.
2.	Peela Tank.	1.80	708	-do-
3.	Bandora Tank.	3.51	1,800	-do-
4.	Malpura Project.	2.25	780	Estimate sanctioned.
	CHITTOR DISTRICT.			
1.	Muilia Irrigation Project.	4.21	3,590	Estimate sanctioned.
2.	Brahmani River Project.	2.36	1,490	-do-
3.	Kala Deh.	1.70	967	-do-
4.	Bankia.	2.57	2,270	-do-
5.	Rudri Project.	1.39	610	-do-
	DUNGARPUR DISTRICT.			
1.	Jethana Tank.	3.51	1,326	-do-
	SIROHI DISTRICT.			
1.	Kadambari.	2.57	1,360	-do-
	PALI DISTRICT.			
1.	Dantiwara.	2.20	931	-do-
2.	Dhakri.	0.56	255	-do-
	BHILWARA DISTRICT.			
1.	Lakhola Tank.	10.39	550	Estimate sanctioned Work in progress.
	ALWAR DISTRICT.			
1.	Bhilari.	0.11	1,747	Estimate sanctioned.
	AJMER DISTRICT.			
1.	Sati-ka-Nala.	0.20	20	-do-
2.	Mathuwara near Todgarh.	0.33	...	-do-

1	2	3	4
3. Roopnagar.	0.17	... ...	-do-
4. Untra Tank.	5.35	1,450	-do-
5. Gopal Sagar at Khawas.	0.29	125	-do-
NAGAUR DISTRICT.			
1. Dhakri.	0.56	255	-do-

LIST OF WORKS UNDER INVESTIGATION.

S. No.	Name of Works.	Estimated Cost. (Rs. Lacs)	Estimated Irrigation.	Remarks.
	UDAIPUR DISTRICT.			
1.	Jharol Tank.	4.60	1,523	Under investigation.
	CHITTOR DISTRICT.			
1.	Baba-Ki-Bar.	1.70	1,080	" "
	DUNGARPUR DISTRICT.			
1.	Bachidia Pick-Up-Weir.	0.53	825	" "
2.	Balia-Ki-Bar.	1.70	1,080	" "
	JODHPUR DISTRICT.			
1.	Birai Project.	3.62	2,230	" "
	NAGAUR DISTRICT.			
1.	Bhaki.	6.05	3,090	" "
	PALI DISTRICT.			
1.	Saran Project	2.15	712	" "
2.	Sali-Ki-Nal	10.00	400	" "
3.	Raipur Dipwas Bund	6.50	4,000	Survey Completed Estimates under Preparaion.
	BHILWARA DISTRICT.			
1.	Pur Tank	1.76	336	Under investigation.
2.	Tiloli Tank			" "
3.	Lachuda Tank			" "
4.	Njera Tank			" "
	JAIPUR DISTRICT.			
1.	Maheshwar Bund	0.83	500	" "
2.	Rahuwas Bund	2.85	1,562	" "

1	2	3	4	
TONK DISTRICT.				
1. Sodra Project	12.00	6,000	Under Investigation.	
SIKAR DISTRICT.			"	"
1. Sobhavat & Randi Project.			"	"
ALWAR DISTRICT.			"	"
1. Raipur	5.50	4,100	"	"
2. Shyampur Bund & Canal	1.38	2,000	"	"
AJMER DISTRICT.				
1. Padabgan Nala			"	"
2. Ladpura			"	"
3. Bheru Khera			"	"
4. Lasaria			"	"
5. Para			"	"

LIST OF WORKS UNDER SANCTION.

S. No.	NAME OF THE SCHEME.	Estimated cost (Rs. in lacs)	Estimated Irrigation (in acres)	Remarks.
	JALORE DISTRICT.			
1.	Ramsen (Bithan)	4.63	1,775	Sanction under issue.
	NAGAUR DISTRICT.			
1.	Harsolaw.	3.14	2,540	Rejected.
2.	Parbatsar (Pirji-ka-naka)	1.45	450	Referred to Salt Commnr.
3.	Piplia.	0 25	115	Back reference made to C.E.I.
	BHARATPUR DISTRICT.			
1.	Papra Bund.	1.22	2,540	Rejected.
	AJMER DISTRICT.			
1.	Bubani.	0.34	... ...	sanction under issue.
2	Gangwana.	0.40	... ...	-do-
3.	Surajpura.	0.26	25	No budget provision exists.
4.	Arreji-Goverji.	0.31	... ...	Budget head asked for from C.E.I.
5.	Bed Khera.	0.25	25	No budget provision exists.

परिशिष्ट ३.

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६७६ का उत्तर देखिये)

LIST OF COLLEGES, HIGHER SECONDARY & HIGH SCHOOLS OPENED IN JAIPUR DISTRICT FROM APRIL 52 TO 1957.

1. Colleges.
   - (i) Rajasthan College, Jaipur.
   - (ii) Commerce College, Jaipur.
   - (iii) B. Sc. Classes in Maharani's College, Jaipur in 1956.
   - (iv) Inter Science in „ „ „ in 1953.

   No Intermediate college has been started.

2. High or Higher Secondary Schools.
   1. Higher Secondary School, Purani Basti, Jaipur.
   2. Higher Secondary School, Gandhinagar.
   3. Higher Secondary School, Jamvaramgarh.
   4. Higher Secondary School, Bichun.
   5. Higher Secondary School Roopnagar.
   6. Higher Secondary School Amarsar.
   7. Higher Secondary School Manoharpur.
   8. Higher Secondary School Bhaislana.
   9. Higher Secondary School Jobner.
   10. Higher Secondary School (Girls) Ghat Gate, Jaipur.
   11. High School Chaksu.
   12. High School Geejgarh.
   13. High School Sarwar.
   14. High School Phulera.

परिशिष्ट ४

(कृपया प्रश्न संख्या ६८२ का उत्तर देखिये)

जयपुर अजमेर पर अस्थाई पत्र स्वीकार किये जाने वालों के नाम।

१. दीदाराम मुरलीधर
२. मालिकराम
३. कन्हैयालाल गजानन्द
४. चांदुमल ब्रादर्स
५. प्रेमचन्द एण्ड कं०
६. हरीराम गोविन्दराम
७. रामनिवास श्रीपाल
८. के० उम्मेदसिंह
९. सुलतानसिंह
१०. उदयमल लोढा
११. सोहनबाई
१२. नूरमोहम्मद
१३. अमरीकसिंह
१४. भगवतसिंह
१५. बालाबक्स घीसालाल
१६. रसूलबक्स
१७. मोहम्मद उमर
१८. बुरहान बक्स
१९. उदयमल लोढा
२०. उदयमल लोढा
२१. उदयमल लोढा
२२. उदयमल लोढा
२३. उदयमल लोढा
२४. अब्दुल रहमान
२५. हाजी अब्दुलगनी
२६. ललताप्रसाद हरनामसिंह
२७. शेर हीर हाजो रहीम बक्स
२८. इदुलजी
२९. राधेलाल रोशन बक्स
३०. हरीजन यातायात
३१. नौरतनमल
३२. खानचन्द ताराचन्द
३३. जनरल मोटर बस सर्विस
३४. दारूमल
३५. आलमचन्द खानचन्द
३६. रसूल बक्स
३७. ठा० प्रतापसिंह राठौर एण्ड सन्स
३८. ठा. विजय सिंह राठौर
३९. श्री वली मोहम्मद
४०. मिसेज ए० सी० मलहोत्रा
४१. कन्हैयालाल गजानन्द
४२. चूहड़मल ललवानि
४३. मेसर्स तोलाराम ब्रादर्श
४४. जवाहरमल नारायनदास
४५. राजा ट्रान्सपोर्ट कं०
४६. सरदारमल दासोत
४७. रामरतन टिक्कीवाल
४८. दोलतराम बदलानी
४९. खेमचन्द ताराचन्द
५०. एसियाटिक बस सर्विस
५१. श्रीपाल
५२. आलाराम ब्रादर्स
५३. छत्तूमल
५४. पीरूमल
५५. बहादुरमल दासोत
५६. मूलचंद
५७. झझमल
५८. मोदमचंद जैन
५९. टेकूमल ललवानि
६०. भगवानदास गोविन्दराम
६१. राधाकृष्णा ब्रादर्स
६२. थावरदास नेतराम

६३. चन्द्रभान दाउदयाल
६४. निज्जामुद्दीन
६५. इसलामुद्दीन
६६. प्रकाशचंद बंसल
६७. भीमराज भंडारी
६८. ताराचंद सपरा
६९. चमनलाल एण्ड कं०
७०. घीसीलाल भौरीलाल
७१. ओटोमोबाइल ट्रांसपोर्ट
७१. चन्डूमल ब्रादर्स
७३. प्यारेलाल गुप्ता
७४. बलदेव शर्मा
७५. बालाबक्स
७६. दीनदयाल
७७. ओरीअन्टल बस सर्विस
७८. सोमराज होडरमल
७९. वसूमल
८०. रफीउद्दीन
८१. राजेन्द्रसिंह राणावत
८२. भगडामल जेटानन्द

शुद्धि-पत्र

(कार्य विवरण शुक्रवार, दिनांक २८ मार्च, १९५८)

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
५४३२	८	श्री अध्यक्ष श्री भैरोंसिंह	श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह ।
५४३६	१	(सतीशचन्द्र अग्रवाल)	(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
५४३७	१८	मैंने सत्य बात की)	मैंने सत्य बात की
,,	अन्तिम से १०	चाजेर्ज के बारे में	चार्जेज़ के बारे
५४४१	१५	देने पर भी स्क्टिनी	देने पर भी स्क्रुटिनी
५४५१	५	नैक्स्ट ।, (श्री गिरधारीलाल ।	नेक्स्ट, श्री गिरधारीलाल ।
५४५४	अन्तिम से १०	मैं दिया ।	में दिया है ।
५४५५	,, ४	लैंड टगैज मोबैंक	लैंड मोर्टगैज बैंक
५४७०	,, ४	सक्या कृषि	क्या कृषि
५४७३	१०	ot check that	to check that
५४८०	८	विरु की गई	विरुद्ध की गई
,,	९	श्री नाथूराम	९९४. श्री नाथूराम
५४८४	६	इज बिल में	इस बिल में
५४८४-५४९१	शीर्ष	२७ मार्च, ५८	—२८ मार्च, ५८—
५४८७	अन्तिम से ९	Reunueration, क्या	Remunerations क्या
५४८८	१	चौधरी	(श्री पी. के. चौधरी)
,,	अन्तिम	लिये एम्प्लीकेशन्स	लिये एप्लीकेशन्स
५४८९	,,	कितनी वितरीत किया	कितना वितरित किया
५४९१	,,	उन ो और दे	उनको और दे
५४९६	१७	श्री विश्वभम्रनाथ	श्री विश्वम्भरनाथ
५४९८	अन्तिम से ८	मत्री का वक्तव्य	मंत्री का वक्तव्य
५५०९	७	occuratelly.	accurately
,,	१५	Coutroling offices	Controlling offices
,,	२९	Five year pan	Five year plan
५५१०	अन्तिम से १२	of suc Depastments	of such partments
५५१२	अन्तिम से ६	over celing wth	over ceiling
५५१३	१२	people wth	people with
५५१४	अन्तिम से ४	Calcutla with	Calcutta with
५५१६	१८	have to examin	have to examine
,,	२१	goods evailable	goods available
,,	२४	recent varius	recent various

१	२	३	४
५५१७	१९-२०	adminisa tration	administration
५५१८	१०	there ane other	there are other
,,	२१	there are cenles	there are centres
,,	२४-२५	recommendtions	recommndations of
,,	अन्तिम से ७	(घटी)	(घंटी)
५५४४	१	(श्री तनसिंह)	(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
५५४५	१	बिरोध करता हूँ।	विरोध करता हूँ।
,,	१८	स्यायत्त शासन	स्वायत्त शासन
५५५१	अन्तिम से २	स्वयात्त शासन	स्वायत्त शासन
५५५७	१२	पुनार्वेचार किया	पुनर्विचार किया
५५५८	५	'गो मोर फूड'	'ग्रो मोर फूड'
,,	१९	त्षेत्र में लायेंगे	क्षेत्र में लाएंगे
५५६१	७	चुनाव प्रणाली	चुनाव प्रणाली
५५६३	१	जड़ां तक	जहां तक
५५६५	१०	आथिक स्थित	आर्थिक स्थिति
,,	१३	नहीं समझ पाया	नहीं समझ पाया
५५७८	अन्तिम से ६	two cf whom	two of whom
,,	अन्तिम	ne person	one person
५५८४	अन्तिम से २	the matter is suh	the matter is such
५५९०	१३	में प्रोबीजन है	में प्रोवीजन है
५५९२	अन्तिम से ६	कनूनों का	कानूनों का
५५९३	अन्तिम	को 'स का काम	कोर्ट्स का काम
५५९३	१५	एक्ट पाये है	एक्ट आये हैं
५५९४	२	इन्ट ` स्ट क्या है !	इन्टरेस्ट क्यों है !
,,	४	र असाइड हो	सेट असाइड हो
५५९५	अन्तिम से ८ व ७	इन्डिवअल पर्सो लिटीज के ओइन्टमेन्ट	इन्डिविजुअल पर्सोनेलिटीज़ के अपोइन्टमेंट
५५९६	अन्तिम से ३	जनरल पब्लक	जनरल पब्लिक
५५९७	अन्तिम से ८	नून के मताबक	कानून के मुताबिक
,,	अन्तिम	जा नून	जो कानून
	११-१२	तीनों िंग लेलिस्लेचर,	तीनों विंग लेजिस्लेचर,
५५९९		ए ीक्युटिव	एग्ज़ीक्युटिव
,,	१३	फन्वशन करने के	फन्क्शन करने के
५६०१	१५	कनफर्म्ड ओपनियन	कन्फर्म्ड ओपीनियन
५६०२	अन्तिम से ४	चाहता हूं क	चाहता हूँ कि
५६०३	अन्तिम से ५	सर्वजनिक उपयोग	सार्वजनिक उपयोग
५६०५	२१	श्री दमोदर लाल	श्री दामोदर लाल

१	२	३	४
५६०६	अन्तिम से २	यग्य व्यक्ति	योग्य व्यक्ति
५६०८	८	ने सलेक्शन	नेसिलेक्शन
,,	१६	एक्सेटेन्सन में	एक्सटेन्शन में
५६०६	१	मैं यह इन्कोमे	मैं यह इन्कोमें
५६१०	अन्तिम से ६	हिसाब किताब	हिसाब किताब
५६१२	६ व ७	सीलिग	सीलिंग
,,	१६	सविधान के	संविधान के
५६१३	अन्तिम से ६	इन्मटैक्स लेते	इन्कमटैक्स लेते
,,	१०	से एग्रकल्चर	से एग्रीकल्चर
५६१५	१	५५१५	५६१५
,,	८	(स्वकृत)	स्वीकृत
५६१६	अन्तिम से ६	गर्नमेंट की तरफ	गवर्नमेंट की तरफ
५६२०	१४	बोलने वाला था	बोलने वाला था
५६२२	अन्तिम से ७	to bc sfch	to be such
,,	३	19 6,	1956.
५६२३	२	Pradesh of Rajasthan	Pradesh or Rajasthan
,,	अन्तिम से ४	vested with ihe	vested with the
५६२६	,, ,, ७	श्री तनसिंह	श्री तनसिंह
५६२७	अन्तिम	स्थगत हुई)	स्थगित हुई)
५६२८	१२	न० नोवा	त० नोवा
५६२६	२	प्राथमक कक्षाये	प्राथमिक कक्षायें
५६३१	७	दरा दी गई	द्वारा दी गई
,,	१२	विचारर्थ लिये	विचारार्थ लिये
,,	अन्तिम से ६	द्वार पारत	द्वारा पारित
५६३२	५	श्री सतीशचन्द्र	श्री सतीशचन्द्र
,,	८	श्री हरा भाई	श्री हीराभाई
,,	१६	राजस्थान	राजस्थान
५६३६	अन्तिम से २ व १	नंगानगर व चूरू,	गंगानगर व चूरू

o—o—o